सर्व शिक्षा अभियान

परस्पेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - गाजीपुर

जनपद – गाजीपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद की पृष्ठभूमि	1 – 10
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	11 – 21
3	योजना निर्माण प्रक्रिया	22 – 45
4	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	46 – 57
5	समस्याएं एवं रणनीति	58 – 64
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन प्राथमिक विद्यालय)	65 – 70
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार(ई०जी०एस० / ए०आई०ई०)	71 – 88
8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	89 – 136
9	शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन एवं आकादमिक क्षमताओं का विकास	137 – 176
10	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	177 - 189
11	परियोजना लागत व बजट	c 1 – c8
12	अनुसूची क	

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

अध्याय–१
जनपद की पृष्ठभूमि

जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार गाजीपुर का नामकरण राजा गाधि के नाम पर हुआ है। हक् इस्तकबाल के अनुसार गाजीपुर के निर्माण की तिथि ७३८ हिजरी है, जो १३२० ई० के आस पास पड़ता है। महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधि द्वारा धर्मदाग्नि से पोषित वह भूखण्ड महर्षियों, चिन्तकों, राजाओं, पराक्रमी लोगों और भक्तों की स्थली रही है।

वर्तमान गाजीपुर का नामकरण कैसे हुआ का स्पष्ट उल्लेख पुरातन इतिहासों में नहीं मिलता किन्तु इस भू–भाग से सम्बन्धित इतिहास के पन्नों का अवलोकन से सम्बन्धित कुछ तत्व अवश्य उजागर होता है। चीनी यात्री हवेनसांग ने अपने भारत यात्रा के समय इस भू–भाग का वर्णन अपने यात्रा वृतान्त में किया है। जिसमें उसने इस क्षेत्र का नाम चन्चू कहा है। चन्चू चीनी भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ युद्ध के स्वामी का रज से होता है। इतिहास के विद्वानों ने हवेनसांग के शब्द चन्चू के बाधार पर इस क्षेत्र के युद्धपतिपुर या गर्जपतिपुर नाम रक्खा जो अपभ्रंश होकर गाजीपुर हो गया। अनेक विद्वान जैसे होई, प्लीपडे, नोबिल आदि ने भी इस सम्बन्ध में अपनी–अपनी व्याख्या दी है। इस्तकबाल के अनुसार सैयद मसूद गाजी एक ऐसे युग पुरूष थे जिन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता प्रतीक के रूप में १३३० ई० के आस पास गाजीपुर शहर की स्थापना की थी। १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मलिक उस्ताद गाजीपुर मसूक नाम मुस्लिम शासक द्वारा की गयी थी। प्रचलित किवदन्तियों के अनुसार इस नगर को राजा गज ने बसाया था।

गाजीपुर नगर से १५ किलोमीटर दूर जनपद गाजीपुर में जमानियां नगर है जिसके सम्बन्ध में बताया जाता है कि महर्षि जमदग्नि के नाम पर इसका प्राचीन नाम जमदग्निया था परन्तु बादशाह अकबर के समय अली कुली खां ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था तब से इसका नाम जमानियां हो गया। गाजीपुर नगर से १८ किलोमीटर दूर जनपद

गाजीपुर का दिलदार नगर कस्बा है जिसके सम्बन्ध में प्राचीन किवंदति के अनुसार यह नगर राजा नल का निवास स्थान था इसकी रानी के नाम पर एक तालाब रानी सागर जो रानी दमयंती के स्नान करने का सरोवर था जो आज भी यहां विद्यमान है। गाजीपुर शहर से लगभग २८ किलोमीटर दूर जनमद गाजीपुर का कासिमाबाद नगर है जिसे शेख अब्दुल्लाह ने १२वीं शदी में अपने पिता अब्दुल कासिम के नाम पर बसाया था। इनके द्वारा बनवाये गये किले का भग्नावेश आज भी है। गाजीपुर नगर से ४० किलोमीटर दूर सैदपुर नगर है जिसके सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है कि यह नगर गुप्त काल का है चूंकि इस जनपद के निकटतम सारनाथ में भगवान बुद्ध ने बोधित्व की प्राप्ति की थी अतः सारनाथ के सान्निकट के कारण स्वयं महात्मा बुद्ध तथा उनके बौध भिक्षुओं ने इस क्षेत्र के औडियार तथा सैदपुर क्षेत्रों में घूम–घूम कर प्रचार–प्रसार एवं ज्ञान का संदेश दिया था। यहां प्राचीन हिन्दू एवं बौद्ध के संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हैं। गुप्त काल का स्तम्भ आज भी सैदपुर भितरी में विद्यमान है।

जनपद गाजीपुर गंगा नदी के बांये तट पर स्थित है। यहां गर्वनर अब्दुल खा का महल, तालाब, लार्डकार्नवालिस की प्रतिमा एवं राजकीय अफीम फैक्टरी विशेष उल्लेखनीय है। १८५७ ई० के विपल्वी जनता का नेतृत्व कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय १८ अगस्त १९४२ ई० में डा० शिवपूजन राय के नेतृत्व में मुहम्मदाबाद की जनता ने मुहम्मदाबाद तहसील में तिरंगा झण्डा फहराते हुए डा० शिवपूजन राय, श्री बंशनरायण राय, श्री राम बदन उपाध्याय, श्री राजनरायण राय, श्री वशिष्ट नरायण आदि शहीद हुये। यह भू खण्ड महान ऋषियों, चिन्तकों, राजाओं और पराक्रमी व्यक्तियों की कार्यस्थली रही है।

गाजीपुर पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग ३३८४ वर्ग किमी है। गाजीपुर का अक्षांशीय विस्तार २५ अक्षांश उत्तरी से २५. १९' अक्षांश उत्तरी तथा देशान्तरीय विस्तार ६३. ५८' अक्षांश पूर्व से ८४. २४' अक्षांश पूर्व तक स्थित है। यह समुद्र तल से २२७ फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जनपद की पूर्व पश्चिम लम्बाई ६० किमी तथा उत्तर दक्षिण चौडाई लगभग ६० किमी है। जनपद के पूर्व में बक्सर (बिहार) पश्चिम में जौनपुर एवं आजमगढ उत्तर में मऊ तथा पूर्व में बलिया स्थित है। वाराणसी दक्षिण पश्चिम में

स्थित है। यहां पर स्थित अफीम फैक्ट्री भारत सरकार द्वारा संचालित है। औद्यौगिक क्षेत्र नंदगंज में चीनी मिल है, तथा बहादुरगंज में कताई मिल है।

जनपद की प्रमुख प्रवाहशील नदियां गंगा, कर्मनाशा तथा गोमती हैं जो जनपद की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती हैं। कर्मनाशा एवं गंगा नदी जनपद को बिहार राज्य से अलग करती हैं।

गाजीपुर जनपद वाराणसी मण्डल उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है इस जनपद में पांच तहसील एवं सोलह विकास खण्ड हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नियोजन का कार्य जनता द्वारा संचालित एवं स्वीकृत किया जाता है। जनता द्वारा सामूहिक चिंतन विचार विमर्श और मार्ग निर्देश का कार्य ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र समितियां एवं जिला स्तर पर परिषदों द्वारा सम्पादित होता है।

गाजीपुर जनपद में १६३ न्याय पंचायत एवं १०५० ग्राम पंचायतें हैं। जनपद में स्थित कुल आबाद ग्रामों की संख्या २८४२ तथा गैर आबाद ग्रामों की संख्या ५२२ है। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ३ नगरपालिका परिषद एवं ५ नगर पंचायत क्षेत्र हैं।

प्रशासनिक संरचना के अधीन जनपद ५ तहसीले एवं १६ विकास खण्डों में विभक्त है जिसका विवरण निम्नलिखित है।

	तहसील	विकास खण्ड
१.	गाजीपुर	१. गाजीपुर २. करण्डा ३. विरनो ४. मरदह
२.	सैदपुर	१. सैदपुर २. देवकली ३. सादात (आंशिक)
३.	मुहम्मदाबाद	१. मुहम्मदाबाद २. भावरकोल ३. कासिमाबाद ४. वाराचवर

४.	जमानियां	१. जमानियां २. भदौरा ३. रेवतीपुर
५.	जखनिया	१. जखनिया २. मनिहारी ३. सादात (आंशिक)

राज्य मुख्यालय लखनऊ से लगभग ३०० किमी पूर्व में स्थित जनपद मुख्यालय गाजीपुर के नाम से जाना जाता है। जनपद मुख्यालय से लगभग ४० किमी दूर गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर सैदपुर भीतरी में गुप्त द्वितीय का स्तम्भ स्थित है। २००१ की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या ३०४६३३७ है। जिसमें २८१६३४८ ग्रामीण तथा २३२६८६ नगरीय हैं। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि लगभग २६.१८ प्रतिशत (६१–०१) है। जनपद में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या ६७४ है। जनपद में जनसंख्या घनत्व ६७० व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

जिले में कुल साक्षरता प्रतिशत ४८.४६ है जिसमें पुरूष साक्षरता ६०.७ प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता ३६ प्रतिशत है ग्रामीण क्षेत्रों की कुल साक्षरता ४७.४ प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर ६० प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर ३४.६ प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र में कुल साक्षरता दर ६१.६७ प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता ६६.४४ प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर ५३.१६ प्रतिशत है। जनपद में सर्वाधित साक्षरता वाला विकास खण्ड भदौरा है जहाँ की साक्षरता दर ६५.४ प्रतिशत है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला विकास खण्ड मरदह है जहाँ की साक्षरता दर ३६.१८ प्रतिशत है। जनपद में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला विकास खण्ड मरदह है, जहाँ महिला साक्षरता दर २१.३ प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का २१.०४ प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग नगण्य है। जिले में अनुसूचित जाति की कुल संख्या ५६६५२० है जिनमें ३०२१८८ पुरूष हैं एवं २६४३३२ महिलाएँ हैं।

वर्ष २००१ से २०१० तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की ६–११ वय वर्ग की बाल संख्या व नामांकन तथा ११–१४ वय वर्ग की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है

सारणी ४.१

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्रमसं.	वर्ष	०६–११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुलनामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	NER	बालिका+अनु जाति बालकों की सं०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	2003-2004	477793	464969	162739	302230	12824	97.3	311529
2.	2004-2005	487294	487294	170552	316739	0		326487
3.	2005-2006	497039	497039	173963	323076	0		333016
4.	2006-2007	506979	506979	177443	329536	0		339675

सारणी ४.२

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्रमसं.	वर्ष	११–१४ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुलनामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	NER	बालिका+अनु जाति बालको की सं०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
5.	2003-2004	211702	200760	140532	60228	10942		134509
6.	2004-2005	215936	215936	148133	67803	0		144677
7.	2005-2006	220254	220254	151085	69169	0		147570
8.	2006-2007	224660	224660	154123	70543	0		150522

स्रोत–प्रक्षेपण।

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००१–२००२ में नामांकन ६४ प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था जो कि वर्ष २००२–२००३ में बढकर ६६प्रतिशत, वर्ष २००४–२००५ में १०० प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है

शैक्षिक वर्ष २००२–२००३ की ई०एम०आई०एस० के अनुसार नामांकन की स्थिति

सारणी

	६–११ आयु वर्ग की कुल			पंजीकृत कुल संख्या			
वर्ष		योग					GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
२००२. २००३	२५००३०	२२७७६३	४७७७६३	२४१७६४	२२३१७५	४६४६६६	१०२.७५

जनपद का नामांकन एन०ई०आर० निम्नांकित हैं

सारणी

	६–११ आयु वर्ग की कुल			पंजीकृत कुल संख्या			
वर्ष		योग					NER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिकाT	योग	
२००२. २००३	२५००३०	२२७७६३	४७७७६३	२४१७६४	२२३१७५	४६४६६६	६७.३

गाजीपुर जनपद की वर्ष २००१ की जनसंख्या एवं साक्षरता

क्र.	विकास खंड	कुल जनसंख्या			अनु. जाति			साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
१	२	३ .	४	५	६	७	८	६	१०	११
१	सदर	95956	89759	185715	18379	17238	35617	60.0	24.51	47.0
२	करण्डा	102630	99961	202591	11774	11405	23179	79.0	47.35	63.1
३	कासिमाबाद	100980	98094	199074	21483	20606	42089	57.8	29.1	46.9
४	बाराचवर	82764	81270	164034	16840	16552	33392	56.21	28.56	42.85
५	रेवतीपुर	124112	63126	187238	8688	4119	12807	63.23	27.6	45.9
६	मरदह	69399	66159	13558	18427	16302	34739	55.48	21.3	39.1
७	जखनियाँ	91083	91952	183035	25043	26907	51950	59.72	28.63	42.0
८	मनिहारी	72037	72028	144065	17030	17014	34044	58.0	22.0	39.3
६	सैदपुर	84878	83759	168637	27624	23331	50955	63.5	23.0	55.9
१०	सादात	89844	98715	188559	28285	30317	58602	68.5	34.7	47.3
११	जमानियाँ	106392	102899	209291	18429	16833	35262	65.1	24.9	46.1
१२	भदौरा	107212	95076	202288	18118	16068	34186	68.97	53.49	65.4
१३	भांवरकोल	67242	66277	135519	13048	12470	25518	63.5	31.3	45.6
१४	मुहम्मदाबाद	95100	91780	186880	18458	16889	35347	60.0	36.64	47.76
१५	बिरनों	67346	64012	133358	17198	15875	33073	58.2	21.9	41.0
१६	देवकली	95593	94913	190506	22364	22406	44769	61.0	35.0	58.0
योग	योग	1456568	1359780	2116348	302188	294332	596520	60.7	34.6	47.4
१	न०पा० गाजीपुर	54021	48962	103283				75.0	60.75	68.26
२	न०पा० मुहम्मदाबाद	15812	14422	30234				53.42	40.25	47.14
३	न०पा० जमानियाँ	14894	13991	28885				68.69	48.09	58.71
४	न०पं० जगीपुर	5772	5328	11100				67.22	47.24	57.63
५	न०पं० बहादुरगंज	8294	7883	16177				63.85	46.01	55.16
६	प०व० सैदपुर	11442	10117	21559				67.66	48.77	58.80
७	न०पं० सादात	5321	5021	10342				69.25	47.79	57.86
८	न०पं० दिलदारनगर	5910	5499	11409				76.57	63.12	70.00
योग	योग	121766	111223	232989				69.44	53.16	61.67

६से ११ वय वर्ग की बाल गणना एवं नामांकन की स्थिति वर्ष २००१

ब्लाक	६ – ११ वय वर्ग के बच्चे			नामांकन											
				परिषद			मान्यता			गैर मान्यता			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१ नगर क्षेत्र	6511	4916	11427	2032	2376	4408	3117	3112	6229	2500	75	2575	7649	5563	13212
२ भदौरा	12243	12327	24570	6792	6833	13625	4144	3790	7934	1307	1704	3011	12243	12327	24570
३ रेवतीपुर	10703	9288	19991	6610	6532	13142	1250	839	2089	2729	1831	4560	10589	9202	19791
४ जमानियाँ	19507	16475	35982	9875	10115	19990	4123	3812	7935	3551	1552	5103	17549	15479	33028
५ करण्डा	9641	8555	18196	5939	5979	11918	965	898	1863	60	50	110	6964	6927	13891
६ देवकली	19139	17075	36214	9703	10521	20224	9436	6551	15987	0	0	0	19139	17072	36211
७ बिरनों	10261	9755	20016	6351	7172	13523	3297	2221	5518	613	362	975	10261	9755	20016
८ गाजीपुर सदर	16911	14567	31478	8248	8995	17243	5227	2797	8024	2613	3223	5836	16088	15015	31103
९ सैदपुर	19055	16899	35954	13688	14485	28173	4011	2969	6980	395	406	801	18094	17860	35954
१० जखनियाँ	16340	14138	30478	9273	10032	19305	6664	3774	10438	403	332	735	16340	14138	30478
११ सादात	18190	15867	34057	11381	11933	23314	3580	2622	6202	3229	1312	4541	18190	15867	34057
१२ मनिहारी	4501	3815	8316	9781	10265	20046	1878	1250	3128	0	0	0	11659	11515	23174
१३ मरदह	20129	16986	37115	6874	6998	13872	13055	9662	22717	0	0	0	19929	16660	36589
१४ बाराचवर	15156	12966	28122	6832	6844	13676	2456	1558	4014	5715	4437	10152	15003	12839	27842
१५ कासिमाबाद	9007	9358	18365	9007	9358	18365	1001	935	1936	0	0	0	10008	10293	20301
१६ मोहम्मदाबाद	18813	15496	34309	10059	10224	20283	3468	3359	6827	3357	3191	6548	16884	16774	33658
१७ भाँवरकोल	11928	10067	21995	5912	5711	11623	2617	1918	4535	3399	2488	5887	11928	10117	22045
महायोग	**238035**	**208550**	**446585**	**138357**	**144373**	**282730**	**70289**	**52067**	**122356**	**29871**	**20963**	**50834**	**238517**	**217403**	**455920**

११ से १४ वय वर्ग की बाल गणना एवं नामांकन की स्थिति वर्ष २००१

ब्लाक	११ – १४ वय वर्ग के बच्चे			नामांकन											
				परिषद			मान्यता			गैर मान्यता			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१ नगर क्षेत्र	1510	1402	2912	212	404	616	1012	915	1927	210	0	210	1434	1319	2753
२ भदौरा	4869	3816	8685	2235	1637	3872	2034	1879	3913	558	342	900	4827	3858	8685
३ रेवतीपुर	3436	2602	6038	907	817	1724	1119	626	1745	1360	1101	2461	3386	2544	5930
४ जमानियाँ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3971	[illegible]
५ करण्डा	3110	2352	5462	388	312	700	218	195	413	50	40	90	656	547	1203
६ देवकली	5751	4480	10231	834	496	1330	4112	3249	7361	805	735	1540	5751	4480	10231
७ बिरनों	3742	3255	6997	910	793	1703	1528	1856	3384	1304	606	1910	3742	3255	6997
८ गाजीपुर सदर	5271	3919	9190	1242	1051	2293	2066	1255	3321	1428	844	2272	4736	3150	7886
९ सैदपुर	6212	5220	11432	1532	1568	3100	4080	3120	7200	600	532	1132	6212	5220	11432
१० जखनियाँ	4907	4103	9010	1526	1149	2675	3196	2838	6034	172	129	301	4894	4116	9010
११ सादात	5667	4556	10223	2506	1732	4238	3161	2724	5885	0	0	0	5667	4456	10123
१२ मनिहारी	845	576	1421	460	358	818	365	208	573	0	0	0	825	566	1391
१३ मरदह	3132	3300	6432	530	497	1027	2828	1538	4366	0	0	0	3358	2035	5393
१४ बाराचवर	4234	3593	7827	841	674	1515	1590	1194	2784	1756	1690	3446	4187	3558	7745
१५ कासिमाबाद	2380	1399	3779	1229	986	2215	1151	413	1564	0	0	0	2380	1399	3779
१६ मोहम्मदाबाद	8420	6059	14479	2143	805	2948	4926	4586	9512	627	981	1608	7696	6372	14068
१७ भाँवरकोल	8428	4471	12899	1058	595	1653	1018	771	1789	6353	3105	9458	8429	4471	12900
महायोग	**78059**	**59964**	**138023**	**20256**	**14609**	**34865**	**38357**	**30130**	**68487**	**15606**	**10578**	**26184**	**74219**	**55317**	**129536**

६–११ एवं ११–१४ वय वर्ग की बाल गणना एवं नामांकन की स्थिति वर्ष २००१

सारणी																				
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बाल गणना ६–११ तथा ११–१४ वय वर्ग माह सितम्बर २००१ के आधर पर																				
क्र. सं.	ब्लाक	६ – ११ वय वर्ग									११ – १४ वय वर्ग									
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	१ नगर क्षेत्र	8819	7513	16332	7649	5563	13212	1170	1950	3120	1510	1402	2912	1434	1319	2753	76	83	159
२	२ भदौरा	14780	12590	27370	12243	12327	24570	2537	263.2	2800	4827	3858	8685	4827	3858	8685	0	0	0
३	३ रेवतीपुर	12955	11036	23991	10589	9202	19791	2366	1834	4200	3436	2602	6038	3386	2544	5930	50	58	108
४	४ जगानियॉ	19430	16551	35981	17549	15479	33028	1881	1072	2953	6145	4861	11006	6039	3971	10010	106	890	996
५	५ करण्डा	9826	8370	18196	6964	6927	13891	2862	1443	4305	2610	1852	4462	656	547	1203	1954	1305	3259
६	६ देवकली	21470	18289	39759	19139	17072	36211	2331	1217	3548	5751	4480	10231	5751	4480	10231	0	0	0
७	७ बिरनों	13509	11507	25016	10261	9755	20016	3248	1752	5000	3742	3255	6997	3742	3255	6997	0	0	0
८	८ गाजीपुर सदर	16198	15280	31478	16088	15015	31103	110	265	375	5271	3919	9190	4736	3150	7886	535	769	1304
९	९ सैदपुर	21356	18193	39549	18094	17860	35954	3262	332.5	3595	6212	5220	11432	6212	5220	11432	0	0	0
१०	१० जखनियॉ	17644	15030	32674	16340	14138	30478	1304	892	2196	4894	4116	9010	4894	4116	9010	0	0	0
११	११ सादात	18877	16080	34957	18190	15867	34057	686.8	213.2	900	5667	4556	10223	5667	4456	10123	0	100	100
१२	१२ मनिहारी	13686	11659	25345	11659	11515	23174	2027	143.7	2171	845	576	1421	825	566	1391	20	10	30
१३	१३ मरदह	20042	17073	37115	19929	16660	36589	113.1	412.9	526	3632	3300	6932	3358	2035	5393	274	1265	1539
१४	१४ बाराचवर	15186	12936	28122	15003	12839	27842	182.9	97.12	280	4234	3593	7827	4187	3558	7745	47	35	82
१५	१५ कासिमाबाद	12509	10656	23165	10008	10293	20301	2501	362.9	2864	2380	1399	3779	2380	1399	3779	0	0	0
१६	१६ मोहम्मदाबाद	18527	15782	34309	16884	16774	33658	1643	-991.9	651	8020	6459	14479	7696	6372	14068	324	87	411
१७	१७ भॉवरकोल	11991	10215	22206	11928	10117	22045	63.24	97.76	161	8728	4671	13399	8429	4471	12900	299	200	499
		267605	227960	***495565***	***238517***	***217403***	***455920***	***29088***	***10557***	***39645***	***78059***	***59964***	***138023***	***74219***	***55317***	***129536***	**3685**	**4802**	**8487**

अध्याय–२
जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के पहुंच का विस्तार, नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता वृद्धि हेतु मार्च २००० से जनपद गाजीपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) परियोजना चल रही है। जिसके अन्तर्गत नवीन विद्यालय भवन, पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्षा का निर्माण, पेयजल हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्प, भवनों की मरम्मत तथा शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है इसके साथ ही बच्चों वे शिक्षकों को शैक्षिक सर्पोट एवं शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु न्याय पंचायत स्तर पर संकुल भवन तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है शिक्षकों के शिक्षण कौशल विकास के लिए सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये गये जा रहे हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भाषा, गणित में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है इन तमाम प्रयासों/क्रिया–कलापों के बावजूद भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नही हो रही है। अतएव कक्षा १ से ८ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जाना अवक्षित है। जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जायेगा।

वर्ष २००१ जनगणना की साक्षरता दर का विवरण इस प्रकार रही है–

१. गाजीपुर जिले की साक्षरता दर २००१ की जनगणना के अनुसार ४८.५ प्रतिशत है जबकि प्रदेश की साक्षरता दर ५७.३६ प्रतिशत है। प्रदेश एवं

जनपद में मध्य साक्षरता गैप ८.८६ प्रतिशत है। यह अन्तर पुरुष साक्षरता से ६.५४ प्रतिशत है।

२. वर्तमान में जनपद में कुल २० डिग्री कालेज एक पॉलीटेक्निक, एक आई०टी०आई०, ७६ इण्टरकालेज १३३ हाईस्कूल, ४८० उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा १३३३ परीषदीय तथा ४२५ मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं।

३. जिले नें कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या ४७५० है जिसमें ३४६० पुरुष १२६० महिला, ४६३६ प्रशिक्षित हैं एवं ११४ अप्रशिक्षित हैं। मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या ३६५३ है, जिसमें २८३० पुरुष एवं ८२३ महिला हैं। इसमें २०२५ प्रशिक्षित एवं १६२८ अप्रशिक्षित हैं।

४. वर्ष २००१–२००२ में ६–११ वर्ग के कुल बच्चों की संख्या ३६१००० जिसमें २०८ हजार लड़के एवं १८३००० लड़कियाँ थीं। जिनमें कुल नामांकन २८१२५० का कराया गया जिसमें, १३८०८२ लड़के एवं १४३१६८ लड़कियाँ थी।

५. सर्वे के अनुसार जिले में कुल खण्ड परियोजनाधिकारीयों द्वारा उपलब्ध कराई गए आकड़ों के अनुसार सवेवित बस्तियाँ हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। जिसके अलावा ३०० ऐसी असेवित बस्तियाँ हैं जो स्कूल खोलने के मानक में नहीं आती यहाँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जा सकता है।

६. साक्षरता में कमी का कारण जहाँ एक और जनसंख्या का अधिकांश भाग गरीब होना एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है वहीं शिक्षकों में भी उत्तरदायित्व की कमी है जिसके लिए काफी सीमा तक शिक्षा क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों पर अत्यधिक कार्यभार होना तथा शिक्षकों को भी शिक्षणेत्तर कार्यो में व्यस्त रखना है।

७. अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियाँ निषक्रिय हैं। अधिकांश शिक्षा समितियों के सदस्य इस सार्वजनिक दायित्व के प्रति गम्भीर नहीं हैं तथा शिक्षा के कार्यो में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियाँ नहीं हो पा रही हैं।

८. सर्व शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य, बालक–बालिका व विभिन्न सामाजिक वर्गों से विद्यालयों में भर्ती स्व निष्कासन तथा ज्ञान प्राप्ति के अन्तर को कम करके ५ प्रतिशत तक लाना है। प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों की स्व निष्कासन दर को घटाकर १० प्रतिशत से कम पर लाना ।

९. औसत ज्ञान प्राप्ति के स्तर को निर्धारित आधार रेखा से भाषा तथा गणित में २५ प्रतिशत एवं अन्य विषयों की दक्षताओं में ४० प्रतिशत तक वृद्धि लाना ।

१०. सभी बच्चों की पहुंच बेसिक शिक्षा तक सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक शिक्षा की भी व्यवस्था करना ।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:–

१. लिंग तथा विभिन्न सामाजिक वर्गो के बीच नामांकन, शाला त्याग और अधिगम सम्प्राप्ति के अन्तर को ५ प्रतिशत तक कम करना।

२. प्राथमिक स्तर पर समस्त शाला त्यागी बच्चों की दर १० प्रतिशत तक कम करना।

३. भाषा तथा गणित की दक्षताओं में २५ प्रतिशत तथा अन्य विषयों की दक्षताओं में ४० प्रतिशत तक वृद्धि करना।

४. औपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।

उपर्युक्त के लिए कार्यक्रम में निम्नांकित विशेष व्यवस्था की गयी है–

१. असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।

२. विद्यालयों का रखरखाव एवं नियमित मरम्मत ।

३. बालश्रमिकों, अल्पसंख्यकों/अनु०जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए पृथक प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था ।

४. पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।

५. समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

६. स्वयं सेवी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग लेना ।

७. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था ।

८. समेकित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन ।

९. नामांकन के अनुरूप शिक्षकों के पदों का सृजन ।

१०. ढाँचागत सुधार के अन्तर्गत डायट का सुदृढ़ीकरण, बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० की स्थापना इत्यादि ।

जनपद में स्थित परिषदीय विद्यालयों से सेवित एवं असेवित बस्तियाँ

	१ किमी० से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	१ किमी० से अधिक किन्तु १.५ किमी० से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	१.५ किमी० से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय	प्रस्तावित प्रा. वि. / ई. जी. एस.
३०० से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	१३२८	६६५	०	०
३०० से कम आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	३७८	१६७	२११	२११

जनपद में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सेवित एवं असेवित बस्तियाँ

	३ किमी० से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	३ किमी० से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय	प्रस्तावित प्र०/ ए०आई०ई०	
८०० से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	0	0	0	
८०० से कम आबादी वाले ग्राम/बस्तियों की संख्या	1263	147	147	

सेवित तथा असेवित बस्तियों की संख्या

क्र.सं.	विकास क्षेत्र का नाम	१ किमी० से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	१ से १.५ किमी० से कम दूरी पर स्थित विद्यालय	१.५ किमी० से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय
१.	नगर क्षेत्र	—	—	—	—
२.	भदौरा	३५	१४	०	०
३.	रेवतीपुर	५१	२६	०	०
४.	जमानियाँ	६०	२२	०	०
५.	करण्डा	५०	१६	०	०
६.	देवकली	११२	४७	०	०
७.	बिरनों	५८	४८	०	०
८.	गाजीपुर सदर	११४	२०	०	०
९.	सैदपुर	६८	२४	०	०
१०.	जखनियाँ	१०४	४४	०	०
११.	सादात	१६३	२१	०	०
१२.	मनिहारी	६०	१६	०	०
१३.	मरदह	७०	३५	०	०
१४.	बाराचवर	७६	६६	०	०
१५.	कासिमाबाद	८८	७६	०	०
१६.	मोहम्मदाबाद	८७	१४६	०	०
१७.	भॉवरकोल	७२	१६	०	०
	योग	१३२८	६६५	०	०

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में वर्तमान समय में ६६५ बस्तियां है जिसकी आबादी ३०० से अधिक है और १ किमी० की परिधि में कोई

प्राथमिक विद्यालय नहीं है इसी प्रकार १६२ ऐसी बस्तियां है जिनकी आबादी ३०० से अधिक है किन्तु १.५ किमी० के परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इस प्रकार कुल असेवित १६२ बस्तियों को सेवित करने के लिए मात्र १६२ प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता, होगी।जो अब पूर्ण हो चुकी है।

इसी प्रकार ८०० से अधिक आबादी और ३ किमी० की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित बस्तियों की संख्या २८६ है परन्तु इन २८६ असेवित बस्तियों को सेवित करने के लिए मात्र १२६ उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता होगी। शेष १४७ स्थानों पर ई०जी०एस० ज्ञानशाला प्रस्तावित की गई है।

जनपद में उ० प्र० विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन का आधार दो प्राथमिका विद्यालयों पर एक उ० प्रा० वि० की स्थापना को दृष्टि में रखकर किया गया है, जो निम्नवत् हैः—

		ग्रामीण	नगरीय	योग
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	—	१८५१	—	१८५१
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	—	१६२	—	१६२
वर्तमान में उपलब्ध उ०प्रा०वि०	—	६५०	—	६५०

विद्यालय	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग
प्राथमिक विद्यालय	१४१३	४८६	१८६६
उच्च प्राथमिक विद्यालय	२४१	८४	३२५

नामांकन की स्थितिः

जनपद में ६–११ वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या ४४६५८५ है जिसमें बालकों की कुल संख्या २३८०३५ तथा बालिकाओं की संख्या २०८५५० है। ६–११ आयु वर्ग के कुल बच्चों में से कुल ८१६० बच्चें स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों में बालकों की संख्या ४१०० तथा बालिकाओं की संख्या ४०६० है।

प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण–

विद्यालयों की संख्या	कुल संख्या	आवश्यक कक्ष
एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	५०	१००
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	७६२	७६२
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	३६३	०
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	२३८	०
		०
योग	३६१५	८६२

शिक्षकों की उपलब्धता

विद्यालय	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्राथमिक विद्यालय	५१६०	४२९५	८६५
उच्च प्राथमिक विद्यालय	११४८	८२१	३२७

शिक्षकों की उपलब्धता

सृजित पद	कार्यरत	अवशेष
८० + ५८ + १५८ = २६६	११६	१८०

मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या

विद्यालय	कुल मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	लघु मरम्मत योग्य	दीर्घ मरम्मत योग्य
प्राथमिक विद्यालय	६०४	३६५	२३६
उच्च प्राथमिक विद्यालय	११८	६६	५२

स्रोतः (विभागीय आकड़े)

प्राथमिक / उच्च विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की स्थिति

क्र.सं.	मद	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
१.	शौचालय युक्त विद्यालय	१३३३	१६८
२.	शौचालय विहीन विद्यालय	0	0
३.	हैण्डपम्प विहीन	0	0
४.	चहारदीवारी युक्त विद्यालय	१३३३	१६८
५.	चहारदीवारी विहीन विद्यालय	0	0

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण–

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	६	६
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	१७	६
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	३८	१३
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	११६	१५२
पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	१७	०
	योग २००	

जनपद को भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्र० सं०	सुविधाओं का विवरण	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		आवश्यकता	एस.एस.ए./डी. पी.ई.पी. में वित्तीय प्राविधान	मांग	आवश्यकता	एस.एस.ए./डी. पी.ई.पी. में वित्तीय प्राविधान	मांग
१.	नवीन विद्यालय	१६२	१६२	–	६५	–	६५
२.	विद्यालय पुनः निर्माण	१००	१००	–	५	५	–
३.	अति० कक्षा–कक्ष	१०६२	२००	८६२	३१७	–	३१७
४.	शौचालय	४००	४००	–	४८	–	४८

1999 से 2001 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन .. Gazipur

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	71908	37966	109874	65.4	34.6	100
2000-2001	74065	42287	116352	63.7	36.3	100
2001-2002	81062	48474	129536	62.6	37.4	100

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999-2000	41251	36526	32097	109874	
2000-2001	45104	40528	30720	116352	5.6
2001-2002	46538	43336	39611	129536	10.2

विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1999-2000	150897	41251	27.3
2000-2001	152159	45104	29.6
2001-2002	155012	46588	30.1

अध्याय ३

योजना निर्माण प्रक्रिया

सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में एक अभिनव प्रयास है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ६–१४ आयु वर्ग के समस्त बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना है।

नियोजन प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व सूक्ष्म नियोजन को जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित इस अनपद में ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के समय सूक्ष्म नियोजन कराया गया। इसका प्रयोजन यह था कि जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों/बस्तियों में ६–१४ वय वर्ग के बालिका एवं बालकों की जनसंख्या कितनी है। तथा उनका शैक्षिक स्तर कितना है, इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के जागरूक नवजवानों, शिक्षकों एवं स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति ने अपने ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले टोले/मजरों पर ६–१४ आयु वर्ग के बच्चों की गणना की तथा उनकी शैक्षिक स्थिति का आकलन किया साथ ही साथ शैक्षिक सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की भी पहचान की गयी। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयीं–

०–६, ६–११, ११–१४, आयु वर्ग के बच्चों की सम्पूर्ण जनसंख्या

आंगनबाड़ी विद्यालय, वैकल्पिक केन्द्र, विद्या केन्द्र जाने वाले बच्चों की जनसंख्या

विकलांग बच्चों की संख्या एवं प्रकार के विषय में जानकारी ली गयी।

विद्यालय से बाहर बच्चों की जनसंख्या

विद्यालय अथवा अन्य केन्द्रों पर न जाने के कारण।

विद्यालय खोलने की स्थिति अर्थात् मानक पूरा करने की स्थिति में क्या प्रस्ताव है।

मानक पूरा न करने की स्थिति में क्या व्यवस्था चाहेंगें।

विद्यालय भवन की उपलब्धता एवं आवश्यकता

उपलब्ध भवन में सुधार की स्थिति

छात्र के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता है अथवा नहीं

नहीं की स्थिति में कितने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर ग्रामवासियों ने अपने ग्राम के लिए ग्राम शिक्षा योजना नियोजन किया। इस योजना को अद्यतन करने के लिए प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण किया जाता रहा है। इस शिक्षा योजना की एक प्रति विद्यालय, एक प्रति न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर तथा एक प्रति विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर रखी गयी है। उपरोक्त योजना को सर्वशिक्षा अभियान की योजना

बनाने के समय उपयोग किया गया है। इसके लिए शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नाकिंत बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया :–

१. बस्तियों की कुल आबादी।

२. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से दूरी।

३. विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या।

४. विद्यालय जाने वाले और विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।

५. शारीरिक अक्षमताओं वाले बच्चों की पहचान।

६. विविध व्यवसायों/श्रमों/कार्यों में लगे बच्चो की संख्या।

७. ६ से १४ वय वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति।

उपर्युक्त सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में समुदाय के सहयोग से ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। सर्वेक्षण आँकड़ों के आधार पर बस्तियों का चिन्हांकन किया गया तथा यह देखा गया कि आबादी तथा विद्यालय से दूरी का मानक पूरा करने की दशा में कितने नवीन विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन बस्तियों का भी चिन्हांकन किया गया जिनमें शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार केन्द्रों की स्थापना मानक के अनुसार हो सकता है। इन चिन्हित सभी बस्तियों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया।

क्र०सं०	विकास खण्ड	स्कूल न जाने वाले ६ से ११ वय वर्ग			बच्चों की संख्या ११–१४ वय वर्ग			प्रस्तावित ई०जी०एस० ज्ञान केन्द्र ज्ञान शाला		प्रस्तावित ब्रिज कोर्स
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	प्रा० स्तर	उ० प्र० स्तर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	१ नगर क्षेत्र	1170	1950	3120	76	83	159	12	5	
२	२ भदौरा	2537	263	2800	0	0	0	12	7	
३	३ रेवतीपुर	2366	1834	4200	50	58	108	15	10	
४	४ जमानियॉ	1881	1072	2953	106	890	996	12	5	
५	५ करण्डा	2862	1443	4305	1954	1305	3259	10	5	
६	६ देवकली	2331	1217	3548	0	0	0	22	14	
७	७ बिरनो	3248	1752	5000	0	0	0	12	9	
८	८ गाजीपुर सदर	110	265	375	535	769	1304	23	14	
९	९ सैदपुर	3262	333	3595	0	0	0	11	8	६ ब्रिज कोर्स
१०	१० जखनियॉ	1304	892	2196	0	0	0	18	10	
११	११ सादात	687	213	900	0	100	100	15	11	
१२	१२ मनिहारी	2027	144	2171	20	10	30	16	20	
१३	१३ मरदह	113	413	526	274	1265	1539	21	10	
१४	१४ बाराचवर	183	97	280	47	35	82	25	15	
१५	१५ कासिमाबाद	2501	363	2864	0	0	0	22	17	
१६	१६ मोहम्मदाबाद	1643	-992	651	324	87	411	13	11	
१७	१७ भॉवरकोल	63	97	161	299	200	499	12	8	
योग	योग	29088	10557	39645	3685	4802	8487	271	179	

संक्षेप में जनपद गाजीपुर में सर्वशिक्षा अभियान हेतु परियोजना तैयार करने के लिए निम्नांकित कदम उठाये गये :–

१. नियोजन टीम का गठन :– सर्वशिक्षा अभियान के लिए प्राचार्य तथा प्रवक्ता डायट सैदपुर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत चार जिला समन्वयकों, सहायक वित्त एवं लेखाखिकारी तथा कम्प्यूटर आपरेटर की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। जिसने परियोजना निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में दो चक्रों में प्राप्त किया। जनपद स्तर पर कार्यक्रम योजना निर्माण का दायित्व इस समिति को सौंपा गया।

२. ग्राम स्तर, संकुल एवं बी०आर०सी० स्तर पर समुदाय के साथ अनेक चरणों में बैठकें की गयीं। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षकों, संकुल प्रभारियों, बी०आर०सी० समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वयकों तथा स्वयं सेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। जनपद स्तर पर आयोजित बैठक में जनपद स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की जिलाधिकारी गाजीपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिनमें उभरे मुद्दों और आवश्यकताओं का आकलन किया गया, जिनका विवरण निम्नांकित है।

बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा	सुझाव
१.	१२.११.०१	जिला बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यालय, गाजीपुर	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक जिला एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (वै०शि०), जि० समन्वयक (समे०शि०), जिला सम० (सामु०सह०), लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप वि० निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी।	१. केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना सर्व शिक्षा अभियान क्यों? २. सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य । ३. सर्वशिक्षा अभियान के लिए १० वर्ष में पर्सपैक्टिव प्लान निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा एवं रणनीति। ४. प्लान निर्माण हेतु उत्तरदायित्वों को बटवारा। ५. जनपद की आवश्यकताओं पर चर्चा, डी०पी०ई०पी० के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की वर्तमान स्थिति।	१. सर्वशिक्षा अभियान के १० वर्षीय प्लान के निर्माण हेतु ग्रास रूट पर बैठक करवाकर आवश्यकताओं का आंकलन किया जाय तथा वहां से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाए। २. विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को योजना निर्माण बैठकें आयोजित करवा कर आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं संकलन हेतु जिम्मेदार बनाया गया। ३. डी०पी०ई०पी० की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई तथा इस कार्यक्रम के अच्छे परिणाम देने वाले कार्यक्रमों को और मजबूती से लागू करने तथा जिनके परिणाम अच्छे नहीं आये उन्हें नकारने अथवा उसमें सुधार लाने पर जोर दिया गया ।

२.	६.१२.०१	जिला परिणद सभागार गाजीपुर	अध्यक्ष, जिला पंचायत गाजीपुर, सभी जिला परिषद सदस्य प्रमुख क्षेत्र पंचायत जनपद, गाजीपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्ता एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक (वै०शि०), जिला समन्वयक (साम०सह०), जिला समन्वयक (सामेकितशिक्षा), जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सहायक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर तथा अन्य शिक्षाविद।	१. सर्व शिक्षा अभियान से अवगत कराना। २. डी०पी०ई०पी० के लक्ष्य अद्यतन प्रगति से अवगत कराना। ३. सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य उद्देश्य एवं रणनीति निर्माण पर परिचर्चा	१. डी०पी०ई०पी० के लक्ष्या की प्राप्ति हेतु अवशेष कार्यो को गति प्रदान करते हुये पूर्ण कराया जाय। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जनपद में समस्ता बच्चों को कक्षा ८ तक की शिक्षा उपलब्ध कराना । २. जनपद में ४५६४ का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का निन्हांकन किया गया है। इनके शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाय। ३. दलिता एवं पिछडे एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रा० शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु स्थानीय उत्साही, युवाओं का सहयोग लिया जाय। महिला मंगल दल, पुरुष मंगल दल, ग्राम शिक्षा समिति, अध्यापक, अभिभावक संघ का सहयोग लिया जाय। जनपद स्तरीय समस्त विभागों जैसे चिकित्सा विभाग, अर्थ एवं संख्या विभाग, जिला कार्यक्रम, समाज कल्याण विभाग, जिला अल्पसंख्यक, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वन विभाग, जिला पंचायत एवं अन्य विभागों की बैठक यथा समय करायी जाय और अभियान की सफलता हेतु यथासम्भव उनसे सहयोग प्राप्त किया जाय। ४. बैठक सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए समाप्त की गयी।
३.	२७.११.०१	पूर्व मा० वि० सदर,	स०बे०शि०अ० समन्वयक, सह समन्वयक, संकुल प्रभारी	१. पढ़कर क्या करेंगें।	१. एक पढ़े एवं एक अनपढ़ की तुलना कर लोगों को शिक्षा के लाभ बताये जाय। प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों में शिक्षा के

गाजीपुर	जनप्रतिनिधि	२. शिक्षण के प्रति अध्यापक उदासीन। ३. अध्यापक अनुदान के प्रयोग का प्रतिशत कम। ४. सम्पर्क का अभाव।

प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए।

२. अधिकतर विद्यालयों में दो अध्यापक तैनात है जिसके कारण शिक्षक का समय कक्षा १ से कक्षा ५ तक के सभी बच्चें को बैठाने में ही व्यतीत हो जाता है इस प्रकार प्रशिक्षण में प्राप्त नई विधाओं का प्रयोग शिक्षक नहीं कर पाता है।

३. अध्यापकों को मिलने वाले अध्यापक अनुदान का प्रयोग बहुत ही कम हो पा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षण के समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि शिक्षक इस धन का प्रयोग कितना कर रहा है।

४. अध्यापक द्वारा समुदाय से सामान्यतः सम्पर्क कम किया जा रहा है, जिसके कारण विद्यालय एवं गांव में दूरी बढ़ती जा रही है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा समुदाय से सम्पर्क जरूरी है।

५. विद्यालयों में दिये जा रहे संसाधनों जैसे सामान एवं धन का सही–सही प्रयोग/उपभोग हो रहा है अथवा नहीं इसके लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षण के समय दिये गये संसाधनों के प्रयोग/उपयोग को जरूर देखा जाए।

६. विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है। जिसके कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा

						है। शिक्षकों को मानक के अनुसार भर्ती किया जाय।
					७.	पिछड़े ग्रामों में वैकल्पिक केन्द्र खोला जाए ताकि वहां के बच्चों भी मुख्य से जुड़ सके।
					८.	प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा ५ पास करने के बाद नजदीक उ०प्रा०वि० न होने के कारण वे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।
४.	८.१२.०१	एन०पी० आर०सी० पकड़ी	संकुल सं०अ०	प्रभारी,	प्र०अ०,	१. लोगों द्वारा शिक्षा के महत्व को न समझना २. ग्रा० शिक्षा समिति को अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन होना । ३. संसाधन समूहों का कमजोर होना एवं आपस में लिंग का न होना। ४. बालक बालिका में भेद। ५. झुग्गी झोपड़ी तक शिक्षा की पहुंच कम	१. समुदाय में शिक्षा के महत्व को बनाया जाए ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़े एवं अपने बेटे–बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो सकें। २. ग्राम शिक्षक समिति का प्रशिक्षण समय–समय पर कराया जाए ताकि लोगों में कार्य एवं उत्तरदायित्व का बोध हो सकें। ३. न्याय पंचायत पर संकुल, विकास खण्ड स्तर पर बी०आर०सी० एवं जनपद स्तर पर डायट को मजबूत बनाया जाए तथा एक दूसरे का प्रत्यक्ष लिंक हो ताकि समस्याओं का निस्तारण एवं सहयोग सही समय पर हो सकें। ४. लिंग भेद दूर हेतु लोगों से सम्पूर्ण, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाय, एवं बालक–बालिका में समानता एवं कार्यकुशलता को बताया जाए। उन्हें यह भी बताया जाय

					६. असुरक्षा की भावना के कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित ।	कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाओं नहीं कर सकती हैं।
					७. मकतब–मदरसों में मजहबी शिक्षा देना।	५. झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की समस्याओं को समझना एवं उनके लिए उचिता मॉडल की शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।
						६. असुरक्षा फैलाने वाले लोगों की पहचान, उनको चेतावनी देना तथा इसके लिए सभी को मिल जुलकर कार्य करना होगा। क्योंकि बेटियां सभी के यहां हैं।
						७. मततब एवं मदरसों को कड़े निर्देश दिया जाये ताकि मजहबी शिक्षा के साथ–साथ निर्धारित पाठ्यक्रम जो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं, उन्हें भी पढ़ाया जाए।
५.	२७.११.०१	एन०पी० आर०सी० अंधऊ	संकुल सं०अ०, प्रधान	प्रभारी, प्र०अ०, अनुदेशक ग्राम	१. बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन ।	१. लोगों को जागरूक बनाकर लिंग भेद को मिटाया जाये।
					२. कक्षा–कक्ष की कमी।	२. प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा–कक्ष की आवश्यकता है जिसे पूरा किया जाए।
					३. विद्यालय में चहारदीवारी ने होने से विद्यालय भवन का असुरक्षित होना।	३. प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी बनाई जाए ताकि बच्चों को चहारदीवारी के भीतर एक समान माहौल मिले, साथ ही विद्यालय भवन भी सुरक्षित रहें।
					४. छात्रवृत्ति के बांटने की	४. बच्चों की छात्रवृत्ति ग्राम शिक्षा निधि के द्वारा दी जाये ताकि उसे समय से मिल सकें।

				व्यवस्था उचित नहीं। ५. विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता को इंगित कर संबोधित करना।	५. विकलांग बच्चों को अक्षम न कहा जाए क्योंकि अक्षम कहने से उनमें हीन भावना आयेंगी और वे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े नहीं पायेंगे।
६.	२८.११.०१	एन०पी० आर०सी० डेढ़गांवों	संकुल प्रभारी, प्र०अ०, सं०अ०, शिक्षा मित्र	१. बालिका शिक्षा के प्रति उदासनीता । २. रोजगार परक शिक्षा का न होना। ३. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में शिक्षा की गमी। ४. शिक्षकों की कमी।	१. समुदाय में बालिका शिक्षा के प्रति सोंच विकसित किया जाए। २. प्राथमिक विद्यालयों में शुरू से ही बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए ताकि पढ़ने के बाद बच्चे रोजगार की तरफ उन्मुख हों। ३. पर्दा प्रथा के कारण अल्पसंख्यकों की बेटियां स्कूल नहीं जा पाती है जिसके कारण वे अनपढ़ रह जाती हैं। इन बच्चियों के लिए बैकल्पिक केन्द्र खोला जाए। ४. शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती हैं। एक शिक्षक पांच कक्षाओं के बच्चों को सिर्फ बैठाने में लग जाता है इसलिए प्रत्येक विद्यालय में ५ शिक्षक दिये जायें।
७.	२६.११.०१	एन०पी० आर०सी० देवकली	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, संकुल प्रभारी, अध्यापक	१. अध्यापकों की कमी के कारण अध्यापक कार्य के प्रति उदासीन ।	१. अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय। प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक दिया जाए।

		गाजीपुर तथा जन प्रतिनिधि		२. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का समय से वितरित न होना।	२. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरित कर दिया जाए ताकि बच्चों को समय से पुस्तक प्राप्त हो जाये।
				३. कक्षा–कक्षों की कमी।	३. प्रत्येक विद्यालय में ५ कक्षा कक्ष दिये जाये।
				४. अध्यापक अनुदान का सही उपयोग न होना।	४. अध्यापक अनुदान न दिया जाये।
				५. ग्राम शिक्षा निधि खाते का संचालन ।	५. ग्राम शिक्षा निधि खाते का संचालन प्र०अ० के नाम से हो ताकि समय से धन की निकासी हो सकें और साफ–सफाई, साज–सज्जा, मानदेय समय से दिया जा सकें।
				६. बालिकाओं के उपर गृह कार्य का बोध डाल देना।	६. अभिभावकों को प्रेरित कर बालिकाओं के गृह कार्य के बोध को कम करवाया जाये ताकि बालिकायें भी पढ़ सकें।
८.	२६.११.०१	एन०पी० आर०सी० मरदह	जागरूक लोग, ग्राम शिक्षा समिति, संकुल प्रभारी, अध्यापक	१. समुदाय की भागीदारी का अभाव ।	१. समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रा०शि०स० का प्रशिक्षण समय–समय कर कराया जाय।
				२. अध्यपकों की कमी।	२. अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाये। हर कक्षा के लिए एक अध्यापक होना आवश्यक है।
				३. कामकाजी बच्चों हेतु अलग से व्यवस्था नहीं।	३. काम काजी बच्चों हेतु उनके समय से अनुसार शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
				४. कक्षा–कक्ष का अभाव।	४. विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं उनके हिसाब से कक्षा–कक्षा

				५. शिक्षा मित्रों को दुबारा प्रशिक्षण ।	५. शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों की तरह सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय।
				६. बालिका घर के अन्दर काम करें, पढ़कर क्या करेंगी।	६. समुदाय को बताया जाए कि बालिक घर के अन्दर की वस्तु नहीं है बल्कि वह भी औरों की तरफ सभी कार्यो को कर सकती है, बस उसे अवसर दिया जाए।
६.	२८.११०१	पूर्वमा० वि० करीमुद्दीनपुर	ग्राम शिक्षा स० के सदस्य, सह समन्वयका एवं जागरूक लोग	१. शिक्षकों पर शिक्षा के अलावा काम का अतिरिक्त बोझ।	१. शिक्षकों से सिर्फ शिक्षण का कार्य लिया जाय तथा अन्या कार्यो हेतु स्वयं सेवी संस्था के लोगों को लगाया जाए।
				२. अशिक्षित अभिभावक	२. अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को समझाया जाय तथा अशिक्षित होने से किन–किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको समझाया जाय।
				३. विद्यालय के प्रति समुदाय का उदासीन होना।	३. विद्यालय के प्रति समुदाय को जागरूक बनाया जाय। समय–समय पर ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जाय।
				४. अच्छे बच्चों को सरकार द्वारा पुरस्कृत नहीं होना।	४. अच्छे बच्चों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाय।
१०.	२८.११.०१	एन०सी० आर०सी० अमहट	संकुल प्रभारी, प्र०अ०, स०अ० शिक्षा विद् एवं शिक्षा समिति को सदस्यगण	१. शिक्षकों की कमी।	१. प्रत्येक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य बाधित होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक की व्यवस्था की जाय।
				२. शिक्षकों को अन्य कार्यो में लगाना।	२. शिक्षकों को प्रति वर्ष अन्य कार्यो में लगाया जाता है जिसके

३. विद्यालय में चहार दिवारी न होने से ग्रामीणों द्वारा विद्यालय परिसर में पशुओं को बांध दिया जाता है तथा खेती के समय अनाज निकालने का काम विद्यालय प्रांगण में ही किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है।

४. अधिकांश विद्यालयों में कक्षा–कक्ष की अत्यनत कमी।

५. विद्यालय भवनों के रख–रखाव में समुदाय की उदासनीता।

६. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण का स्थानीय होना। इसके कारण शिक्षक उनकी बातों का गम्भीरता से नहीं सुनते।

कारण प्रत्येक वर्ष अनेकों कार्य दिवस बेकार चले जाते हैं इसलिए शिक्षकों को इन कार्यों में न लगाया जाए। इनके स्थान पर स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं को लगाया जाय।

३. विद्यालय के चहारदीवारी बनवाया जाय ताकि उसके परिसर को शैक्षिक माहौल के अनुरूप ढाला जा सकें। फूल–पत्ती, पेड़ पौधे लंगाये जा सकें।

४. प्रत्येक विद्यालयों में ५ कक्षा कक्ष बनवाये जायें ताकि प्रत्येक कक्षा के बच्चों को अलग–अलग बैठाया जा सकें।

५. विद्यालय भवनों के प्रति समुदाय काफी लापरवाह एवं उदासीन रहते हैं। इसके लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया जाए ताकि वे विद्यालया को अपना समझ सकें।

६. प्रशिक्षकों को दूसरे विकास खण्डों से लिया जाय।

७. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक एवं उपकरण प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर उपलब्ध करायी जाय।

				७. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक एवं उपकरण का अभाव।	
११.	२७.११.०१	एन०सी० आर०सी० मनिहारी	संकुल प्रभारी, प्र०अ० स०अ०	१. प्रत्येक विद्यालय पर शिक्षकों की कमी।	१. प्रत्येक विद्यालयों पर कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था की जाए।
				२. बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता।	२. शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए ताकि सभी को शिक्षाा मिल सकें। अभिभावकों को प्रेरित किया जाय और सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाय।
				३. प्रशिक्षण के बाद भी शिक्षक उदासीन।	३. शिक्षकों की कमी के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी शिक्षकों में उदासनीता का अभाव देखा जा रहा है।
१२.	२७.११.०१	एन०सी० आर०सी० युसुफपुर	ग्राम शिक्षा स० के एवं अन्य शिक्षा विद्	१. विद्यालय की कमी।	१. जिन गांवों में विद्यालय नहीं है वहां पर विद्यालय खोले जाये ताकि बच्चों खासकर बच्चियों को दूर न जाना पड़ें।
				२. गरीबी।	२. गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में निःशुल्क भोजन, कपड़े तथा पाठ्य पुस्तकों दी जाय।
				३. संसाधनों की कमी।	३. पठन–पाठन से संबंधित जिस संसाधन की कमी विद्यालय में हो उनकी पूर्ति की जाय।
				४. व्यवसायिक शिक्षा की कमी।	४. प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चों को व्यवसाय परक शिक्षा दी जाय ताकि पढ़कर निकलने के बाद वह अपने मन पसन्द व्यवसाय का चुनाव कर सकें।
				५. लिंग भेद।	

				५.	समुदाय से लिंग भेद को प्रशिक्षण देकर दूर किया जाय।
१३.	२८.११.०१	पूर्व मा० वि० सादात	ग्राम शिक्षा स० का सदस्य	१. अध्यापकों की कमी। २. अध्यापकों पर अन्य कार्यों का बोझ। ३. चहारदीवारी का न होना। ४. बालिका शिक्षा के प्रति उदासनीता।	१. अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। २. अध्यापकों को बहुकर्मी बना दिया गया हैं कोई भी राष्ट्रीय कार्य हो, कोई भी गणना हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो अध्यापकों पर उस कार्य को लाद दिया जाता है। इस प्रकार अध्यापक अपना कार्य भूल गये हैं तथा दूसरे विभाग के कार्यों में ही उलझे रहते हैं। ३. प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी हो, ताकि विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाया जा सकें। ४. समुदाय आज भी बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन है। उन्हें जागरूक बनाया जाय तथा उनके मन में यह धारणा विकसित की जाय कि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है।
१४.	२८.११.०१	पूर्व मा० वि० परिवार	ग्राम शिक्षा स० का सदस्य	१. विशेष समूह के बच्चें जैसे झुग्गी झोपड़ी, अपवंचित एवं विकलांग बच्चों पर ध्यान का न होना।	1. ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन पर विशेष ध्यान आवश्यक है। इनके लिए वैकल्पिक केन्द्र एवं अन्य आवासीय शिविर लगाना चाहिए। 2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती है। रोजगार परक शिक्षा हेतु विशेष

				२. रोजगार परक शिक्षा का अभाव।	कदमा उठाना आवश्यक है।
				३. प्रभावी शिक्षण का अभाव।	3. शिक्षकों की कमी के कारण एवं शिक्षकों की उदासनीता प्रभावी शिक्षण के मार्ग में मुख्य बाधा है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर इस बाधा को दूर किया जा सकता है।
				४. किस भी कार्यक्रम हेतु समुदाय में ओनररसीप का न होना।	4. प्रशिक्षण के द्वारा एवं प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को कार्यक्रम के बारे में बताया जाए तथा उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी जाए। इसके पश्चात् उनमें ओनररसीप की भावना पैदा की जाए।
				५. सही आंकड़ों का एकत्रीकरण नहीं है।	5. किस भी योजना को बनाते समय आंकड़ों का एकत्रीकरण इमानदारी पूर्वक किया जाए जैसे ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण के समय कितने बच्चें स्कूल से बाहर है जितने को छात्रवृत्ति दिलानी है, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कितने धन मरम्मत चाहिए, कितने भवन की आवश्यकता है। इस सभी के लिए इमानदारी पूर्वक आंकड़े एकत्र करने होंगे।
१५.	२८.११.०१	प्रा०वि० सैदपुर	ग्राम शिक्षा स० के सदस्य	१. आंकड़ों का सही न होना।	१. योजना बनाते समय आंकड़े की जांच कर ली जाय कि वे आंकड़े सही है अथवा नहीं। अक्सर देखा जाता है कि आंकड़े देते समय आंख मूदकर आंकड़े दे दिये जाते है। इन आंकड़ों को पारदर्शी बनायी जाए।
				२. लिंग भेद।	२. लिंग भेद को प्रचार–प्रसार के द्वारा समाप्त किया जाय।
				३. किसी भी प्रकार के धन का समय से न मिलना	

				।		
				४. झुग्गी झोपड़ी, कामकाजी बच्चें मुख्य धारा से वंचित।	३.	शासन द्वारा दिये वाजे किसी भी धन की निकासी समय से नहीं होती है। कार्यालय, बैंक होते हुए धन जहां पहुंचनी चाहिए वहां समय से नहीं पहुंचता है। समय से धना पहुंचने पर उसका व्यय भी उचित तरीके से होता है अन्यथा उसका उपभोग सही–सही नहीं हो पाता है।
					४.	इस तरह के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र,ा ई०जी०एस० केन्द्र आदि खोलें जाय।
१६.	२८.११.०१	एन०पी० आर०सी० बिरनो	संकुल प्रभारी, प्र०अ० स०अ०	१. अध्यापकों की कमी।	१.	१:४० के मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति
				२. शिक्षणेत्तर कार्यो का बोझ।	२.	शिक्षकों से सिर्फ शैक्षिक कार्य लिये जाये ताकि विद्यालयों में पठन–पाठन का माहौल बन सकें।
				३. गरीबी	३.	कक्षा १ से ८ तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाय।
				४. बच्चों का कामकाजी होना।	४.	कामकाजी बच्चों के लिए उनके समय के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
				५. कक्षा–कक्षों की कमी।	५.	प्रत्येक विद्यालय में पांच कक्षा–कक्षों की व्यवस्था की जाय ताकि बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकें।
				६. पोषाहार का वितरण महीने में किया जाना उचित नहीं है।	६.	पोषाहार का वितरण बच्चों में प्रतिदिन दिया जाय। बच्चों को उक्त पोषाहार से पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाय।
				७. छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि तलीय खाते में		

				निधि तृतीय खाते में भेजना उचित नहीं।	७. छात्रवृत्ति का धन ग्राम शिक्षा निधि में भेजा जाए ताकि प्रधानाध्यापक उसे निकालकर तुरन्त बांट दें।
१७.	२७.११.०१	पूर्व मा० विद्यालय भांवर कोल	ग्राम शिक्षा स० के सदस्य	१. दोहरी शिक्षा नीति। २. पढ़कर क्या करेंगे की सोच। ३. स्वामित्व की भावना का अभाव।	१. दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर प्रत्येक विद्यालय चाहे वे प्राईवेट विद्यालय हो, मकतब मदरसा हो तथा परिषदीय विद्यालय हो सभी विद्यालयों में एक समान शिक्षा दी जाए। २. लोगों के मन में से इस धारणा को निकालना होगा, उन्हें बताना होगा कि १०० से में सिर्फ १ को नौकरी मिलती है तो क्या ६६ मर जाते हैं। उन ६६ मर जाते है। उन ६६ में से अधिकार उस एक नौकरी पाने वाले से बेहतर जीवन जीते हैं। इस तरह से लोगों को पढ़ने हेतु प्रेरित करना होगा। ३. लोगों में विद्यालय के प्रति स्वामित्व की भावना का विकास करना होगा। उन्हें बताना होगा कि विद्यालय तुम्हार है इसमें पढने वाले बच्चें तुम्हारे हैं। यह विद्यालया तुम्हारे सुख–दुःख में काम आयेगा।
१८.	२८.११.०१	पूर्व मा० वि० जमानियाँ	ग्रा०शि०स० के सदस्य, समन्वयक बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० तथा अन्य जागरूक जन प्रतिनिधि।	१. शिक्षकों की कमी। २. असेवित बस्तियों में प्रा०वि० की स्थापना। ३. उ०प्र० विद्यालयों की	१. विद्यालय में शिक्षकों की कमी है जिसके कारण समय–समय पर प्रशिक्षण लेने के बाद भी शिक्षक उन प्रशिक्षणों को कक्षा–कक्षों तक पहुंचा नहीं पाते हैं शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाय तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक दिया जाए।

				कमी।	२. असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जाय, ताकि सभी बच्चों शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।
				४. विद्यालयों के भवन एवं परिसर असुरक्षित।	३. तीन किलोमीटर के घेरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण कक्षा ५ की पढ़ाई पूर्व करने के बाद बच्चें उच्च प्राथमिक की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उच्च प्राथमिका विद्यालय की आवश्यकता है।
				५. लिंग भेद।	४. विद्यालयों के भवनों एवं संसाधनों के रख–रखाव के लिए चहारदीवारी की आवश्यकता है।
				६. अन्य गरीब बच्चों को आर्थिक प्रोत्साहन	५. समाज के अभी भी लिंग भेद बरकार है जिसके कारण लोग अपनी बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। इनको जागरूक बनाना होगा तथा उन्हें यह बताना होगा कि लड़के एवं लड़की में कोई अन्तर नहीं है।
					६. विद्यालय के अन्य गरीब बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए।
१६.	२८.११.०१	पूर्व मा० वि० सेवराई	ग्रा०शि०स० के सदस्य	१. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण।	१. कक्षा १ से ८ तक के सभी बचें को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाये।
				२. शिक्षकों की कमी।	२. प्रत्येक प्रा० वि० में १:४० के अनुपात में शिक्षक दिये जायें।
				३. कक्षा–कक्षों की कमी	३. प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराया जाए।

४. गरीबी।	४. गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाय।
५. बालिकाओं के विद्यालय के प्रति उदासीनता ।	५. बालिकाओं को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु विद्यालय में ही सिलाई, कढाई, कताई आदि शिक्षा दी जाय।
६. मकतब, मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा।	६. मकतब एवं मदरसों में भी प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यपुस्तक को लागू किया जाय ताकि वहां मजहबी शिक्षा के साथ–साथ व्यवहारिक एवं सामाजिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके।
७. लिंग भेद।	७. समुदाय से लिंग भेद दूर किया जाए।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग–

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के उन्नयन हेतु जिन विभागों से सहयोग प्राप्त होता रहा है वे निम्नलिखित हैं–

१. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभागः– प्रत्येक वर्ष इस विभाग के सहयोग से परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बालक एवं बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है और आगे भी कराया जायेगा। मेडिकल एसेसमेन्ट भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाता है जिसके अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपस्कर एवं उपकरण का निर्धारण, विकलांग प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण एवं मेडिकल एसेसमेन्ट आगे भी कराया जाता रहेगा। प्रत्येक प्रा० विद्यालय पर बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड/रजिस्टर उपलब्ध है, जिसपर परीक्षण के समय पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है।

२. समाज कल्याण विभाग :– इस विभाग द्वारा प्रत्येक पर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात के बालक–बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रा० विद्यालय के बच्चों को रू० ३००/– एवं उच्च प्राथमिक के बच्चों को रू० ४८०/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

३. अल्प संख्यक कल्याण विभाग :– इस विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालय के अल्प संख्यक बालक–बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

४. विकलांग कल्याण विभाग :– इस विभाग के सहयोग से जनपद के विकलांग बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

५. आई०सी०डी०एस० विभाग :– ३ से ६ वय वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने हेतु इस विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्यालय से जोड़ने में इस विभाग का काफी सहयोग मिला है।

६. आपूर्ति विभाग :– इस विभाग द्वारा परिषदीय प्रा० विद्यालयों को छात्र–छात्राओं को जिनकी विद्यालय में ५० प्रतिशत उपस्थिति होती है। प्रत्येक महीने ३ कि०ग्रा० प्रति छात्र की दर से मध्यान्ह भोजन अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण किया जाता है।

७. उत्तर प्रदेश जल निगम/यू०पी० एग्रो :– इन दोनों विभागों के सहयोग से प्रा० विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की गयी है।

८.जिला ग्राम्य विकास अभिकरण :– यह विभाग भवनों के निर्माण में शिक्षा विभाग द्वारा ४० प्रतिशत धन तथा जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा ६० प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाता है। इसके समन्वयक द्वारा विद्यालयों का निर्माण कराया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में भी इस विभाग से प्राप्त किया जायेगा।

९. ग्राम्य पंचायतों से समन्वय :– असेवित बस्तियों में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में ग्राम पंचायत का सहयोग मिलता है।

१०. युवा कल्याण विभाग :– युवा कल्याण विभाग द्वारा छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता कराई जाती है ताकि उनमें खेल विकास निकाय भावना का विकास होता है, जो नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से नामांकन का कार्यक्रम चलाया जाता है।

अध्याय ४

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कक्षा १ से ८ तक गुणवत्ता एवं उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम "सर्वशिक्षा अभियान" आच्छाप्रेत हो रहे हैं। जनपद गाजीपुर भी इनमें शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान के संचालन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान के अनुपात में ९ वीं पंचवर्षीय योजना में ८५:१५ का रखा गया है। अंशदान का यह अनुपात १० वीं पंचवर्षीय योजना में ७५:२५ तथा ११वीं पंचवर्षीय योजना में ५०:५० का होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

२००६ तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय वापस चलो कैम्पों के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

२००७ तक समस्त बच्चों द्वारा ५ तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

२०१० तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा ८ तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

संतोषजनक तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्ष प्रदान करना।

जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर २००७ तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर २०१० तक समाप्त करना।

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

०६–१४ वय वर्ग के सभी बच्चों को २०१० तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्राथमिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कंराना।

सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर संबंधी विषमताओं को दूर करना।

ई० सी०सी०ई० के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार ०–१४ करना।

आई०सी०डी०एस० के प्रयास को समर्थन देना एवं जहां आई०सी०डी०एस० का क्षेत्र नहीं है वहां विशेष पूर्ण विद्यालयीय शिक्षा उपलब्ध कराना।

वर्ष २०१० तक शतप्रतिशत धारण।

उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को जनपद गाजीपुर के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकार लिया गया है साथ ही साथ जनपद गाजीपुर के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं–

नामांकन के लक्ष्य

राष्ट्रीय जनगणना २००१ से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं साथ ही गाजीपुर जनपद की जनसंख्या भी प्राप्त हो चुकी है। उक्त आंकड़ों के आधार पर जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर २.६१ प्रतिशद है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित "इनरोलमेंट रेशियोमेथेड" से २००२–२०१० तक प्रक्षेपित किया

जाता है वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (६–११) के लिए वर्ष २००३ तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है चूंकि कुल नामांकन में कुछ अधिक उम्र के बच्चे तथा कुछ कम आयु के बच्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए जी०ई०आर० का लक्ष्य १०० से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर वर्ष २००७ के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी। क्योंकि जितने बच्चे ६–११ वय वर्ग व ११–१४ वय वर्ग में बढ़ेगें उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगें।

वर्ष २००१ से २०१० तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की ६–११ वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा ११–१४ की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत है।

उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक तीन वर्ष बाद ड्राप आउट को ज्ञात करने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि वर्ष २०००–०१ में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर २३ प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर दर १८ है। सर्वेक्षण/अध्ययन द्वारा यह पता चलता है कि जनपद में ड्राप आउट निम्नलिखित कारणों से बना हुआ है।

कुछ स्थानों पर विद्यालय बच्चों की पहुँच से दूर हैं।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण रोजी रोटी में लग जाना।

अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वरोजगार की ओर आकर्षण।

सीखने–सीखाने की प्रक्रिया का अरूचिकर होना।

अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा के प्रति कम जागरूक होना।

खेती–बारी व छोटे की देखभाल में बड़े भाई बहनों का घर रूकना।

समुदाय की सहभागिता/सहयोग का पूरी तरह न मिलना।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत उपर्युक्त कारणों को दूर करने के लिए अलग–अलग कारणों को दूर करने के लिए अलग–अलग कार्यक्रम चलये जा रहे हैं। फिर भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन कारणों को हटाने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता बालिका शिक्षा एवं अन्य प्रशिाण/कार्यशालाओं ने ड्राप आउट को प्रभावित करने वाले कारणों को समाहित कर देर करने का प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष २००७–०८ तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष २००६–१० तक उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की समस्या को दूर किया जा सकेगा।

सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत विशेषतायें

विद्यालयीय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी से ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव गुणवत्तापरक शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु प्रयास अपेक्षित

सभी बच्चों की क्षमता विकास के अवसर सुलभ कराना

सर्वशिक्षा अभियान क्या है?

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम

बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना

ग्राम रूट से जुड़ी संस्थाओं : पंचायत, वीईसी, यूईसी, पीटीए तथा एसटीए आदि की विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना

समस्त भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति

केन्द्र राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच एक गठबन्धन

प्रारम्भिक शिक्षा का अपना विजन विकसित करने का राज्यों को अवसर प्रदान करना

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य

६–१४ वय वर्ग के सभी बच्चों को २०१० तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सामानिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

ई सी सी ई के माडल को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार ०–१४ करना, आई सी डी एस के प्रयास को समर्थन देना एवं जहां आई सी डी एस का क्षेत्र नहीं है वहां विशेष पूर्व विद्यालीय सेवा उपलब्ध कराना।

ई सी सी ई के महत्व को देखते हुए वयवर्ग का विस्तार ०–१४ करना, आई सी डी एस के प्रयास को समर्थन देना एवं जहां आई सी डी एस का क्षेत्र नहीं वहां विशेष पूर्व विद्यालयीय सेवा उपलब्ध कराना।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

२००३ तक सभी बच्चों का अनौपचारिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्रों वैकल्पिक विद्यालय वापस विद्यालय चलां कैम्पों आदि में नामांकन।

२००७ तक कक्षा ५ तक की शिक्षा सभी पूरी करें।

२०१० तक कक्षा ८ तक की शिक्षा सभी पूरी करें।

संतोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

जेन्डर तथा समाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर तक २००७ तक तथा प्रारम्भिक स्तर तक २०१० तक समाप्त करना।

शत प्रतिशत २०१० तक।

केन्द्र द्वारा दिशानिर्देश के स्थान पर ढ़ांचा प्रदान करनाः–

जिससे राज्य अपनी आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश तय कर सकें।

जिससे जनपद अपनी स्थानीय विशेषताओं/आवश्यकताओं का समावेश कर सकें।

जिससे स्थानीय तथा आवश्यकता जनित योजना का निर्माण हो सके।

जिससे योजना निर्माण को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके।

सर्वशिक्षा अभियान की विस्तृत रणनीतियांः–

प्रदान किए जाने वाले विभिन्न अवयवों के प्रभावी निष्पादन हेतु संस्थागत ढ़ांचे में आवश्यक परिवर्तन

कार्यक्रम को सस्टेनेबिल बनाने हेतु केन्द्र तथा राज्यों के बी लम्बी अवधी का करार।

कार्यक्रम के प्रति समुदाय में ओनरशिप पैदा रिने के लिए प्रभावी विकेन्द्रीयकरण।

संस्थागत दक्षता संवर्धन हेतु सीपा, एन सी ई आर टी, एन सी ओ ई ए सी आर टी, सीमेट तथा डायट जैसी संस्थाओं का विकास जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास तथा उसे सतत् बताये रखने में सहयोग मिल सके।

पूर्ण पारदर्शिता के साथ समूदाय आधरित अनुश्रवण, ई एम आई एस तथा माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का मिलान

बस्ती को नियेजन की ईकाई बनाना

बालिका शिक्षा विशेषकर अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अल्पसंख्यक को प्राथमिकता।

विशेष समूह के बच्चों पर ध्यान झुग्गी झोपड़ी अपवंछित विकलांग आदि।

प्रोजेक्ट पूर्व क्रियाकलाप –प्रोजेक्ट निर्माण से पूर्व सुनियोजित क्रियाकलाप घर–घर सर्वेक्षण सूक्ष्म निोजन एवं विद्यालय मानचित्रण, समुदाय का प्रशिक्षण, परीक्षण अध्ययन (डाइगनोरिटक स्टडी) जनजागरण आदि।

गुणात्मक शिक्षा पर बल–उपयोगी एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रम निर्माण बाल केन्द्रित एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम क्रियायें।

अध्यापक की भूमिका पर बल –योग्य अध्यापकों का चयन तथा उन्हें दक्ष बनाने के लिए बी आर सी/ सी आर सी का निर्माण पाठ्यक्रम` जुड़ी सामग्री विकास में उनका योगदान शैक्षिक भ्रमण आदि के माध्यम से जागरूक बनाना।

जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का निर्माण – उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) का निर्माण जिसमें समग्रता तथा समन्वयन हो। साथ ही प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण जिसमें क्रिया कलापों की प्राथमिकतायें तय हों एवं पूर्व की सफलताओं एवं गलतियों से सीखने की बात हो।

सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी एवं निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी :–

प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिक करण में निजी संस्थाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सरकार एवं निजी तंत्र किन–किन क्षेत्रों में सहयोग/साझेदारी कर कते हैं इसकी संभावना को तलाशना। राज्य निजी संस्थाओं के अध्यापकों को डायट के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक नोति बना सकते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय मानक

योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य अंशदान
नवीं	१९९७–२००२	८५–१५
दशवीं	२००२–२००७	७५–२५
ग्यारवीं	२००७–२०१२	५०–५०

राज्यों के अंशों की वचनबद्धता स्वीकारोक्ति लिखित की जाती है।

राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय के स्तर को वर्ष १९९९ से २००० के आधार पर बनाये रखना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों का अंश उपयुक्त व्यय के उपर होगा।

केन्द्र की प्रथम किस्त को छोड़कर अन्य किस्त तभी जारी होगी तब प्रत्येक बार के केन्द्र राज्य अंश राज्य क्रियान्वयन समिति को स्थानांतरित कर दिये जायेगें।

ए एस ए के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का वेतन अंश उपयुक्त सारणी के अनुसार केन्द्र व राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

बाह्य एजेन्सियों द्वारा सहमति कार्यक्रम तब तक जारी रहेगें तब तक उनकी परामर्श से कोई विशेष फेर बदल नहीं की जाती।

राष्ट्रीय बाल भवन, एन सी टी ई तथा मध्याहन योजना के अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं को नवीन योजना के बाद एस एस ए में समाहित कर दिया जाएगा।

जिला शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों/मोडम पी एम जी वाई पी एम आर वाई, सांसद/विधायक फंड आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

विद्यालय विकास, मरम्मत, शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय आदि तथा स्थानीय प्रबंधन से संबंधित निधियों को स्थानीय प्रबंधन समितियों (वी ई सी, एम टी ए, पी टी ए आदि) का स्थानांतरित करना।

प्रोत्साहन की अन्य योजनायें छात्रवृत्ति गणवेश आदि जो राज्यों द्वारा चलायी जा रही हैं जारी रहेंगी। तथा एस एस ए द्वारा इनकी फंडिंग नहीं की जाएगी।

शैक्षिक वर्ष २००२–२००३ की ई०एम०आई०एस० के अनुसार नामांकन की स्थिति

सारणी

	६–११ आयु वर्ग की कुल			पंजीकृत कुल संख्या			
वर्ष		योग					GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
२००२-२००३	२५००३०	२२७७६३	४७७७६३	२४१७६४	२२३१७५	४६४६६६	१०२.७५

जनपद का नामांकन एन०ई०आर० निम्नांकित हैं

सारणी

	६–११ आयु वर्ग की कुल			पंजीकृत कुल संख्या			
वर्ष		योग					NER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
२००२-२००३	२५००३०	२२७७६३	४७७७६३	२४१७६४	२२३१७५	४६४६६६	६७.३

सारणी ४.१

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्रस.	वर्ष	०६–११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुलनामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	NER	बालिका+अनु जाति बालकों की सं०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
9.	2003-2004	477793	464969	162739	302230	12824	97.3	311529
10.	2004-2005	487294	487294	170552	316739	0		326487
11.	2005-2006	497039	497039	173963	323076	0		333016
12.	2006-2007	506979	506979	177443	329536	0		339625

सारणी ४.२

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्रस.	वर्ष	११–१४ वय वर्ग के कुल बच्चो की संख्या	कुलनामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय मे नही जा रहे है (वर्षवार)	NER	बालिका+अनु जाति बालकों की सं०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
13.	2003-2004	211702	200760	140532	60228	10942		134509
14.	2004-2005	215936	215936	148133	67803	0		144677
15.	2005-2006	220254	220254	151085	69169	0		147570
16.	2006-2007	224660	224660	154123	70543	0		150522

स्रोत–प्रक्षेपण।

जनपद में प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००१–२००२ में ६२ प्रतिशत एन.ई.आर. का लक्ष्य रखा गया है जो कि २००२–२००३ में ६५ प्रतिशत वर्ष २००३–२००४ में नामांकन का सार्वभौमिक लक्ष्य १०० प्रतिशत प्राप्त कर लिया जायेगा।

परि. प्राथमिक वि. में आवश्यक शिक्षक

क्र.	वर्ष	परि.कुल नामा.बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग ३ व ४	४०: १ से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७	८
1	2003&4	302230	5208	1332	6540	7555	1015
2	2004&5	316739	5716	1839	7555	7918	363
3	2005&6	323076	5898	2020	7918	8077	159
4	2006&7	329536	5978	2099	8077	8236	159

क्र	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन के शिक्षक	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
१	२	३	४	५	६
१	२००३–४	1015	0	508	507
२	२००४–५	363	o	182	181
३	२००५–६	159	o	80	79
४	२००६–७	159	o	80	79

परि. प्राथमिक वि. में आवश्यक कक्षा कक्ष

क्र.	वर्ष	परि.कुल नामा.बच्चे	४०: १ से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन कक्ष	योग ५ एवं ६	आवश्यक कक्षाकक्ष वर्षवार मांग	
१	२	३	४	५	६	७	८	६
१	२००३–४	302230	7555	3615	96	3711	3844	500
२	२००४–५	316739	7918	7555	0	7555	363	362
३	२००५–६	323076	8077	7918	0	7918	159	
४	२००६–७	329536	8236	8077	0	8077	159	

नोटः–उक्त सारिणी के स्तम्भ ८ में यद्यपि कि आवश्यक कक्ष स्तंभ ६ की अपेक्षा अधिक है किन्तु स्तम्भ ६ में अपेक्षाकृत कम कक्ष की मांग मितव्ययी योजना निर्माण के उद्देश्यसे की गई है। तथा इस गणना में मात्र एक कक्षीय, दो कक्षीय विद्यालयों को न्यूनतम तीन कक्ष प्रदान करने का उद्देश्य ध्यान में रखा गया है।

उच्च प्राथ. में आवश्यक शिक्षक

क्र.	वर्ष	परि.कुल नामां.बच्चे	नवीन विद्यालय	१ : ५ शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	
१	२	३	४	५	६	७	
१	२००३–४	200	41	1205	821	384	
२	२००४–५	241	0	1205	1205	0	
३	२००५–६	241	0	1205	1205	0	
४	२००६–७	241	0	1205	1205	0	

उच्च प्राथ. में आवश्यक कक्षा कक्ष

क्र.	वर्ष	उ.प्रा. वि.	नवीन विद्यालय	१ : ४० से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष	मांग
१	२	३	४	५	६	७	८
१	२००३–४	200	41	1506	810	696	35
२	२००४–५	241	0	1695	1506	189	150
३	२००५–६	241	0	1729	1695	34	132
४	२००६–७	241	0	1764	1729	35	

नोटः–उक्त सारिणी के स्तम्भ ८ में मांग स्तंभ ७ में अंकित आवश्यकता कक्षा कक्ष की अपेक्षा कम अंकित है क्योंकि इस गणना में क्रमशः एक, दो, तीन एवं चार कक्षीय विद्यालयों को न्यूनतम ५ कक्ष प्रदान करने का उद्देश्य ध्यान में रखा गया है।

अध्याय –५

समस्यायें रणनीतियॉ

ग्राम स्तर संकुल स्तर तथा ब्लाक स्तर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन से प्राप्त अनुभवों एवं चिारों का संकलन यिका गया । इसी प्रकार स्कूल चलों अभियान की सफलता हेतु जनपउद स्तर पर आयोजित गोषि्ठयों एवं कार्यशालाओं में स्वैछिक संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रठितनिधियों की हराय जी गयी । उन कारणां को तलाशा गया जिनक कारण नामांकन व ठहराव की दिशा में सफलता नहीं मिल रही है गोषि्ठयों व कार्यशालाओं में बनी सहमतियों को भी संज्ञान में लेते हुए कार्यक्रम निर्माण में उनकों शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार फोकस ग्रुप डिस्कशनों जनप्रतिनिधियों तथा स्वैछिक संगठनपों के अनुभव चिारो के विश्लगेषणोपरा न्त जनपद महराजगंज में उपलबद्ध संसाधनो के सापेक्ष संतुलित व व्यावहारिक रणनीति बनाने कप निर्णय लिया गया। इस कम में मुख्य रूप से छात्र अध्यापक अनुपात में अध्यापकों की रियुक्ति मानक के अनुसार नवीन भवनों का निर्णय मरम्मत योग्य नवीन विद्यालयों के भवनों की मरम्मत विद्यालय भवनों का सौंदरीकरण शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करने की रणनीति बनायी गयी है। साथ ही साथ स्कूल से बाहर बचे` समस्त बालक /बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोडने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाये जायेगें। विभिन्न रतरों पर आयोजित बैठकों/गोषि्ठयों में चिार विमर्श के बाद प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सिमस्याओं एवं मुददे चिन्हित किये गये हैं जिनके समाधन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियॉ इस प्रकार है:–

क०सं०	समस्याएँ	रणनीतियाँ
(क) १–	<u>छात्र नामांकन सम्बन्धी:–</u> शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव तथा शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच	गरीब तथा अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच यह है कि शिक्षित हो जाने बाद भी बच्चा बेरोजगार रहता है वह पैतृक कारोबार से हटेगा। इस सोच को दूर करने के लिए अभिभावकों में जागरूकता का विकास किया जाएगा और उन्हें सहमत किया जायेगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मात्र रोजगार नहीं है अपितु व्यक्तित्व का विकास हैं।
२–	आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन के कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता	आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन शिक्षा के प्रतिनकारात्मेक सोच पैदा करते है जिसे दूर करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों की जागरूकता जागरूक व्यक्तियों का सहयोग महिला मंगल दल महिला सामाख्या बालविकास परियोजना की कार्यकत्री तथा स्वैच्छिक संगठपनसें की भगीदारी से जन सम्पर्क अभियान चलाया जाएण्गा। इसके लिए कला जत्था ए०एन०एम० द्वारा भी जन जागरूकता विकसित की

		जायेगी।
३—	बाल श्रमिको तथा उपनके अभिभावकों मे शिक्षा के प्रति उदासीनता	ऐसे बच्चे कजिो ६—१४ आयु वर्ग के है और किसी न किसी रूप में श्रमिक के रूप में धर अथवा बाहर कार्य कर रहे है उनको तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बनाने के लिए सघन अभियान चलाया जायेगा। इअसके लिए सर्वेक्षण ऑकडो का उपयोग किया जायेगा।
(ख) १	**शिक्षा की पहुच सम्बन्धी :—** असेवित बस्तियों में विद्यालय का न होना।	निर्धारित मानक १.५ कि०मी० की दूरी तथा ३०० से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्तियों में विद्यालय खोलें जायेगें। ६—८ वय वर्ग के कम से कम ३० बच्चों की उपलब्धता से १ किमी० की दूरी पर ई०जी०एस० केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
२	कुछ स्थानों पर भौगोलिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा में अवरोध ।	भौगोलिक कठिनाइयों जैसे जंगल नदी नाले कारण विद्यालय पहुच से दूर बच्चों के लिए शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी और इसके द्वारा उन बच्चों शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा।
३—	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की ठोस व्यवस्था ।	प्रत्येक विद्यालय, एन०पी०आर०सी० , बी०आर०सी० स्तर से विशेष आवश्यकता वाले ६—१८ आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कराया जायेगा। तदोपरान्त मेडिकल एसेसमेंट कराकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए०डी०आई०पी० के सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं के सौजन्य से उन बच्चों को आवश्यक उपष्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराया जायेगसा। इस प्रकार कम और मध्यम वर्ग के विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा प्रदान करपने हेतु शिक्षकों का संवेदपनशील बनाया जायेगा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा।
(ग) १—	**अभिप्रेरण :—** समाजिक सहभागिता का अभाव	ग्राम वासियों की सोच है कि विद्यालय सरकारी हैऔर उसकी सम्पत्ति सरकारी है। अतः उसकी देख रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। इसके स्थान पर उन्हे जागरूक बनाया जायेगा कि विद्यालय और विद्यालीय स मपत्ति स्थानीय समुदाय की है और समुदाय के लिए ही है। अतः इसके देख—रेख में उपनकी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग के विद्यालय विकास की रीणनीति बनायी जाएगी। ग्राम पंचायतें विद्यालय का सतत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेंगी। माइक्रोप्लानिंग में भी गांव के जिागरूक लोगों को ामिल किया जायेगा ।

		विद्यालयी वातावरण सृजन में सकिय भागीदारी ग्रामवासियों की जी जाएगी जैसे– स्वच्छता सुरक्षा, बागवानी तथा बच्चों के गणवेश बनाने में। गॉव में उपलब्ध ऐसे लोगों की सेवायें विषय के पढाने में ली जायेगी जो शिक्षित तथा उत्साहित हैं। इसके साथ ही प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए तथा निर्धन बच्चों को आर्थिक मदद के लिए समुदाय की भागीदारी ली जायेगी।
२–	बच्चों के गणवेश के प्रति अभिभावकों की उदासीनता	बच्चों को यूनीफार्म उनमें परस्पर समान्ताउ का भव विकसित करता है ताा विद्यालय में कए वातावरण सृजन में मिलती है स्कूली छात्र के स्कूल से बाहर भागने की पद्धति पर रोक लगाने में मदद मिलती है। बच्चों की पहचान बनती है तथा उनमें स्कूल जाने की पूर्ण तैयारी की आदत विकसित करने में सहायता मिलती है। अतः अभिभवकों को बच्चों को स्कूल में स्वच्छ गणवेश में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा यद्यपि यूनीफार्म अनिवार्य नहीं किया जायेगा किन्तु स्वच्छ वेशभूषा के प्रति बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को ध्यान देने के लिए बल दिया जायेगा।
३–	छात्र अभिभावक एवं शिक्षक के बीच बेहतर तालमेल का न होना।	बेहतर परिणाम के लिए अध्यापक का बच्चों एवं अभिभावकों से निरन्तर सम्पर्क एवं सामंजस्य की अनिवार्यता होती है इसलिए विद्यालय स्तर पर कम से कम त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जाएगा। जिसमें बच्चों की माताओं तथा उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। सम्मेलन /गोष्ठियों में बच्चों के अभिभावकों को उनके प्रगति की जानकारी दी जाएगी । अभिभावकों के अनुभव/विचारों का छात्र विशेष के संदर्भ में नोट ककिया जायेगा तथा विद्यालय की ओर से भी सहयोग हेतु उन्हें विशेष सुझाव दिये जायेगें। प्रयास यह भी रहेगा कि इन बैठकों में ग्राम शिक्षा समितियशें की सकिय भागीदारी हो।
(घ)	**विद्यालय में छात्र ठहराव संबंधी :–** प्राथमिक शिक्षा की उपादेयता के प्रति अभिभावकों की नकारात्मक सोच।	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए स्वावलम्बन तथा आत्म पिनर्भरता की भावना विकसीत करने के लिए व्यवसायिक शिखा के कार्यकमों को कियान्वयन किया जाएगा जैसे– ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाहिओं के लिए स्थानीय कापट सिलाहई कढाई बुनाई फल संरक्षण चटाई निर्माण, तथा नगरीय क्षेत्रों में मेंहदी, ललित कला, सिलाई कढाई व बुनाई जूट के कपडें के बैग बनाना आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा।
२–	भौतिक संसाधनों का अभाव।	छात्र संख्या के अनुपात में कक्षा–कक्षों की कमी, पेयजल, शौचालय फर्नीचर, चहरदीवारी आदि की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षा –कक्षों का निर्माण कराया

		जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी चारदीवारी के निर्माण के लिए क्रमशः प्रयास किया जायेगा।
३–	शिक्षकों का विद्यालय में कम ठहराव ।	शिक्षणेत्तर कार्यो के बहाने शिक्षकों का विद्यालय सेवाऐं बार बाहर जाना अथवा विद्यालय में रहते हुए शिक्षण कार्य न करने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए ब्लाक स्तर पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विकसीत की जायेगी जिससे बार–बार सूचनाओं के आदान प्रदान में समय की बचत की जायेगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्धारित पाठयक्रम में माहवार विभाजन को कठोरता पूर्वक कक्षा शिक्षण में लागू किया जायेगा। स०बे०शि० अ०/बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० प्रभारी इसका सतत् अनुश्रवण करेगें।
४--	विद्यालय का आकर्षक वातावरण का न होना।	बच्चों की बैठक व्यवस्थाा को सुविधा जनपक बनाने के लिए टाट पटटी की जगह प्लास्टिक की चटाई ४ ६ माप की क्रय करायी जाएगी। जिससे बच्चों को समूहों में बैठकर कार्य कराने एवं गतिविधियों में प्रतिभाग करने में सहूलियत होगी। फूल पत्तों, प्रांगण की स्वच्छता, काष्ठोपरकरण की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य की जायेगी।
५–	पाठ्य पुस्तकों के कारण गरीब बच्चों की पढाई में बाधा।	कक्षा १ से ५ तक के प्रत्येक बच्चों को पाठ्य पुस्तक प्रदान की जा रही है। इन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी रखा जायेगा। इसी प्रकार कक्षा ६,७,व ८ के छात्रों के लिए निःशुल्क पाटय पुस्तकों सभी बच्चों को प्रदान की जायेगी। ताकि गरीबी के कारण पाठ्य पुस्तकों के अभाव में बच्चों का पठप--पाठन बाधित न हों।
(ड.) १	गुणवत्ता बुद्धि सम्बन्धी :– अध्यापकों की कमी।	छात्र अध्यापक अनुपात के लिए निर्धारित मानक ४०:१ को ध्यान में रखते हुए प्रा० वि० में शिक्षा मित्रों तथा उच्च प्रा०वि० में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायगी।
२	उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत कतिपय शिक्षकों की कम शैक्षिक योग्यता ।	उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रोन्नति से आये ऐसे अध्यपापक जिनकी शैक्षिक योग्यता कम ता जिनका विषय ज्ञान धूमिल पड गया है उनके लिए सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त अलग–अलग चक्रों में विषय वार विषयवस्तु संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
४	अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य कराये जाने के काराण शिक्षण में अवरोध।	शिक्षकों से राष्ट्रीय महत्व के कार्यो को ही सम्पन्न करान में सहयोग लिया जायेगा। विभागीय सूचनाओं के आदान–प्रदान को शिक्षण कार्य पर कदापि हावी नहीं होने दिया जायेगा। बच्चों के पठपन–पाठन के प्रति उनहें उत्तरउदसायी बनाया जायेगा। प्राथमिक तथा उ०प्र० दोनों स्तरों परा विद्यालय, शिक्षक तथा छात्रों की सम्प्राप्ति का मूल्यांकन माहवार मानक बिन्दुओं के आधार पर किया

		जायेगा। तथा शिक्षक वेतन वृद्धि तथा चरित्र पंजिका में प्रविष्ठि की जायेगी।
५	शिक्षण के प्रति शिक्षकों में अरूचि होना।	कतिपय विद्यालयों में गुणवत्ता हास के पीछे उसमें कार्यरात शिक्षकों का शिखण के प्रति अरूचि का होना पाया गया है इसक लिए उनमें प्रतिस्पर्धा की भवना का विकास किया जायेगा। विषय वस्तु आधारित प्रतियोगिताए न्याय पंचायत, ब्लाक तथा जनपद स्तर पर की जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान व प्रशिाण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत की उपलब्धि को प्राप्त करना अनिवार्य हो इसके विपरीत दशा में संबंधित की वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी। बच्चों के सम्प्राप्त स्तर को भी शिक्षक की रूचि एवं उपलब्धि के रूप में देखा जायेगा।
६	छात्र सम्प्राप्ति का सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन का अभाव	परम्परागत परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रगति का समग्र मूल्यांकन करने में अक्षम साबित हुयी है अतएवं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्याकन प्रणाली अपनायी जाएगी। जिसके अन्तर्गत मासिक परीक्षणें, अर्द्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं तथा बच्चों के अभ्यास कार्यों को आधार बनाया जायेगा। संज्ञान सहगामी पक्ष को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। मूल्यांकन का लक्ष्य मात्र गलतियां पकडना न होकर बच्चों को सीखने सिखाने में हो रही कठिनाईयों का पता लगाना और उसमें सुधार के लिए रखा जाएगा। कमजोर व शैक्षिक दृष्टि से पिछडे बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जायेगी। तथा उनके लिए तेज बच्चों व समुदाय के शिक्षित उत्साही लोगों की मदद ली जायेगी।
७	शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग न होना।	शिक्षण प्रकिया को प्रभावी एवं सहज बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा इसके लिए एन०पी०आर०सी० /बी०आर०सी० स्तर पर टी०एल०एम० प्रयोग की कार्यशालऐं आयोजित की जायेगी। टी०एल०एम० प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु मटेरियल मेलों का आयोजित की जायेंगी एवं उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत कियाजायेगा किन्तु वह प्रदर्शन कक्षा शिक्षण में टी०एल०एम० प्रयोग को ही मुख्य आधार माना जायेगा खेलकुद का आयोजन में वृक्षारोपण एवं बच्चों एवं ग्रामवासियों की सकिय भागीदारी ली जायेगी।
८	छात्र अभ्यास पुस्तिकाओं में जॉच व संशोधन के प्रति उदासीनता।	प्रत्येक विषय के लिए छात्र अभ्यास पुस्तिका की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को जागरूक बनाया जायेगा। प्रत्येक माह शिक्षण के साथ साथ विविध अभ्यास प्रश्नों को हल कराना शिक्षक का उत्तरदायित्व

		निर्धारित किया जायेगा। कक्षाकार्य एवं गृह कार्य का नियमित संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए शिक्षकों को एन०पी०आर०सी० स्तर पर तीन दिपन का प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा। विद्यालय श्रेणीकरण में इस एक आधार माना जायेगा।
६	अध्यापकों का छात्र अनुपात मानक के अनुरूप न होना एवं उ०प्र० विद्यालय स्तर पर विषय अध्यापकों का न होना।	अधिक छात्र और कम अध्यापक तथा विद्यालय में कुल एक दो अध्यापक होने के कारण पठन पाठन की गुणवत्ता में हास होता रहता है। इसलिए निर्धरित मानक ४०:१ के अनुससार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। विशेषकर पूर्व मा० वि० में विषय जैसे गणित, विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत/उर्दू के पठन पाठन में व्यवधान होता रहता है। इसकी प्रकार गृहविज्ञान शिक्षण में भी शिखक के अभाव में भी कठिनाई आती है अतएवं गुणवत्ता वृद्धि हेतु विषय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित की गयी है।
१०	शिक्षक संदर्शिकाओं के कक्षा शिक्षण में प्रयोग के प्रति उदासीनता।	नवीन पाठय पुस्तकों के कक्षा शिक्षण में प्रभावी उपयोग हेतु प्राथ्ळामिक स्तर पर शिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिकायें विकसित की गयी हैं किन्तु शिक्षकों द्वारा उनके अनुप्रयोग के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की जा रही है बी०आर०सी० स्तर पर शिक्षक संदर्शिकाओं के अनुप्रयोग हेतु २ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी एवं विद्यालय स्तर पर कक्षा शिक्षण में उनके प्रयोग के लिए उन्हें उत्तरदायी बरनाया जायेगा। इसी प्रकार उ०प्र० स्तर पर भी संदर्शिकाओं के विकसित होने की दशा में कक्षा शिक्षण में अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय पर्यवेक्षण के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा विशेष बल प्रदान किया जायेगा।
(च) १	**संस्थागत क्षमता संबंधी :–** शैक्षिक सर्पोट (अनुसमर्थन) की व्यवस्था का प्रभावी न होना	**शिक्षकों** को विद्यालय स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए बी०आर०सी /एन०पी०आर०सी० /डायट मेंटर /जिला समन्वयकों के नियमित भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जायेगें। निम्न श्रेणी के अन्तर्गत चिह्नित विद्यालयों में ये भ्रमण अधिक किये जायेगें और ये अनुसमर्थन निरीक्षणकर्ता न होकर शिक्षकों एवं बच्चों के लिए अनुसमर्थन के रूप में कार्य करेगें । शैक्षिक अनुसमर्थन में कुशल बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण /कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।
२	बी०आर०सी० /एन०पी०आर०सी० स्तर पर लेखा नियमों की जानकारी तथा अभिलेखों के रखरखाव	डी०पी०ई०पी० के अतर्गत चलने वाली विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के संचालन हेतु बी०आर०सी० /एन०पी०आर०सी० तथा विद्यालयों पर जो धनराशिया सीमान्तरित की गयी हे उनके आय एवं व्यय से संबंधित अभिलेखें का रखरखाव सही ढंग से नहीं यिका गया। समय

	की जानकारी का अभाव ।	समय वपर सम्प्रेक्षण एवं उच्च अधिकारी द्वारा जॉच करने पर अनियमितताओं का आधार मुख्य रूप से संबंधित कर्मचारियों को लेखानियमों एव अभिलेखों के रखरखाव की जानकारी न होना पाया गया। उपर्युक्त के समाधान हेतु समस्त बी०आर०सी/एन०पी०आर०सी० प्रभारियों की जनपद स्तर पर तीन दिवसीय तथा बी०आर०सी स्तर पर समस्त प्र०अ० की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिससे संबंधित जानकारी उनको दी जा सके।
३	प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाइयों की पहचान एवं दूर करने के उपायों के लिए एक्शन रिसर्च की कमी।	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों क्षेत्रों में कठिनाइयों की पहचान एवं उनके निराकरण हेड ऐक्शन रिसर्च की सुनियोजित कार्ययोजना अमल में लायी जायेगी। शोध से प्राप्त निष्कर्षों को मासिक बैठकों /कार्यशालाओं के द्वारा शिक्षकों तक पहुॅचाया जायेगा।

अध्याय ६

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(नवीन औपचारिक विद्यालय)

नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना --

छोटे–छोटे बच्चों को दूरस्थ प्राथमिक विद्यालयों में पहुँचना अपने आप में कठिन हैं। नामांकन के बाद उनकी उन दरस्थ विद्यालयों में नियमित उपस्थिति और भी कठिन हो जाती है। इसलिये शासन द्वारा ३०० आबादी १.५ किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खेलने का संकल्प लिया गया। मार्च २००१ से डी॰ पी॰ई॰पी॰ के अन्तर्गत उक्त मानक अनुसार १५४ असेवित वस्तियाँ चिन्हित की गयी। इस प्रकार परियोजना पूर्व में १३३३ विद्यालय थे। जिसमें ४० भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका हे। इस प्रकार १२६३विद्यालय वर्तमान में है तथा ११४ विद्यालयों का निर्माण होना हैं। जनसंख वृद्धि के कारण वर्ष २००१–०२ के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में ८० असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित हैं। परन्तु सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त सांख्यिकी एवं फोकस ग्रुप डिस्कशन के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनपद में ४६३ ऐसी बस्तियां है जिनकी आबादी ३०० से अधिक है। तथा १ कि॰ मी॰ के परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इसी प्रकार १३२ ऐसी बस्तियां है जिनकी आबादी ३०० से अधिक है, परन्तु जिनकी विद्यालय से दूरी १.५ कि॰ मी॰ से अधिक है। इस प्रकार कुल १३२ ऐसी बस्तियां चिह्नित की गयी हैं, जो असेवित है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन्हें सेवित करने के लिये मात्र १३२ प्राथमिक विद्यालय खोल जाने पर उक्त सभी बस्तियां सेवित हो जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित निर्माण कार्य हेतु ३ प्रतिशत सिलिंग के अन्तर्गत कुल ११४ प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण की व्यवस्था जनपद हेतु निर्धारित बजट से की जायेगी। शेष १८ प्राथमिक विद्यालय

भवन का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित है जिन्हें निम्नलिखित वर्षों में पूर्णकर लिया जायेगा –

वर्ष	२००१–०२	०२–०३	०३–०४	०४–०५	०५–०६	०६–०७	०७–०८	०८–०९
प्र०वि०	–	४८	–	–	–	–	–	–

उपयुक्त सभी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थथा को सुदृढ़ करने के लिए पेयजल, शौचालय, चहारदिवारी, काष्ठोपकरण, उपस्कर, शिक्षण सामग्री व शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

विद्यालयीय साज–सज्जा की आवश्यकता :–

नवीन प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित करने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय कियी जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट कुडादान, म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कुदने की रस्सी) तथा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट ग्लोब, शब्दकोष ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकुद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः जिला परियोजना समिति से उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराये की दृष्टि से एक प्राधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी।

२. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना :–

जनपद में प्राथमिक विद्यालय १३३३ हैं जबकि कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय मात्र १७६ हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रति २ प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का मानक निर्धारित किया गया हैं, परन्तु बाल गणना तथा ८०० की आबादी व ३ कि॰ मी॰ की दूरी को ध्यान में रखते हुए असेवित क्षेत्रों का चिन्हांकन करने पर मात्र १२६ ऐसे क्षेत्र उभरकर आयें हैं जहाँ उ॰ प्रा॰ विद्यालयों की स्थापना कर देने से सभी बस्तियां सेवित हों जायेगी। इस प्रकार जनपद में प्राथमिक तथा उ॰ प्रा॰ विद्यालयों के बीच का अनुपात ३:७:१ होगा।

कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या –	१३३३
डी पी इ पी में बनेगें	११४
नवीन प्रस्तावित प्रा॰ विद्यालय की संख्या –	४८
३:७:१ के अनुपात में उच्च प्रा॰ वि॰ संख्या –	३८७
वर्तमान में उच्च प्रा॰ वि॰ की संख्या –	१७६
नवीन प्रास्तावित उ॰ प्रा॰ वि॰ की आवश्यकता –	१२६

उपर्युक्त प्रस्तावित नवीन उ॰ प्रा॰ विद्यालयों शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, चहारदिवारी, शौचालय, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लिए साज–सज्जा :–

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से विद्यालयी साज–सज्जा शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए निर्धारित मानक के अनुसार धनराशि को प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्ध करायी जायेगी।

शौचालय, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प–२, एवं चहारदिवारी की व्यवस्था :–

प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक, बालिकाओं के लिएअलग–अलग शौचालियों का निर्माण कराया जायेगा। बच्चों की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय में इंडिया मार्का हैण्ड पम्प–२ लगवाया जायेगा, इसी प्रकार विद्यालयीय सम्पत्ति, प्रांगण की सुरक्षा, अतिक्रमण से बचाव तथा पठन–पाठन हेतु वातावरण सृजन के लिये प्रत्येक विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर किशोर आयु की बालिकाओं के अध्ययनरत होने के कारण भी चहारदिवारी की आवश्यकता है।

विकास खण्डवार प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं उनमें आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता का विवरण सारणी में उल्लिखित है।

प्रा. एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की आवश्यकता :–

सर्व शिक्षा अभियान में अन्तर्गत प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्राधाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करने का मानक निर्धारित है, क्योंकि इस स्तर पर विषयवार एवं कक्षावार अध्यापकों की आवश्यकता होती है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी में उल्लिखित हैं।

परि. प्राथमिक वि. में आवश्यक शिक्षक

क्र.	वर्ष	परि.कुल नामा.बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग ३ व ४	४०: १ से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७	८
1	2003&4	302230	5208	1332	6540	7555	1015
2	2004&5	316739	5716	1839	7555	7918	363
3	2005&6	323076	5898	2022	7918	8077	159
4	2006&7	329536	5978	2099	8077	8236	159

क्र.	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन के शिक्षक	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
१	२	३	४	५	६
१	२००३–४	1015	0	508	507
२	२००४–५	363	o	182	181
३	२००५–६	159	o	80	79
४	२००६–७	159	o	80	79

उच्च प्राथ. में आवश्यक शिक्षक

क्र.	वर्ष	उ.प्रा. वि.	नवीन विद्यालय	१ : ५ शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	
१	२	३	४	५	६	७	
१	२००३–४	200	41	1205	821	384	
२	२००४–५	241	0	1205	1205		
३	२००५–६	241	0	1205	1205		
४	२००६–७	241	0	1205	1205		

उपयुक्त आवश्यक शिक्षकों में ५० प्रतिशत महिलाओं हेतु प्राविधान भी किया जायेगा ।

इस प्रकार प्रस्तावित समस्त नवीन उच्च प्रा॰ वि॰ का निर्माण वर्ष २००४–०५ में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य २००५ तक पूर्ण करना है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जा –

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, धण्टा कूडादान, म्यूजिकल इक्यूपमेण्ट, (ढोलक मजीरा, हारमोनियम, बासुरी, आदि) क्रीडा सामग्री (फुटबाल, बालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचीग मेटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोप, टू इन वन, आदि–आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने हेतु प्रयास –

नवीन प्रस्तावति उच्च विद्यालयों के निर्माण हेतु यह प्रयत्न किया जायेगा कि पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय की भूमि में ही स्थापित किया जाय, इससे पेयजल, चहारदिवारी, शौचालय एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे निर्माण लागत में कमी की जा सकेगी।

विद्यालय भवन निर्माण कार्यदायी संस्था –

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में भी समुदाय की सहभागिता एवं स्वामित्व की भावा विकसित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति को सौंपा जाना प्रस्तावित है।

निर्माण कार्यका तकनीकी पर्यवेक्षण व्यवस्था –

यद्यपि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से पूर्व करने का प्रस्ताव किया गया है तथापित निर्माण कार्यों का समय–समय तकनीकी पर्यवेक्षण करवाया जाना आवश्यक हे। इसके लिए ब्लाक स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिचाई विभाग के अभियांताओं का सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय ७

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ई० जी० एस० / ए० आई० ई०)

जनपद की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक संरचना

जनपद में प्राथमिक शिक्षा से अपवंचित रहने का मूल कारण यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का असमान होना है। यहाँ का सामाजिक वर्गीकरण विषमतापूर्ण है। आर्थिक रूप से उच्च वर्ग एवं निम्नवर्ग के बीच का अन्तर अधिक है। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं आर्थिक तंगी से ग्रस्त यहाँ का नागरिक शिक्षा प्राप्त करने के बजाय अपने बच्चों के हाथ में काम देकर तत्काल उदरपूर्ति की ओर अपना ध्यान आकृष्टक करता है।

जनपद की भूमि असमतल है। अतः प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका एवं जलजमाव की समस्या का सामना करना पडता है। जनपद का लगभग एक–चौथाई भाग प्रत्येक वर्ष ३ माह तक जलमग्न / जलजमाव से ग्रसित रहता हैं। परिणामस्वरूप औपचारिक विद्यालय उक्त अवधि में बंद पड़े रहते हैं, इस क्षेत्र में वैकल्पिक केन्द्रों की आवश्यकता है।

विकास क्षेत्र सैदपुर, देवकली, करण्डा, जमानियाँ, सदर, मुहम्मदाबाद, रेवतीपुर, भदौरा एवं भाँवरकोल प्रतिवर्ष गंगा की विभीषिका से प्रभावित होता है। इसी प्रकार विकास क्षेत्र सादात, जखनियाँ, मनिहारी तथा बिरनो उदन्ती नदी एवं बेसो नदी, मरदह, कासिमाबाद एवं बाराचवर भैंसही नदी तथा छोटी सरजू नही से प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी–छोटी नदियॉ जैसे गंगी, कर्मनाशा, मुंघई आदि जनपद से प्रवाहित होती हैं जो बाढ़ के समय अत्यन्त भयावह स्थिति उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों में औपचारिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है, फलस्वरूप वैकल्पिक शिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता है।

जनपद में मुसहरों की आबादी यत्र–तत्र बिखरी पड़ी है। इस समुदाय का शैक्षिक स्तर अत्यन्त न्यून है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य इलाके जैसे

मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, भदौरा आदि में बालिका शिक्षा दर अत्यन्त निम्न है। साथ ही साथ छोटे–छोटे बच्चे बुनकर उद्योग, बीड़ी उद्योग, ईंट–भट्ठा आदि में कार्यरत हैं जिनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना निहायत आवश्यक हैं।

जनपद में ३ नगर पालिका क्षेत्र एवं ५ टाउन एरिया क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में दुकानों पर काम करने वाले बच्चे, होटलों में काम करने वाले बच्चे झुग्गी झोपड़ी, गन्दी एवं मलीन स्थान पर रहने वाले बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं इन्हें प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, इन क्षेत्रों में ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर अथवा वैकल्पिक केन्द्रों की आवश्यकता है। .

१९९९ की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु किये गये प्रयास सराहनीय हैं, परन्तु अभी भी दो तिहाई से अधिक महिलायें एवं पुरूष निरक्षर हैं। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकित कुल बच्चों के नामांकन के पश्चात् अब भी बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा/उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला त्यागी बच्चे, कामकाजी बच्चे, बाल श्रमिक, बंधुआ–मजदूर घरों में छोटे बच्चों की देखभाल करने के कारण एवं घरेलू कार्यों के कारण शिक्षा से वंचित बालिकायें, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले बच्चे जंगलों में लकड़ी चुनने वाले बच्चे, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ बच्चे, आदि प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। शहरी क्षेत्र में स्कूल न जाने वाले प्रायः वे बच्चें हैं, जो कहीं पर काम करते हैं, जैसे कारखानों में बाल–श्रमिक के रूप में होटलों व दुकानों पर मजदूरी करना, जो कहीं काम भी नहीं करते और भोजन या अन्य जरूरतों के लिये सड़कों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर घूमते हैं, अथवा पोलिथिन चुनते हैं, ऐसे बच्चे या तो अपवंचित परिवार के हैं या वे बालक बालिकायें हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं।

ऐसे बच्चों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या अधिक हैं। विद्यालयी शिक्षा से अरूचि होने का मुख्य कारण वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उनकी आवश्यकता के अनुरूप न होना है। यह उनके लिये न तो जीवनोपयोगी है और न ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है। बच्चों तथा अभिभावकों की दृष्टि में यह शिक्षा उन्हें जीवन से नहीं जोड़ती है। उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ना लिखना सिखाने के साथ–साथ एक बेहतर इंसान बना सके। वर्तमान शिक्षा उनके लिये अर्थपूर्ण उपयोगी एवं रूचिकर नहीं है।

वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता

वैकल्पिक शिक्षा की परिकल्पना वैदिक काल में संचालित गुरूकुल आश्रम व्यवस्था से की गयी है। जब शिक्षार्थी गुरू के घर में रहकर कृषि, राजनीति विज्ञान, आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वतंत्र भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक विद्यालय, समुदायिक विकास केन्द्र, पंचायत, सरकारी और स्वैच्छिक संस्था की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा हेतु अभियान चलाया गया। शिक्षा आयोग (१९६४–६६) ने कार्यात्मक साक्षरता अनुवर्ती और निरन्तर शिक्षा एवं पुनर्शिक्षा के कार्यक्रम पर बल दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में साक्षरता के साथ–साथ विकास कार्यक्रमों को जोड़ा गया। २ अक्टूबर १९७८ को केन्द्रीय सरकार द्वारा सबसे पहले साक्षरता हेतु संकल्प लिया गया। सन् १९७९ में केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि औपचारिक शिक्षा के परिधी से बाहर रहने वाले बालक–बालिकाओं को अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षित किया जाय। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत ६–११ आयु वर्ग के विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। जिसके अन्तर्गत पूरे देश में संचालित २९०००० शिक्षा केन्द्रों के द्वारा कुल ७२,५०००० बच्चों को लाभान्वित किया गया।

वैकल्पिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी योजना :–

जनपद में वर्ष २००० से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा से वंचित उपर्युक्त उल्लिखित

समूह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सार्थक प्रयास किये गये। जनपद स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी योजना का सम्भाग अलग स्थापित किया गया, जिसका मुख्य दायित्व उक्त समूह के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

जून २००३ में चिन्हित विभिन्न कारणों से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या १४००८५ थी जिनका विवरण निम्नवत है:–

स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या/विवरण

कारण	५–६		७–१०		११–१४		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
घरेलू कार्य	५८१३	२२१८	१०४६१	५४०१	१११८६	४११५	२७४६०	११७३४
बच्चों की देखभाल के कारण	११३६७	८४८७	५८२८	८४८७	६५८८	१३७०६	२६८१३	३०६८०
विद्यालय दूर होना	६६७२	७५४४	४४२१	६८१	६१२१	६२३०	२०५१४	१४७५५
अन्य कारण	१३१२	६१२	२५७४	५६३	४६४६	–२०८८	८८३२	–६१३
मजदूरी	–	–	–	–	११६	६१	११६	६१

उक्त में से ११३६१ बच्चों का नामांकन मुख्य रूप से कक्षा १ तथा अन्य कक्षाओं में औपचारिक विद्यालयों में अगस्त २००३ तक करा दिया गया है। शेष २३७६६ बच्चों हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं जिनके माध्यम से इन बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये कार्यक्रम निम्नवत हैं:–

कार्यक्रम	२००३–०४		२००४–०५		२००५–०६		२००६–०७	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
ब्रिज कोर्स	१६३	७७२०	–	–	–	–	–	–
ई०जी०एस०	२११	५२७५	२११	५२७५	४६५	११६२५	४६५	११६२५
ग्रीष्म कालीन शिविर	–	–	८०	३२००	८०	३२००	८०	३२००
स्कूल वापस चलो शिविर	–	–	५०	२०००	५०	२०००	५०	२०००
ब्रिज रेमेडियल कोर्स	–	–	१	६०	२	१२०	२	१२०

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित १५० विद्या केन्द्र/ वैकल्पिक केन्द्र के संचालन के बावजूद ६–१४ वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की कुल संख्या २३७६६ है। जिनमें से लगभग १०,००० बच्चे डी.पी.ई.पी./सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा समर कैम्प, अनुजाति / जनजाति बच्चों के लिए संचालित ब्रिजकोर्स तथा गैर आवासीय न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से नामांकित करा लिए जायेगें। अवशेष लगभग १४ हजार बच्चों के लिए ई.जी.एस./ एआई.ई. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

आयु वर्ग	न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग
५–६	६६२	७५८	१७२०
७–१०	७२७४	३८३०	१११०४
११–१४	७२५२	३६६०	११२४२

उपरोक्त विवरणानुसार विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोडनें हेतु विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कराये गये आकडो के आधार पर **२११ इ.जी.एस./ ए.आई**

ई प्राथमिक तथा ६८ ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उक्त असेवित बस्तियों की सूची संलग्न है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

शिक्षा गारंटी योजना की आवश्यकता क्यों?

(१) अनौपचारिक शिक्षा योजना की सम्यक समीक्षा के उपरान्त–मुख्य रूप से – अल्प व्यय; समुदायिक सहभागिता का अभाव, धन स्थानान्तरण की समस्या, अनुदेशकों के गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण का अभाव अपर्याप्त शिक्षण अवधि बालिकाओं की न्यून उपस्थिति आदि कमियां स्पष्ट रूप से इंगित किये गये।

(२) राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अर्न्तगत अनौपचारिक शिक्षा को नयी योजना के अनुरूप संचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

(३) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत वैकल्पिक शिक्षा स्वयं सेवी संगठनों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों (लोक जुम्बिस, राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला राजस्थान, शिशु शिक्षा कर्म सूची, पश्चिम बंगाल मवादी स्कूल आन्ध्रप्रदेश) के अनुभवों के आधार पर नवीन विद्या की आवश्यकता महसूस की गयी।

योजना के प्रकारः–

इस योजना को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया हैः–

(१) प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शि० गा० यो०/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र, ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।

(२) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का संचालन।

(३) स्वेच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु संचालित "सर्व शिक्षा अभियान" योजना का अंग है। इसके लक्ष्य समूह ६–८ वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयो में पंजीकृत कराया जाना है। ६–१४ वय वर्ग के बच्चों पाठशाला त्यागी, बाल श्रमिक, घुमन्तु बच्चे, काम काजी बच्चे, स्ट्रीट चाइल्ड आदि को वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में किसी भी समय पात्रता के अनुरूप किसी भी कक्षा में प्रवेश दिलाना मुख्य उद्देश्य होगा। ऐसे केन्द्र प्राथमिक विद्यालय की एक किलोमीटर परिधि के बाहर होगें। साथ ही न्यूनतम ३० बच्चों की उपलब्धता कक्षा १ व २ के लिये प्राथमिक स्तर के केन्द्र एवं न्यूनतम २० बच्चों की उपलब्धता पर उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र खोले जायेंगें। इस योजना का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत राज्य स्तरीय सोसाइटी "स्टेट सोसाइटी", उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना, निशातगंज, लखनऊ, द्वारा किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना

शाला त्यागी, अधिक आयु हो जाने के कारण झेप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण, प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकायें, कामकाज तथा बाल श्रमिकों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन शिविर, ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित मकतब/मदरसों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें भी सपोर्ट करने की योजना है। कम से कम ६–१४ वय वर्ग के २० बच्चों की उपलब्धता पर नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें।

ब्रीज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर

सामान्यतः ६–१४ वय वर्ग बच्चे, जो सड़क/प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तु बच्चों, बाल श्रमिक, कामकाजी बच्चे, ईंट–भट्ठे पर काम करने वाले बच्चे, जंगलों में लकड़ी चुनने वाले बच्चे, वन टांगियां, थारू, करौल आदि अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के बच्चों को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा से वंचित हैं। इनके लिए ब्रीज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर संचालित किये जायेंगें। शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार चार माह से १८ माह तक की हो सकती है। प्रत्येक शिविर में न्यूनतम ५० बच्चे सम्मिलित किये जायेंगें तथा ये शिविर आवासीय होंगें। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शिविर में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रीज कोर्स शिविरों के कार्यक्रम का नियोजन एवं माइक्रोप्लानिंग

केन्द्र ब्रिज कोर्स/शिविर का निर्धारण डी०पी०ई०पी० द्वारा कराये गये माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही किये जायेंगें। आवश्यकता पड़ने पर स्थल विशेष की माइक्रोप्लानिंग पी०आर०ए० विधा से स्वैच्छिक संगठनों, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर पर कराया जा सकता है।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र, ब्रीज कोर्स/शिविरों के प्रस्तराव की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संकलन एवं समीक्षा के पश्चात् संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। ब्लाक स्तरीय समिति निम्नांकित है :–

विकास खण्ड अधिकारी – पदेन अध्यक्ष

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक – सदस्य

विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य

एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक – सदस्य

जिला स्तर पर जिला शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा, जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाले समिति ही कही जायेगी। जिला सलाहाकार समिति का गठन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जायेगी तथा इसमें निम्नाकिंत सदस्य होगें :-

१.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
२.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
३.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
४.	अनु०जाति / अनु०जनजाति के दो ब्लाक प्रमुख	सदस्य
५.	दो महिला ब्लाक प्रमुख	सदस्य
६.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
७.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षा विद्	सदस्य
८.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
९.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य

१०.	जिला विद्यालय निरिक्षक	सदस्य
११.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	सदस्य
१२.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई०सी०डी०एस०)	सदस्य
१३.	प्राचार्य ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
१४.	समन्वयक महिला सामाख्या	सदस्य
१५.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव

जनपद में उपर्युक्त योजना के अर्न्तगत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन करने का पूर्ण दायित्व उक्त समिति का होगा। विकास खण्ड स्तरीय/ नगरस्तरीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति जनपद के अच्छे एवं सर्मठ स्वैच्छिक संगठनों को उसके अनुरोध पर केन्द्रों का आवंटन कर सकती है। केन्द्र का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र संचालन का समय

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन ४ घंटे संचालित किये जायेगें।

अनुदेशक चयन

अनुदेशक यथासंभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु १८ वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र पर आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की २/३ बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिक्षक नगर क्षेत्र, सभासद, सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकता अनुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु १८ वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसकी चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी, यदि आवश्यकता हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रा के लिये अनुदेशकों की न्यूनतक शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु २१ वर्ष होनी चाहिए। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां पर इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के संबंध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एवं संविदा प्रपत्र भराया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय वितरण

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि १०००.०० प्रति अनुदेशक की दर से संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी जिसे अध्यक्ष एवं सचिव, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित की जायेगी केन्द्रों के सफलतापूर्वक संचालन की स्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक की आख्या पर अगले छःमाह की धनराशि खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की अग्रिम मानदेय की धनराशि शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

अनुदेशक प्रशिक्षण

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिर्सोस सेन्टर्स पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा' डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारी/ एस०डी०आई० तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू० १५००.०० प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय न होगी।

पर्यवेक्षण

इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/ब्लाक रिसोर्ससेन्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारी द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी०आर०सी० प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठकें आयोजित की जायेगी तथा न्याय पंचायत/विकास खण्ड में संचालित सभी वैकल्पिक शिक्षा के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेगें। समय–समय पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस०डी०आई० तथा बेसकि शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। जिन जनपदों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी०आर०सी० प्रभारी कार्यरत नहीं हैं वहां पर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की भी व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशों में है। जिसमें आदेश बाद में दिये जायेगें। निकट प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहें और न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से प्रति माह आवगत कराते रहें।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके

सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद से किया जायेगा। इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का ही सम्प्रति प्रयोग संबंधित निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों द्वारा किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्याकंन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों जो कक्षा ५ हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगें, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वित्तीय मानक

प्रत्येक केन्द्र की लगात इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत हैं। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिये रू. ८४५.०० प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिये १२००.०० प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की अधिकतम धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यवस्था में ५ प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड के प्रबंधन की अधिकतम् धनराशि रू० २.५० लाख सम्मिलित होगी। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है:–

क्र० सं०	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
१	अनुदेशक का मानदेय	रू. १०००.०० प्रति माह प्रति अनुदेशक (रू. १०००.०० प्रति अनुदेशक)	रू. २०००.०० प्रति माह दो अनुदेशकों के लिए
२	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू. १५००.०० प्रति वर्ष दो अनुदेशकों के लिए रू. ५० प्रतिदिन की दर से	रू. ४०००.०० प्रति वर्ष रू. ५० प्रतिदिन की दर से ४० दिनों के लिए।
३	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रू. १००.०० प्रति छात्र/छात्रा	रू. १५०.०० प्रति छात्र/छात्रा

४ केन्द्रों के शिक्षण सामग्री रू. ११००.०० प्रति केन्द्र रू. १२००.०० प्रति केन्द्र

५. केन्द्र कन्टीजेन्सी रू. ४६८.७५ प्रति केन्द्र रू. ५००.०० प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में ५ प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड के स्तर के प्रबंधन पर व्यय सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम् लागत निम्नवत् रखी गयी है--

८०--१०० केन्द्रों के मध्य – २.५० लाख रू० प्रति वर्ष

५०--८० केन्द्रों के मध्य – २.०० लाख रू० प्रति वर्ष

२५--५० केन्द्रों के मध्य – १.५० लाख रू० प्रति वर्ष

२५ केन्द्रों से कम – १००.०० रू० प्रति छात्र/छात्रा

ब्रिज कोर्स/शिविरों का वित्तीय मानक

ब्रिज कोर्सों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालय में किया जायेगा; जिसमें बच्चों के रहने तथा खाने–पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत प्राइमरी/अपर प्राइमरी लागत से कुछ अधिक रखी जा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में ३००० रू० प्रति छात्र/छात्रा से अधिक कदापि नहीं हो सकती है। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय, तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्स संचालित करने के लिए एक केयर टेकर, दो अनुदेशक, एक रसोईया तथा एक चौकीदार, की आवश्यकता होगी, जिसके लिए जिला

स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जाये। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी/अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज–सज्जा के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी। अतिरिक्त धनराशि व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का कुछ अंश अवश्य प्राप्त किया जाय।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं–

६–१४ वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।

कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।

अनुदेशक का चयन करना।

केन्द्रों का समय निर्धारित करना।

केन्द्रों का समय निर्धारित करना

केन्द्रों की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।

अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।

अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबंधन, उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।

केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।

नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

कलस्टर रिर्सोस पर्सन्स की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था करना।

जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

जिला शिक्षा परियोजना समिति के एजुकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के प्रति प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व

जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तेयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये, जायेंगें।

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उस साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्य योजना बजट के साथ तेयार करेगी एवं उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

समिति जनपद स्तर पर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

समिति जनपद से निम्न स्तरों विकास खण्डों स्तर/ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ–साथ ही स्वये सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी

समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

अध्याय – ८

ठहराव में वृद्धि हेतु कार्यक्रम :–

सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर जनपद गाजीपुर में प्राथमिक स्तर पर वर्ष १९९७ में बच्चों का ड्रापआउट दर ३४.१ था। अतएव डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अन्तर्गत ठहराव सुनिश्चित करनेके लिए अनेक उपाय किये गये। विद्यालयों में बालिकाओं के ठहराव न होने के कारण वहाँ पेयजल तथा शौचालय का न होना था। अतएव जनपद के २०० विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा ११७ विद्यालयों में अब तक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये गये। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में बृद्धि को देखते हुए १०० अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया। जनपद में ४० नवीन विद्यालयों का निर्माण कराया गया। प्रति प्राथमिक विद्यालय प्रतिवर्ष रू॰ २००० विद्यालय अनुदान प्राप्त किया गया। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर समस्त बच्चों के ठहराव हेतु निःशुलक पाठ्य पुसतकें प्रदान की गयी। ठहराव हेतु अनु॰जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी।

इसी प्रकार शिक्षकों की शिक्षण विधा को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए जनपद में कार्यरत प्राथमिकसमस्त शिक्षकों को तीन चक्रों एवे शिक्षा मित्रो को एक चक्र का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें खेल गतिविधियों तथा शिक्षण साम्रगी का निर्माण एवं प्रयोग की दक्षता विकसित करने के साथ–साथ विषयों की समझ एवं कक्षा शिक्षण अभ्यास का अवसर प्रदान किया गया। शिक्षा मित्रों को अभी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण नही प्रदान किया जा सका है जिसे इसी सत्र में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अन्तर्गत आयोजित उपर्युक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया का सुनियोजित लाभ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नहींमिला है। कतिपय शिक्षकों को ही विज्ञान–गणित का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर द्वारा प्रदान किया गया है। अन्य विषयों के प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया है।

डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अर्न्गत प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कराने के लिए किये गये उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद जनपद में ड्रापआउट दर में आपेक्षित कमी नही आयी है। अतएव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर पर जनपद स्तर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन के द्वारा तथ्यों के आधार पर अनेक भौतिक आवश्यकताएं चिन्हित की गयी हैं जिसका विवरण निम्नाकित है :–

२. अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण :–

जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप बढत्री हुए नामांकन को देखते हुए अतिरिक्त कक्षा–कक्षाओं की आवश्यकता है। जनपद में कुल १३३३ प्राथमिक विद्यालय है। जिनमें कुल ७३५६ अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्कयता है। जनपद में कुल १७६ उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनमें प्रत्येक में एक कक्षा–कक्ष की आवश्यकता को देखते हुए ४८ अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की आवश्यकता है।

इन अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण निम्नांकित वित्तीय वर्षों में कराया जाना प्रस्तावित है :–

वर्ष 2005-06 में 05 ..... प्राथमिक एवं 05 ..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	100	
2006-07	—	
योग	400	

कुल लक्ष्य 400 का है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

परि. प्राथमिक वि. में आवश्यक कक्षा कक्ष

क्र.	वर्ष	परि.कुल नामां.बच्चे	४०: १ से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन कक्ष	योग ५ एवं ६	आवश्यक कक्षाकक्ष वर्षवार मांग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	२००३–४	302230	7555	3615	96	3711	3844	500
२	२००४–५	316739	7918	7555	0	7555	363	362
३	२००५–६	323076	8077	7918	0	7918	159	—
४	२००६–७	329536	8236	8077	0	8077	159	—

उच्च प्राथ. में आवश्यक कक्षा कक्ष

क्र.	वर्ष	उ.प्र. वि.	नवीन विद्यालय	१ : ४० से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष	अंतर
१	२	३	४	५	६	७	
१	२००३–४	200	41	1506	810	696	35
२	२००४–५	241	0	1695	1506	189	150
३	२००५–६	241	0	1729	1695	34	132
४	२००६–७	241	0	1764	1729	35	

३. पेयजल (इण्डिया मार्का हैण्डपम्प):–

बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चत कराने के लिए विद्यालयों में पेयजल की अपरिहार्यता होती है। पानी के अभाव में बच्चे स्कूल से बाहर भागते हैं। इस दृष्टि से जनपद के १६८ प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करनी है साथ ही उच्च प्राथनिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनेके लिए ४६ इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की आवश्यकता होगी। जिन्हें निम्नांकित वित्तीय वर्षों में पूरा करनेका लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

४. चहारदीवारी :–

चहारदीवारी मात्रा विद्यालयीय सम्पत्तियों की सुरक्षा ही नहीं करती अपितु उपयुक्त विद्यालयी वातावरण सृजन करने में अहम् भूमिका निभाती है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों जहाँ बालिकाएं भी पढ़ती है वहाँ पठन–पाठन का माहौल बनाने में चहारदीवारी की उपयोगिता निर्विवाद हैं, चहारदीवारी विद्यालयीय भूमि को अतिक्रमण से बचाती है। जनपद के मात्र १८४ प्राथमिक विद्यालयों तथा ४६ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी है। अतएव निम्नांकित विवरणानुसार प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयोंमें चहारदीवारी की आवश्यकता होगी। जिसे वित्तीय वर्ष २००२–०३ से २००८ तकपूरा किया जायेगा।

५. शौचालय :–

बालक/बालिकाओं का विद्यालय से पलायन के कारणों में मुख्य कारण शौचालय का न होना भी है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता है। जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में ७४३ एवं उ. प्रा. में १०५ शौचालयों की आवश्यकता है। अतः जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालयों का निर्माण करवाने की आवश्यकता होगी। जिनका निम्नांकित वर्षों में निर्माण करा लिया जायेगा :–

६. भवन मरम्मत :–

निर्मित विद्यालय भवनों में समय–समय पर छोटा–मोटा मरम्मत करवाने की आवश्यकतां होती है। ऐसा न करने पर विद्यालय भवन शीघ्र ही कमजोर हो जाते हैं विद्यालयीय भवनों का रख–रखाव की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है किन्तु आर्थिक संसाधनों के अभाव में ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय भवनों के मरम्मत/रख–रखाव में प्रायः असमर्थ रहती है। ऐसी दशा में विद्यालय भवनों में मरम्मत कार्य को लधु मरम्मत तथा दीर्घ मरम्मत दो श्रेणियों में विद्यालयोंका चिन्हांकन किया गया है।

इस प्रकार जनपद में प्राथमिक विद्यालय कुल ३६५ में लघु मरम्मत एवं २३६ में दीर्घ मरम्मत किये जाने की अवश्यकता है। इसी प्रकार उ. प्रा. में कुल ६८ लघु मरम्मत तथा कुल ५२ दीर्घ मरम्मत करवाने की आवश्यता होगी।

उपयुक्त भवन निर्माण कार्यों का निम्नलिखित वित्तीय वर्षो में पूरा किया जायेगा।

७. अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र की अवश्यकता :–

परि. प्राथमिक वि. में आवश्यक शिक्षक

क्र.	वर्ष	परि.कुल नामा.बच्चे	वर्तमान शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग ३ व ४	४०: १ से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
१	२	३	४	५	६	७	८
1	2003&4	302230	5208	1332	6540	7555	1015
2	2004&5	316739	5716	1839	7555	7918	363
3	2005&6	323076	5898	2020	7918	8077	159
4	2006&7	329536	5978	2099	8077	8236	159

क्र.	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन के शिक्षक	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
१	२	३	४	५	६
१	२००३–४	1015	0	508	—
२	२००४–५	363	o	182	688
३	२००५–६	159	o	80	79
४	२००६–७	159	o	80	79

८. विद्यालय विकास अनुदान :–

प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाक–डस्टर, स्टेशनरी आदि की सामान्यता व्यवस्था के लिए प्रति विद्यालय प्रति वर्ष रू॰ २०००.०० मात्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

विद्यालय	वर्ष														
	२००२–०३			२००३–०४			२००४–०५			२००५–०६			२००६–०७		
	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग
प्राथमिक	-	-	-	25	-	25	1413	486	1899	1413	486	1899	1413	486	1899
उ०प्राथमिक	176	-	176	241	84	325	241	84	325	241	84	325	241	84	325

नोटः–सहायतित विद्यालयों में बेसिक/माध्यमिक/समाज कल्याण के द्वारा सहायतित विद्यालय शामिल हैं।

६. शिक्षक अनुदानः–सभी परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों के अध्यापकों एवं शिक्षा मित्र को शिक्षण अधिगम सामग्री नर्माण हेतु ५००/– की दर से अनुदान दिया जाएगा जिसका विवरण निम्नवत हैः–

विद्यालय	वर्ष														
	२००२–०३			२००३–०४			२००४–०५			२००५–०६			२००६–०७		
	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग
प्राथमिक				200	-	200	7918	1458	9376	8077	1458	9535	8236	1458	9694
उ०प्राथमिक							1205	252	1457	1205	252	1457	1205	252	1457

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :–

विद्यालय	वर्ष														
	२००२–०३			२००३–०४			२००४–०५			२००५–०६			२००६–०७		
	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग	परिषद	सहायतित	योग
प्राथमिक				-	-	-	212216	114271	326487	216460	116556	333016	220788	118887	339675
उ०प्राथमिक				40352	94157	134509	43403	101274	144677	44271	103299	147570	45156	105366	150522

६. **विघालय सुविधाएं :–**

बच्चों का मन विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए विद्यालय का स्वयं में सुविधा संपन्न एवं आकर्षक होना जरूरी हे। इससे स्कूल अवधि में बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित होता है।

अतएव जनपद के समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के लिए प्रतिवर्ष रू॰ ५०००.०० मात्र प्रदान किये जायेंगे।

बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव हेतु कार्यक्रम :–

राष्ट्र की उन्नति एवं विकास हेतु समस्त देशवासियों का शिक्षित होना अनिवार्य है इसमें बालिकाओं का शिक्षित होना बालकों की अपेक्षा किन्हीं स्थितियोंमें अधिक जरूरी है, क्योंकि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान ने ६–१४ आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी बचन बद्वता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में दिए गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेद–भाव, धर्म एवं जाति लिंग एवं जन के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिखा के प्रति बचन बद्धता का समर्थन किया हैं एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरम्भ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। १९९६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात आरम्भ की गयी कार्यनीति ने अन्तर्गत महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बदलाव करने के लिए महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके विशेष सहायक सेवायें समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होंगे। उत्तर प्रदेश में साक्षरता, दर, राष्ट्रीय दर ५२.२ प्रतिशत के विपरीत

बच्चों का मन विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए विद्यालय का स्वयं में सुविधा संपन्न एवं आकर्ष्ज्ञक होना जरूरी हे। इससे स्कूल अवधि में बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित होता है।

अतएव जनपद के समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के लिए प्रतिवर्ष रू॰ ५०००.०० मात्र प्रदान किये जायेंगे।

बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव हेतु कार्यक्रम :–

राष्ट्र की उन्नति एवं विकास हेतु समस्त देशवासियों का शिक्षित होना अनिवार्य है इसमें बालिकाओं का शिक्षित होना बालकों की अपेक्षा किन्हीं स्थितियोंमें अधिक जरूरी है, क्योंकि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान ने ६–१४ आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी बचन बद्वता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में दिए गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेद–भाव, धर्म एवं जाति लिंग एवं जन के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिखा के प्रति बचन बद्धता का समर्थन किया हैं एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरम्भ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। १९९६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात आरम्भ की गयी कार्यनीति ने अन्तर्गत महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बदलाव करने के लिए महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके विशेष सहायक सेवायें समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होंगे। उत्तर प्रदेश में साक्षरता, दर, राष्ट्रीय दर ५२.२ प्रतिशत के विपरीत

४१.६ प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरूषों की राष्ट्रीय साक्षरता क्रमशः २५.३ प्रतिशत एवं ६४.१ प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में ७ प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकउे न केवल जोड़कर वह सामूहिक समूहों पर आधारित भिन्नता दर्शाता है। अपितु यह पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाता है। यह अनुमान हैं कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से ५८ प्रतिशत कक्षा ८ उत्तीर्ण करने के पूर्व ही स्कूल का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में १६६६–६७ से १६६६–२०००के मध्य १४.६ प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, इसका मुख्य कारण १६६६–२००० में बालिकाओं जी॰ ई॰ आर॰ में ६३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो १६६६–६७ में ८०.४ प्रतिशत बेसिक शिज्ञखा निदेशालय उ॰ प्र॰ के मुताबिक राज्य का कुल नामांकन १०० है। १६६६–२००० में बालकों के लिए १०५.३ प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए ६८.७ प्रतिशत है। (१६६६–२०००) बालिकाओं के १६६६–६७ में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह २४.६ प्रतिशत हैं।

बालिका शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं की शिक्षा में कई अवरोधक हैं, इनमें कई कारण ज्यादा प्रमुख है– जैसे बस्ती में स्कूल का अभाव महिला शिक्षक का अभाव आर्थिक बाध्यता, काम का बोझ, सामाजिक सांस्कृतिक धारणायें, कम उम्र में विवाह, जागरूकता का अभाव अन्धविश्वास आदि जटिल कारण हैं।

बालिकाओं के लिए शिक्षा की माँग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण जबकि यह दिखाया जाता हैकि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं। स्कूल का वातावरण ऐसा है कि जो कि बालिका शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता हैं। ग्रामीणांचल में फसल रोपाई, कटाई, शादी–विवाह, मेले, त्योहार तथा

छोटे बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें रोक दिया जाता है, जिससे बालिकाओं की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

बालिका शिक्षा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को दूर करने के लिए निम्न लिखित कदम 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत उठाना प्रस्तावित है।

१. बोझ, सामाजिक सांस्कृतिक धारणायें, कम उम्र में विवाह, जागरूकता का अभाव अन्धविश्वास आदि जटिल कारण हैं।

बालिकाओं के लिए शिक्षा की माँग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण जबकि यह दिखाया जाता हैकि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं। स्कूल का वातावरण ऐसा है कि जो कि बालिका शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है। ग्रामीणांचल में फसल रोपाई, कटाई, शादी–विवाह, मेले, त्योहार तथा छोटे बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें रोक दिया जाता है, जिससे बालिकाओं की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती हैं।

बालिका शिक्षा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को दूर करने के लिए निम्न लिखित कदम 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत उठाना प्रस्तावित है।

१. जागरूकता क्रियाकलापों के दौरान बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयी वातावरण बनाये जाने पर जोर।

२. जेण्डर संवेदनशीदल, बनाना, जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

३. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।

४. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेद भाव आधारित क्रियाकलापों को रोनके हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माँडयूल विकसित कराना।

५. ई॰ सी॰ सी॰ ई॰ तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

६. प्राथमिक से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्यकरना कार्य अनुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व ।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं की शिक्षा एवं समुदाय के साथ कार्य करना प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सर्वाजनीकरण के लिए उ॰ प्र॰ बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अर्न्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम तीन महिला सदस्यों को हाहने का प्राविधान है, इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या एवं अनुसूचित जाति की नामित महिला एवं एक नामित माँ का होना जरूरी है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नलिखित होगी।

१. बालिकाओंके नामांकन ठहराव एवं विद्यालय प्रबनधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा ।

२. महिला समूहों का गठन एवं महिला समाख्या के साथ–साथ उनका समन्वय।

३. ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संघ अभिभावक शिक्षक संघ

४. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

५. बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अनतर्गत बालिका शिक्षा हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

ड्रापआउट बालिकाओं का सर्वेक्षण एवं कोहर्ट स्टडी :–

जिन विद्यालयों में बालिकाओं का ड्रापआउट दर अधिक है उक्त विद्यालय से रजिस्टर निकलवा कर ड्रापआउट वाले बच्चों की सूची बनायी जाएगी। ऐसे बच्चों को ग्रीष्म कालीन शिविर में प्रशिक्षित करने उनको विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जाएगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :–

शिक्षा को जीवन कौशलों एवं व्यावहारिक ज्ञान से जोडने के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कार्यानुभव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में एक अंशकालिक महिला कार्यकर्ता को रखा जायेगा जो प्रतिदिन कुछ धंटों के लिए बालिकाओं की सिलाई बुनाई खिलौने बनाना कढाई रंगाई के साथ साथ स्थानीय आवश्यकता आधारित टोकरियां कागज के सामान मोमबत्ती मिट्टी के खिलौने आदि भी बनाने की कला सिखाई जाएगी। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव योजना के अंतर्गत समाजोपयोगी उत्पादन (एस. य. पी.डब्लू.) कार्य संबंधी शिक्षा देने का प्रस्ताव है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत २०१० तक सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसे चरणबद्ध ढंग से लागू कराया जाएगा।

कार्यक्रम	२००२–३	२००३–४	२००४–५	२००५–६	२००६–७
एम सी डी	१५	२०	२५	३०	३५
समर कैम्प	८०	८०	८०	८०	८०
समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	१००	१००	१००	१००	१००

कम्प्यूटर शिक्षा :–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक कक्षओं में कम्प्यूटरा शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है प्रारंम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भवना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहां एक ओर जहॉ लक्ष्यों को सीखने से मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें। कम्प्यूटर शिक्षा की उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अर्न्तगत प्रथमतः प्रतिवर्ष १०–१०

विद्यालयों को चयनित किया जायेगा। तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल ५० उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त ६०,०००/– रू० व्यय किये जायेगें।

कम्प्यूटर हेतु उ. प्रा. वि. की संख्या	२००२–३	२००३–४	२००४–५	२००५–६	२००६–७	२००७–८	२००८–६	२००६–१०	योग
	१०	१०	१०	१०	१०				५०

स्कूल चलो अभियान :–

विद्यालय में शिक्षण सत्र शुरू होने के पूर्व से ही जन प्रतिनिधि, विद्यालयों के अध्यापकों, शिक्षा समितियों एवं नागरिकों एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा जनजागरण अभियान चलाकर बृहद स्तर पर बालिका नामांकन अभियान किया जाएगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर/बृजकोर्स :–

ऐसे ग्राम/ग्राम सभा जहाँ पर ४० बालिकाएं शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जाएंगी, उसमें १० दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रति शैक्षिक सत्र के पूर्व १० शिविर प्रति ब्लाक के अनुसार १६० शिविर आयोजित किए जाने का लक्ष्य है।

कला जत्था अभियान :– (बेटी हो स्कूल में)

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाओं का ठहराव विद्यालय मेंबना रहे, इस हेतु स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित करके गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जाएंगी, यह अभियान ऐसे गाँव में चलाया जाएगा, जहाँ पर महिला साक्षरता दर कम है। तथा बालिका ड्रापआउट दर अधिक है। प्रत्येक विकास क्षेत्र में ५ कला जत्था का आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा।

बालिका शिक्षण केन्द्र :–

यह केन्द्र उन बालिकाओं हेतु चलाया जाएगा, जो उम्र ज्यादा हो जाने के कारण विद्यालय नहीं जा सकती या जो कभी विद्यालय नही गयी ऐसी बालिकाओं को ६ माह का आवासीय सत्र चलाकर उन्हें कक्षा ५ तक की शिक्षा दी जाएगी तथा उन्हें विद्यालयों से सम्बद्ध करके पांचवीं की परीक्षा दिलाकर उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। इस शिक्षण केन्द्र की एक विशेषता यह होगी कि पाठयक्रम के साथ–साथ शिलाई, कढाई, हैण्डीक्राफट, मिट्टी के खिलौने साफट ट्वायज आदि का प्रशिक्षण भी समय–समय पर दिया जाएगा, जिससे बालिकाओं का ठहराव बना रहे। इस केन्द्र पर अवकाश सिर्फ त्यौहार के दिन एवं फसल कटाई के समय ही दिया जाएगा। क्योंकि बालिकाओं को खेती के कार्यों में लगाये रहने के कारण उन्हें विद्यालय में नहीं भेजा जाता है यदि इस तरह का अवकाश दिया जाएगा तो बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित होगा। प्रत्येक विकास खण्ड में बालिका शिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

किशोरी केन्द्र :–

जो किशोरियां प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् विद्यालय छोड़ देती हैं उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण करने हेतु गॉव संघ की महिलाओं तथा किशोरी से विचार करके आवश्यकतानुसार स्थानीय महिला को ही अध्यापिका बनाकर केन्द्रों का संचालन कराया जाएगा। इन किशोरी केन्द्रों का उद्देश्य उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को बढ़ावा देना होगा।

शिक्षा कोर टीम का गठन :–

समुदाय की सक्रिय महिलाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम स्तर पर शिक्षा कोरटीम का गठन किया जाएगा, जिनका कार्य बालिका शिक्षा नामांकन को बढ़ावा देना, विद्यालय की गुणवत्ता को बनाये रखना, ई॰ सी॰ सी॰ ई॰ केन्द्रों का आवश्यकता नुसार निरीक्षण तथा बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित कराना होगा।

माँ बेटी मेला का आयोजन :– (एवं महिलाओं का संसद)

गाँव स्तर पर माँ मेटी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनके द्वारा उनकी बेटियों को विद्यालय में नामांकित कराना तथा ठहराव सुनिश्चित किया जाना है, इस हेतु प्रत्येक ब्लाक में तीन मेले या संसंद का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

माता शिक्षक संघ :–

जिन गाँवों में प्राथमिक विद्यालय है, उस गाँव की सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा। माता शिक्षक संघ की निर्धारित समय पर बैठकें भी करायी जाएंगी।

महिला प्रेरक समूह का गठन :–

प्रत्येक गाँ स्तर पर प्रेरक समूह बनाये जायेंगे, इन समूहों को जेण्डर शिक्षा आदि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे बालिका शिखा को बढ़ावा मिलेइस हेतु ऐसे गाँव, मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिशचित करने हेतु मलि प्रेरक समूह गठित कर प्रशिक्षित किया जाएगा महिला प्रेरक समूह ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ई॰ सी॰ सी॰ ई॰ केन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गतियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग केन्द्रों आदि पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन कार्यक्रम :–

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जाएगी। जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान व्यक्ति स्तर पर अभिभावकों की काउंसिलिंग तथा उन बच्चों के घरों के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने हेतु दबाव बनाया जाएगा।

तारांकन हेतु :–

विद्यालय में बच्चों के प्रति अभिभावक एवं बच्चों को सचेत करने के लिए हरा पीला लाल निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न तारांक किया जाएगा।

माह में १५ दिन या उससे अधिक उपस्थिति हरा निशान।

माहमें १५ दिन से या ६ दिन तक उपस्थिति पीला निशान।

माहमें ६ दिन या कम उपस्थिति लाल निशान।

युवती मण्डल समूह/किशारी संघ का गठन एवं काय :–

इस समूह को बालिका शिक्षा बढ़ावा देने हेतु बनाया जाएगा, जिसका कार्य समय–समय पर गाँव की जनता को बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव हेतु प्रेरित करेंगे। तथा इन्हें बालिका शिक्षण केन्द्र में बालिकाओं का नामांकन कराने जागरूकता अभियान, रैली इत्यादित हेतु ग्राम स्तर पर कार्य करके तथा विद्यालय में दबाव समूह के रूप में कार्य करेंगे। इन्हें जेण्डर संवेदीकरण विषय पर भी प्रशिक्षित किया जाएगा। बालिका शिक्षण केन्द्र तथा किशोरी केन्द्र की बालिकाओं का संघ्ज्ञ बनाया जाएगा जिन्हें जेण्डर शिक्षा कानून का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक गाँव में संघ होंगे।

शिक्षक ई॰सी॰सी॰ई॰ कार्यकत्री तथा प्रेरक समूह, युवती मण्डल का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा प्रेरक समूह युवती मण्डलों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु का जेण्डर संवेदनशील प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड देने के कारण उनके निराकरण तथा उपायों आदि पर चर्चा अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जाएगा। १२ ब्लाक में ४० केन्द्र प्रति विकास क्षेत्र के अनुसार ३५५ केन्द्र और खोला जाना प्रस्तावित है। पी॰पी॰ई॰पी॰ के अन्तर्गत ३ विकास खण्डों में ७५ के उसके विपरीत ६७ केन्द्रसंचालित है तथा दो विकास खण्ड में ५६ केन्द्र प्रस्तावित है।

अभिभावक सम्मान कार्यक्रम :–

जो अभिभावक अपनी बालिकाओं को निरंतर विद्यालय भेजते हैं तथा उनका ठहराव सुनिश्चित करते हैं उनको समुदाय में सम्मानित किया जाएगा।

प्रेरक समूह सम्मान कार्यक्रम :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु तथा उनके ठहराव में विशेष योगदान हेतु समुदाय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लगभग एक वर्ष में ८० प्रेरक समूह सम्मानित किए जायेगे।

दीवार लेखन कार्यक्रम :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक सघन अभियान के रूप में दीवार लेखन किया जाएगा। जैसे हर बेटी की माँगे चार, शिक्षा सेहत मान और प्यार, शिक्षा देती सबाके शिक्षा, चाहे जैसी हो अक्षमता इत्यादि।

फैमिली लाइफ एजूकेशन कार्यक्रम :–

८–१४ वर्ष की बालिकाओं को फैमिली लाइफ एजूकेशन कार्यशाला के माध्यम से चीलेपबंस कमअमसवचउमदज –च्मतेवदंस भ्लहपदम छनजतपजपवद की जानकारी दी जाएगी। ताकि वे स्वस्थ रहे तथा समय–समय पर जागरूकता हेतु बाद विवाद प्रतियोगिता पोस्टर प्रर्दशन, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जायेगा।

एक वर्ष में १६ फैमिली लाइफ एजूकेशन सत्र चलाया जायेगा। प्रत्येक सत्र में कम से कम ४० बालिकाओं को प्रतिशत किया जायेगा।

समूह चर्चा फण्ड प्रदर्शन :–

जिन गावों में महिला साक्षरता दर कम है वहाँ थ्वबने ळतवनच क्पेबनेपवद तथा फंड प्रदर्शन जो की बालिका शिक्षा पर आधारित हो का प्रदर्शन करके गॉववासी तथा समूह को बालिका शिक्षा हेतु बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना। प्रत्येक वर्ष एक विकास खण्ड में ५ गॉव के अनुसार ८० समूह चर्चा या फन्ड प्रदर्शन किया जाएगा।

शिक्षा रैली प्रभात फेरी :–

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु गाँव स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी गाँववासियों के मध्यम से निकाला जायगा, जिसमें शिक्षा विभाग ग्राम के प्रधान ग्राम शिक्षा समिति, स्वास्थ्य विभग एवं बाल विकास के सदस्य होंगे। प्रत्येक विकास खण्ड में ५ प्रभातफेरियों रैली करवाई जायेगी। ८० रैली एक वर्ष में आयोजित की जायेंगी। यह रैली शिक्षा सत्र के आरम्भ में ८० रैली कराई जायेगी।

मीना अभियान :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक बचनबद्धता के विकास के लिए मीना कैम्पेस नामक विशेष योजना का

आरम्भ किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार शिक्षा से संबंधित हास्य सामग्री का प्रयोग इस योजना में है यह अभियान १६ विकास खण्डों में किया जायगा। प्रति विकास खण्ड में दो अभियान सुनिश्चित किया जायेगा।

ठंइल ौवू काअयोजन :–

ग्रामीण समुदाय की माताओं की स्वास्थ्य टीकारण एवं पौष्टिकता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य सेप्रत्येक ई॰सी॰सी॰ई॰ केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रचार–प्रसार निदेशालय की मदद से आयोजित किया जायगा, इससे केन्द्र पर बच्चों का ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे बच्चों को जो इन मापदण्डों के अलावा नियमित केन्द्रों पर उपस्थिति होते हैं उन्हें सम्मानित किया जायेगा।

समानता के लिए शिक्षा :–

गांव स्तर पर स्त्री/पुरूष समानता हेतु विभिन्न आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा ताकि शैक्षिक एवं अन्य मुद्दे स्वास्थ्य पंचायत कानून व अन्य मुद्दे आदि में हस्तक्ष्ज्ञेप कर सके।

१. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर।

२. व्यक्तिगत विविधता के आदर एवं सोच विचार के लिए समय।

३. समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संघों की भागेदारी के लिए समर्थ बनाना।

४. शैक्षिक प्रतिभाओं में जेण्डर संवेदनशीलता।

५. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।

बालिका शिक्षण केन्द्रों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम :–

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने तथा उनका ठहराव बनाये जाने हेतु ज्यादा से ज्यादा संख्या में नामांकन हेतु केन्द्रों की बालिकाओं का शैथ्क्षक

भ्रमण कार्यक्रम भी रखा जायेगा। इन्हें व अन्य ऐसे संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार प्रयोग कर रहे हैं। उक्त समूहों का शैक्षिक भ्रमण कराके अनुभव द्वारा शिक्षा हेतु प्रेरित किया जायेगा उन्हें वर्ष में ३ शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम रखे जायेंगे जिसमें प्रत्येक भ्रमण पर १५ हजार अनुमानित व्यय होगा।

बाल केन्द्रों, किशोरी केन्द्रों, द्वारा अखबार प्रकाशन :–

किशोरी केन्द्रों तथा बाल केन्द्रों के बच्चों द्वारा अखबार निकाल जायेगा जिसमें गांव स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित गतिविधियों को सहज सुलभ रूप में प्रकाशित कराया जायेगा। यह अखबार कम से कम १५०० प्रति माह छपाया जायेगा जिसमें लगभग ३००० रू० प्रति माह व्यय आयेगा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण :–

जो किशोरी केन्द्र द्वारा शिक्षित हो रही हैं उनमें कुछ बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पुरस्कार राशि भी प्रदान किया जायेगा। जैसे– कम्प्यूटर, हैण्डपाइप, मेंकिंग, प्रेशरकुकर रिपेयरिंग, खिलौना निर्माण इत्यादि। कम से कम एक बालिका को १५०० रू० प्रदान की जायेगी। यह राशि किस तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण के अनुसार देय होगी। इस राशि को देने के समय बालिका की कमजोर आर्थिक स्थिति, आदि देखकर ही इन्हें यह राशि दी जायेगी।

		२००३–४	२००४–५	२००५–६	२००६–७
प्रा. वि.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	0	326487	333016	339675
	अनुपुरक सामग्री	0	326487	333016	339675
उ. प्रा. वि.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	134509	144677	147570	150522
	अनुपुरक सामग्री	134509	144677	147570	150522

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु रणनीति

(समेकित शिक्षा)

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्रापित के लिए उन सभी ५–१० प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में लाया जाना है, जो दृष्टि संबधी, श्रवण संबंधी, वाणी संबंधी, अस्थि संबंधी एवं मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त हैं। विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। कुछ बच्चों में अक्षमता के उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करने की भावना होती है, परंतु उपयुक्त प्रेरणा एवं सहयोग के अभव में शिक्षा से दूर हो जातेहैं। ऐसे बच्चों कोसमेकित शिक्षा के अन्तर्गत अलग–अलग तरीकों शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

समेकित शिक्षा की आशय अक्षमता ग्रस्त बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधाएं रह जायें। वे कक्षा के शेष बच्चों की भांति सीख–समझ कर आगे बढ़ें और उनका समुचित विकास हो। इससे सामान्य बच्चों और अक्षमता ग्रस्त बच्चों के बीच सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंध विकसित होने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के वातावरण से अक्षमता ग्रस्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होते है तथा वे समाज के अन्य सदस्यों की भांति जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं।

सामान्यतः सभी के लिए और विषेषतया अध्यापकों के लिए हृदयंगम करने कीबात यह है कि विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे समाज के महत्वपूण्र अंग है और देश तथा समाज के विकास कार्यों में वे भी अन्य लोगों की भांति महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। अतः यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि इन अक्षमता ग्रस्त बच्चों की शैक्षिक आवयकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाये।

इस दृष्टि से उन्हें समाज के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक कार्यों में भाग लेने के अवसर एवं प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है।

उद्देश्य :–

समेकित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

१. कम एवं मध्य श्रेणी के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।

२. ६–१८ वय वर्ग के अक्षमता ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।

३. विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना जिससे इन बच्चों में आत्मसम्मान एवं आत्म विकास की भावना का विकास हो।

४. समुदाय एवं अभिभावक का संदेदीकरण, निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।

५. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

६. विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर रिर्सोस सेन्टर की स्थापना करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार :–

१. श्रवण संबंधी, अक्षमता।

२. दृष्टि संबंधी, अक्षमता।

३. अस्थि संबंधी, अक्षमता।

४. मानसिक संबंधी, अक्षमता।

५. सीखने से संबंधित अक्षमता।

सत्र २००१–०२ में ०–१४ वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वेक्षण, विवरण, अक्षमता ग्रस्त बच्चों की संख्या ४६६१ है जिसमें बालक ३०५१ एवं बालिकाएं १६१० हैं। इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार हो रहा हैं जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विषय में जानकारी हो रही है एवं उनकी सही संख्या भी आने लगी हैं। जिसमें अक्षमता निम्न प्रकार है :

क्र॰ सं॰	अक्षमता का प्रकार	बालक	बालिका	योग
१.	दृष्टि अक्षमता	३३१	३०७	६३८
२.	श्रवण अक्षमता	५१५	३५१	८६६
३.	मानसिक अक्षमता	३१५	१७६	४६१
४.	अस्ति विकार	१७७	१०१५	२७६२
५.	अन्य	११५	५६	१७४
	योग	३०५१	१६१०	४६६१

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम समेकित शिक्षा के प्ररिप्रेक्ष्य में :–

समेकित शिक्षा आज एवं भविष्य की जरूरत है। जनपद में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के चिन्हाकंन सर्पोट एवं प्रेरण के साथ उनके आत्म विश्वास विकसित करने की दृष्टि से कार्यक्रमों के नियोजन एवं आयोजन की जरूरत है।

सर्व प्रथंम ब्लाकवार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जायेगी। यह कार्य प्राथमिक शिक्षकों के माध्यम से उनके दैनिक कार्यो बालगणना

के दौरान ही कराया जायेगा। चिन्हित बच्चों को विशेष ध्यान देकर विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षकों को सर्वेक्षण एवं चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्यकरने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जायेगा। सर्वेक्षण के लिए शिक्षकों का न्यायपंचायत एक दिवसीय प्रशिक्षण करा जायेगा। इस प्रकार विशिष्ट आवश्यकता वाले चिन्हित बच्चों के साथ बेहतर कार्य हेतु समस्त शिक्षकों का पाँच दिवसीय प्राशिक्ष्ज्ञण बी॰आर॰सी॰/एन॰पी॰आर॰सी॰ पर किया जायेगा। इस तरह जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त (शिक्षा मित्र+शिक्षकों) का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

समेकित शिक्षा को सफलत बनाने वाले कारक :–

१. सामान्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की कम अक्षनता की पहचान एकदम प्रारम्भ में करना उपयुक्त है।

२. गम्भीर अक्षमता ग्रस्त होने पर प्रारम्भ में प्रशिक्षण तथा आवयक सुविधायें सुलभ कराना जिससे यह ज्ञात हो सके कि किनकों सामान्य कक्षाओं में बैठाया जा सकता है।

३. इन बच्चों को निरन्तर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना ।

४. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना।

५. विशेष आवयकता वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार किया जाना जिससे उनका सामान्य बच्चों की भाँति विकास हो सके।

६. समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले विषेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु पाठ्यक्रम पर आधारित विषय वस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।

७. अमूर्त तथा कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सहायक सामग्री तैयार करना एवं तीन आयामों वाले माँडलों का उपयोग करना।

८. संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना।

९. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से प्रत्येक की शैक्षिक विशेषताओं और उनकी आवश्कयताओं की स्पष्ट जानकारी रखना।

१०. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे बौद्धिक विकास के लिए सबकों समान अवसर मिल सके।

समेकित शिक्षा को सफल, प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षम बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेह पूर्ण तथा सकारात्म्क व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संबंधी परिवर्तन या सुधार की अर्न्तदृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे इन बच्चों की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम :–

सर्वेक्षण :–

डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के माध्यम से ०–१४ वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हांकन कराया गया जिसमेंकुल ४९९१ बच्चें चिन्हिंत किये गये हैं। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

विकलांग बच्चों की सर्वेक्षण आख्या

जनपद का नाम — गाजीपुर (सभी विकास खण्ड)

क० सं०	सभी विकास खण्ड	कुल बच्चे			वयबार संख्या								6-14 वय वर्ग				विकलांगता का प्रकार									
		बा.	बालि.	कुल	0-3 वय वर्ग		3-5 वय वर्ग		6-11 वय वर्ग		11-14 वय वर्ग		विद्यालय मे		विद्यालय से बाहर		दृष्टि		अस्थि		श्रवण एवं वाणी		मानसिक		अन्य	
					बाल.	बालि.	बाल.	बालि.	बाल.	बालि.	बाल.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.	बाल.	बालि.	बाल.	बालि.
1	देवकली	413	298	711	10	6	35	26	282	213	86	53	210	160	158	106	52	50	257	168	51	49	44	26	9	5
2	सैदपुर	417	289	706	13	11	49	35	283	198	72	45	217	169	138	74	50	65	196	130	99	56	59	27	13	11
3	जमानियाँ	176	101	277	3	2	6	2	148	88	19	9	135	83	32	14	20	17	120	71	15	7	19	6	2	0
4	नगर क्षेत्र	113	30	143	0	0	0	0	113	30	0	0	113	30	0	0	0	0	65	27	46	1	2	2	0	0
5	गाजीपुर सदर	273	172	445	5	9	8	8	195	119	65	36	137	84	123	71	25	23	186	111	33	26	23	10	6	2
6	मरदह	155	113	268	3	6	6	11	115	81	31	15	87	54	59	42	14	13	100	74	26	17	15	8	0	1
7	सादात	173	92	265	6	2	8	9	150	76	9	5	150	76	9	5	14	10	132	70	20	9	7	3	0	0
8	भांवरकोल	115	60	175	21	13	19	16	72	31	3	0	70	30	5	1	7	10	61	19	8	7	2	1	37	23
9	भदौरा	64	34	98	9	4	3	5	52	23	0	2	52	25	0	0	14	8	43	19	3	5	4	2	0	0
10	करण्डा	88	54	142	1	2	4	3	73	44	10	5	76	43	7	6	6	13	43	20	20	15	16	5	3	1
11	बिरनो	79	49	128	12	5	4	6	44	29	17	11	54	37	7	3	7	4	40	24	8	10	15	11	7	2
12	बाराचवर	242	145	387	11	9	24	19	154	89	53	28	115	54	92	63	17	21	153	64	34	27	30	32	8	1
13	जखनियाँ	121	79	200	0	0	0	0	96	63	25	16	91	62	31	16	17	6	49	30	31	25	16	7	10	9
14	कासिमाबाद	186	120	306	24	12	12	14	144	60	6	34	144	82	6	12	18	8	106	50	38	44	24	18	0	0
15	मनिहारी	76	68	144	0	0	0	0	76	68	0	0	76	68	0	0	9	6	48	46	12	7	8	6	1	1
16	मुहम्मदाबाद	247	142	389	24	14	26	19	168	95	29	14	148	74	49	35	50	40	107	60	52	32	24	8	14	2
17	रेवतीपुर	113	64	177	4	2	7	3	91	53	11	6	72	45	30	14	11	13	71	32	19	14	7	4	5	1
योग		3051	1910	4961	146	97	211	176	2256	1360	436	279	1947	1176	746	462	331	307	1777	1015	515	351	315	176	115	59
		4961			630				4331				4331				4961									
					4961																					

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ८ ग्राम पंचायतों (देवकली ब्लाक) में ४४ दृष्टि विकलांग, ५० श्रवण एवं वाणी विकालंग, १४४ अस्थि विकलांग एवं ३६ मानसिक विकलांग बच्चों को मेडिकल एसेसमेन्ट द्वारा चिहिन्त किया गया है। ५१ बच्चों को अत्यधिक विकलांगता के कारण वाराणसी जिला अस्पताल (शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय) संदर्भित किया गया है। कुल २७४ बच्चों का मेडिकल एसेसमेन्ट किया गया एवं १२१ बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। २७४ में सं ६३ बच्चें स्कूल से बाहर है, जिन्हें स्कूल में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास क्षेत्रों का चयनः डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के दो विकास क्षेंत्रों सैदपुर एवं देवकली का चयन समेकिल शिक्षा के अन्तर्गत किया गया है, जिसे पूर्ण रूप से अच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है।

२००२–२००३ में देवकली, सैदपुर, करण्डा, गाजीपुर सदर मनिहारी और नगर क्षेत्र २००३–२००४ में कासिमाबाद सादात, जखनियाँ और बिरनों और मदरह २००४–२००५ में बाराचवर, भांवरकोल, भदौर, रेवतीपुर, जमानियाँ और मुहम्मदाबाद को आच्छादित करके तीन चरणों में कार्य कराकर समेकित शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण जनपद आच्छादिता हो जायेगा। तत्पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना अवधि में जनपद के समस्त १६ विकास क्षेत्रों एवं नगर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

उपर्युक्त तालिका के स्पष्ट है कि जनपद में कुल ४६६१ आवश्यकता वाले बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें दृष्टि विकार वाले ६३.८ अस्थित विकार २६७२, श्रवण एवं वाणी ८६६, मानसिक ४६१ एवं अन्य १७४ बच्चे हैं। विद्यालय में ३१२३ बच्चों को प्रवेशा दिलाया गया है एवं विद्यालय से बाहर १२०८ बच्चे हैं। जिनकी अक्षमता गंभीर है, जिन्हें विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तग्रत १४ से १८ वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हांकन माइक्रोप्लानिंग के आधार पर करा कर उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

अनुमानित बजट

क्र. सं.	मद		अनुमानित बजट
१.	सर्वेक्षण		
२.	चिकित्सा आंकलन १०००×५×१५	=	७५ए०००
३.	(प) मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग २×१५×२५७५	=	७७ए२५०
	(पप) पाँच दिवसीय (अध्यापकों का) प्रशिक्षण (६८४३/३७= १८५) ×१७,२००	=	३१ए८२ए०००
४.	छपाई १५×१०,०००	=	१ए५०ए०००
५.	(प) उपकरण एवं उपस्कर (कुल का ४० प्रतिशत)	=	४७ए०४ए२०४
	(पप) उपकरण एवं उपस्कर वितरण कैम्प (१७×१०,२००		१ए७०ए०००
६.	स्वास्थ्य परीक्षण (रजिस्टरों हेतु) २४७१×४×२०×१० वर्ष	=	१६ए७६ए८००
७.	वातावरण सृजन–		
	(प) जिला स्तरीय गोष्ठ १×१५,०००	=	१५ए०००
	(पप) ब्लांक स्तरीय गोष्ठी १७×१५,०००	=	६०ए१००
	(पपप) न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठी १६३×५,,३००	=	१०ए२२ए६००
८.	अभिभावक परामर्श केन्द्र १७×५००×१० वर्ष	=	८५ए०००
९.	तहसील मुख्यालयों पर रिसोर्स रूम ५×३,०००	=	१ए५०ए०००

१०.	स्पेशल कैम्प १७×३,०००	=	५१ए०००
११.	वोकेशनल कैम्प १७×३,०००	=	५१ए०००
१२.	३ दिसम्बरं को खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम		
	(प) न्याय पंचायत स्तरीय १६३×२,०००×१० वर्ष	=	३८ए६०ए०००
	(पप) ब्लाक स्तरीय १७×५,०००×१० वर्ष	=	८ए५०ए०००
	(पपप) जिला स्तरीय १×२०,०००×१० वर्ष	=	२ए००ए०००
१३.	इन्फ्रास्ट्रक्चर रैम्पस १२६३×१,०००	=	१२ए६३ए०००
१४.	स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता १७×३,००,०००	=	५१ए००ए०००
१५.	अन्य व्यय १७×१०,०००×१० वर्ष	=	१ए७०ए०००
		योग =	**२ए३२ए७३ए२५४**

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मेडिकल एसेसमेंट २–३ न्याय पंचायतों पर एक शिविर लगाकर विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम द्वारा कराया जायेगा इस टीम में नेत्र विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट, ई॰एन॰टी॰ सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन एवं साइक्लाजिस्ट होंगे। मेडिकल एसेसमेंट के द्वारा यह जानकारी मिल जाएगी कि किस बच्चे में किस प्रकार की एवं कीतनी अक्षमता है। तथा बच्चें को किस प्रकार के उपस्कर एवं उपकरा की आवश्यकता है इसका भी निर्धारण किया जाएगा।

२००२–२००३ में ६५ न्याय पंचायतों में २२ मेडिकल एसेसमेंट कैम्प

२००३–२००४ में ६२ न्याय पंचायतों में २१ मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प

२००४–२००५ में ६६ न्याय पंचायतों में २२ मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प किये जाने के उपरानत २००५ से २०१० तक १६३ न्याय पंचायतों में ६७ में मेडिकल एसेसमेंट शिविर का आयोजन प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण :–

डी॰पी॰ई॰पी॰ के अन्तर्गत चयनित दो विकास क्षेत्रों सैदपुर एवं देवकली से ३–३ मास्टर ट्रेनरर्स और प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के १६ विकास क्षेत्रों से ३२ मास्टर ट्रेनर्स का १० दिवसीय प्रशिक्षण २००२'२००३ में कराया जाना है। इन मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेल खण्ड यूनिवर्सिटी बरेली, अमरज्योति रिहैबलीटेशन एवं रिसर्च सेन्टर ककरडूमा विकास मार्ग दिल्ली, उत्तर प्रदेश विकलांग केद्र रूरल रिसर्च सोसायटी, १३ लूकरगंजइलाहाबाद अथवां जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) एवं रिसोर्स पर्सन के द्वारा मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण जिला परियोजना कार्यालय पर भी कराया जा सकता हैं। इन मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय भी देव होगा।

फाउण्डेशन कोर्स :– डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अर्न्गत संचालित दो विकास खण्डों में से एक एवं विकास खण्ड सैदपुर में एकव्यक्ति को फाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

सर्वशिक्षा अभियान के अनर्गत कुल १६ ए॰बी॰आर॰सी॰/एन॰पी॰आर॰सी॰ को ४५ दिवसीय फाउण्डेशन कोर्स में प्रशिक्षण वर्ष २००२–०३ में कराया जाना प्रस्तावित है। फाउण्डेशन कोर्स प्राप्त करने के उपरान्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक सपोर्ट हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे। फाउण्डेशन कोर्स उन्हीं संस्थाओं से कराया जायेगा जिनको आर॰सी॰ आई॰ द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हों।

अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

डी॰पी॰ई॰पी॰ के अर्न्गत चयनित दो विकास क्षेत्र सैदपुर एवं देवकली में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ८४१ अध्यापकों का प्रशिक्षण ६ फरवरी २००२ तक

पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इन विकास खण्डों में स्थिति उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का ५ दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा के अन्तर्गत १५ विकास खण्डों तथा नगर क्षेत्र में कार्यतर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण वर्ष २००२–०३ में कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में ४६३६ अध्यापक ५ दिवसीय प्रशिक्षण हेतु शेष हैं। जिनका प्रशिक्षण २००२–०३ में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष नव नियुक्ति होने वाले अध्यापकों का पांच दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण भी आवश्यकतानुसार कराया जाना है।

इसके अतिरिक्त वर्ष २००६–०७ में प्रत्येक अध्यापक को २ दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण किया जाना भी प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य परीक्षण :–

डी०पी०ई०पी० के द्वारा जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहाहै। इस योजना के अन्तर्गत १३३३ प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेखीकरण हेतु तीन प्रकार के रजिस्टर का मुद्रण एवं क्रय किया जा चुका है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जाएगा। जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट लिखने हेतु प्रत्येक विद्यालय पर चार प्रकार के रजिस्टर भी रखे जायेंगे, इन रजिस्टरों में लाल रजिसटर – गम्भीर रोगों के लिए, पीला रजिस्टर– कम गम्भीर रागों के लिए तथा हरा रजिस्टर सामान्य रोगों वाले बच्चों, सफेद रजिस्टर रोगमुक्त बच्चों की प्रविष्टि अंकित करने के लिए प्रस्तावित है। प्राथमिक

तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल २४७१ग४= ६८८४ रजिस्टरों की मुद्रण वर्ष २००२–०३ में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण सामग्री का विकास :–

जनपद के कुल शिक्षा मित्रों/अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की विशेष पुस्तकों एवं फोल्डर का मुद्रण कराया जाएगा, इन पुस्तकों एवं फोल्डरों में निम्नांकित बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

शिक्षक हस्तपुस्तिका (समेकित शिक्षा) के अन्तर्गत सभी प्रकार के विशेष आवश्कयता वाले बच्चों की पहचान, कारण व बचाव तथा कक्षा प्रबन्धन के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

निम्नवत् फोल्डर का मुद्रण करया जाना प्रस्तावित है –

१. दृष्टि अक्षमता के कारण, पहचान एवं आवश्यक उपकरण, दृष्टि अक्षम बच्चों की समस्यायें, कक्षा प्रबंधन एवं अध्यापक की भूमिका।

२. श्रवण अक्षमता क्या है? कारण एवं पहचान, आवश्यक उपकरण श्रवण अक्षम बच्चों की समस्याएँ कक्षा प्रबंधन एवं अध्यापक की भूमिका।

३. शारीरिक अक्षमता क्या है? कारण एवं पहचान आवश्यक उपकरण शारीरिक अक्षम बच्चों की समस्यायें कक्षा प्रबनध एवं अध्यापक की भूमिका।

४. मानसिक अक्षमता क्या है ? कारण एवं पहचान, मानसिक अक्षम बच्चों की समस्यायें, कक्षा प्रबन्धन में अध्यापक की भूमिका।

५. अधिगम अक्षम बच्चों की पहचान एवं समस्यायें कक्षा प्रबन्धन में अध्यापक की भूमिका ।

६. आप इनके लिए क्या कर सकते हैं ?

उपरोक्त पुस्तकों एवं फोल्डर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एवं वातावरण सृजन में सहयोग मिलेगा।

मुद्रण :–

डी॰पी॰ई॰पी॰ के द्वारा विकास क्षेत्र सैदपुर एवं देवकली में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षक हस्त पुस्तिका एवं ६ फोल्डरों कामुद्रण करा जाना प्रस्तावित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण, वातावरण, सृजन, हैंडीकैण्ड, हेल्पलाईन हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तक, फोल्डर, स्टीकरण का मुद्रण का कराया जाना है, जिससे समाज, समुदाय के लोगों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

रिसोर्स केन्द्र की स्थापना :–

जनपद के चार तहसील मुख्यालयों में समेकित शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए रिसोर्स रूम स्थापित किया जायेगा। यहां अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिए, उनसे संबंधित विशेष प्रकार की शैक्षिणिक सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी, जैसे–ब्रेलकिट, टेलर फ्रेम, अबेकस स्टाइलस आदि। एवं विशिष्टि, आवश्यकता वाले बच्चों को शैथ्क्षक सपोर्अ दिया जायेगा।

विद्यालयों में रैम्प का निर्माण :–

निर्माणाधीन विद्यालयों में रैम्प का निर्माण कराया जाएगा। तथा पूर्व निर्मित विद्याल्योंमें भी रैमप का निर्माण कराया जाना है। जिससे अक्षमता ग्रसत बच्चें विद्याल्यों में व्हीलचेयर और ट्रावसाइकिल लेकर अन्दर आ–जा सकें। यह निर्ताण कार्य प्रति वर्ष २००२–०३ से कराया जाना प्रस्तावित है।

उपस्कर एवं उपकरण वितरण शिविर :–

मेडिकल ऐसमेंट में निर्धारित उपकरणों के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु उपकरण एवं उपकरण वितरण हेतु ब्लाकस्तर पर प्रतिवर्ष एक–एक

कैम्प लगाये जायेंगे तथा उवस्कर एवं उपकरण वितरण कराया जायेगा, जिससे विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

उपस्कर एवं उपकरण की उपलब्धता :–

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क उपकरण एवं उपकरण दिलानेहेतु निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा।

१. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकालंक संस्थान ११६ राजुपर रोड देहरादून।

२. अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा, बम्बई।

३. एलिम्कों जी॰टी॰ रोड – कानपुर २०८०१६

४. अमर ज्योति रिहैविलीटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर ककरडुमा विकास मार्ग, नई दिल्ली नं॰ १००२६।

५. भारत सरकार की सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजट फिट भेंट सेन्टर ।

६. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोदिकास नगर बोअन पल्ली सिकन्दराबाद – ५००००६ ।

७. नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेंट काटन ग्रीन एल॰ पी॰ बाला कम्प्लेक्स बम्बई, महाराष्ट्र।

८. मंगलम ए॰–४४५ इन्द्रानगर लखनऊ ।

९. यू॰ पी॰ विकलांग केन्द्र १३ लूकरगंज, इलाहाबाद।

१०. एन॰आई॰ओ॰एच॰ बान हुगली कलकत्ता।

११. कल्याणम् करोति मथुरा।

आई॰ई॰पी॰ का निर्माण :–

प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का व्यक्तिगत, शैक्षिणक कार्यक्रम का निर्माण रिसोर्स पर्सन एवं जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) द्वारा कराया जायेगा। जिसका मूल्यांकन प्रति तिनाही सामान्य बच्चों के साथ कराया जाएगा।

समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :–

अक्षमता के शिकार बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके अन्दर निहित भावना को दूर करने हेतु विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को सामानय बच्चों के साथ समेकित कर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन प्रस्तावित है, इस खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में निम्न प्रतियोगी विद्यालय न्याय पंचायत, विकासखण्ड स्तर तथा अन्त में जिला स्तर पर विजयी प्रतिभागियों के मध्यम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

क : – समेकित खेलकूद में आयोजित होने वाली प्रस्तावित प्रतियोगिताएँ :–

१. जलेबी दौड (एकसामान्य तथा एक विशिष्टि बालक के साथ

२. कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता (एक सामान्य तथा एक विशिष्टि बालक के साथ)

३. क्रिकेट प्रतियोगिता

४. लम्बी कूद प्रतियागिता

५. ऊँची कूद प्रतियोगिता

६. रिले रेस प्रतियोगिता

७. बास्केट बाल प्रतियोगिता

खः– सांसकृतिक प्रतियोगिता के अन्तर्गत आयोजित होने वाली प्रस्तावित प्रतियोगिताए :–

१. गीत गायन प्रतियागिता

२. नृत्य प्रतियोगिता

३. हारमोनियम वादन प्रतियोगिता

४. बांसुरी वादक प्रतियोगिता

५. तबला वादन प्रतियागिता

६. ढोलक वादन प्रतियोगिता

ग: बौद्धिक विकास के लिए आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित प्रतियागिताएँ :–

१. पोस्टर प्रतियागिता (चयनित विषय पर)

२. नारा लेखन प्रतियोगिता

३. वाद विवाद प्रतियोगिता

४. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

५. क्वीज प्रतियोगिता

उपरोक्त प्रतियोगिताएँ सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर विशेंष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सक्षम बच्चों की संयुक्त टीम बनाकर करायी जाएगी तथा उपरोक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है। न्याय पंचायत स्तर पर विजयी प्रतिभागियों को विकास खण्ड स्तर पर भेजा जाना है तथा अन्तमें विकासखण्ड स्तर से सभी विजयी प्रतिभागियों के साथ तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित हैं, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन जिले स्तर पर प्रतिवर्ष २–४ दिसम्बर को अर्न्तराष्ट्रीय विकलांग दिवस पर किया जाना प्रस्तावित है, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथितियों को आमंत्रित किया जाएगा और विधिवत औपचारिक उद्घाटन समारोह तथा समेकित खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस अवसर पर विकास विभाग के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी/स्टाल लगाये जायेंगे जनपद में हो रहे विकास कार्यक्रमोंकी जानकारी विशिष्टि अतिथियों द्वारा समापन समारोह के अवसर पर

पुरस्कृत किया जाएगा, इस कार्यक्रम में विशिष्टि आवश्यकता वाले छात्रों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवियों अधिकारियों को भी पुरस्कृति किया जाना प्रस्तावित है।

वातावरण सृजन :–

वातावरण सृजन में निम्न कार्य सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

१. जिला स्तरीय गोष्ठी :–

वातावरण सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथमतया जिला स्तर पर जिला स्तरीय गोठी का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त महोदय द्वारा सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निम्न सम्मानित लोगों का प्रतिभाग प्रस्तावित है :–

१. जिलाधिकारी

२. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित प्रमुख संदर्भी व्यक्ति

३. मुख्य विकास अधिकारी

४. जनपद स्तर पर समस्त अधिकारी गण

५. सभी उपजिलाधिकारीगण

६. सभी खण्डविकास अधिकारी गण

७. समस्त ए०बी०एस०ए०

८. समस्त बी०आर०सी० समन्वयक

९. स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण

१०. समस्त वरिष्ठ पत्रकारगण

११. समस्त विधायक

१२. माननीय मंत्री गण

१३. माननीय सांसद

१४. सम्मानित जन प्रतिनिधि

१५. विशिश्टि आवश्यकता वाले बच्चे एवं उनके अभिभावक व अध्यापक

१६. संदर्भ संस्थाओ के पदाधिकारी/अधिकारीगण

इस गोष्ठी में ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से देश, प्रदेश तथ जनपद के विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति का आकलन दृश्य एवं श्रव्य (।नकपव. टपकमव) के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इस प्रस्तुति के आधार पर उपरोक्त प्रतिनिधियों द्वारा रणनीति निर्धारण किया जाएगा कि विकास खण्ड, न्याय पंचायत व ग्रामपंचायत स्तर पर वातावरण सृजन का कार्य कैसे किया जाय ? गोष्ठी में उभरकर आये सुझावों एवं निष्कर्षों का क्रियान्वयन मीडिया में प्रसारित कराया जाना प्रस्तावित है।

२. **विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठी :–**

उपरोक्तानुसार विकास खण्ड के सम्मानित व्यक्तियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को मोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो अक्षमताग्रसत व्यक्तियों को समय–समय पर मिलने वाली समस्त शासकीय सुविधाओं की जानकारी देगं तथा उनकी समस्याओं का निराकरा कराने के लिए जिला एवं शासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे, जिससे विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों को भेदभाव के बिना अवसर प्रदान कर समस्त गतिविधियों में सम्मिलित किया जा सके तथा अक्षमताओं से बचने के लिए उपाय करने संबंधी परामर्श दिये जायेंगे, इसमें मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

३. **न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठ :–**

जनपद के १६३ न्यायपंचायतों में विशिष्ट अक्षमता वाले व्यक्तियों के वातावरण सृजन हेतु न्यायपंचायत स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

जायेगा। जिसमें सर्वशिक्षा अभियान के विषय में सभी ग्राम पंचायतों, बी०डी०सी० सदस्यों, छात्रों तथा अभिभावकों के साथ आयोजित किया जायेगा। जिसमें विकास खण्ड स्तर के अधिकारी भाग लेंगे, जो पूर्व में विकास खण्ड स्तर पर जागरूक किये गये हैं।

ग्राम प्रधानों तथ माननीय जनप्रतिनिधियों के विचार इस निमित्तत आमंत्रित किये जायेंगे तथा उसमें से अच्छे सुझाव के साथ योजना का निर्माण किया जायेगा।

प्रचार–प्रसार :–

जनपद केसिनेमा घरों में मनोरन्जन अधिकारी के सहयोग से स्लाइड शो का आयोजन प्रत्येक शो में या दिन में एक बार किया जाएगा। स्लाइड विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चोंकी स्थिति को ऊपर उठाने हेतु जनसमान्य की भूमिका पर बनायी जाएगी।

पदयात्रा/साइकिल यात्रा :–

जनपद में २ या ३ दिसम्बर को होने वाले खेलकूद/सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रारमभ में जनपद मुख्यालय/ब्लाक मुख्यालयों पर पद यात्रा/साइकिल यात्रा आयोजित की जायेगी।

अभिभावक मार्ग निर्देशन :–

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले अभिभावक तथा समुदाय के लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखते हैं और उनके साथ सामानय बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। जिस कारण वे दीनहीन दशा के शिकार हो जाते हैं वहाँ आवश्यकता इस बात की हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को २००२–२००३ में ६५ न्याय पंचायतों में, २००३–०४ में ६२ न्याय पंचायतों एवं २००४–०५ में ६६ न्याय पंचायतों पर महीने में एक बार दो दिवसीय अभिभावक अभिप्रेरण कार्यशाला का आयोजन

कर अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण एवं सुझाव के विषय में अवगत कराया जायेगा, जिससे वे अपने बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहें। इसके उपरान्त २००५ से २०१० तक १६३ न्याय पंचायतों तथा नगर क्षेत्र में एक दिवसीय अभिभावकों अभिप्रेरणा कार्यशाला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

स्पेशल कैम्प (पेयर सेन्सटाईजोन) :–

विशेष आवश्यकता वाले बच्चोंएवं सामान्य के साथ तीन दिवसीय विशेष कैम्प का आयोजनतीन न्याय पंचायतों को मिलाकर किया जायेगा। जिससे विशेष आवश्कयता वाले बच्चों एवं समान्य बच्चोंकेबीच एकीकरण किया जा सके तथा सामान्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों केप्रति संवेदनशील बनाा जायेगा। यह स्पेशल कैम्प आवासीय होगा, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दैनिक दिनचर्या के विषय में होने वाली समस्याओं को सामान्य बच्चे भली–भा०ति समझ सके एवं उनका अपेक्षित सहयोग भी कर सकें।

२००२–२००३ में ६५ न्याय पंचायतों तथा नगर क्षेत्र में २२ विशेष कैम्प

२००३–२००४ में ६२ न्याय पंचायतों तथा नगर क्षेत्र में २१ विशेष कैम्प

२००४–२००५ में ६६ न्याय पंचायतों में २२ विशेष कैम्प किये जाने के उपरानत २००५ से २०१० तक १६३ न्याय पंचायतों में ६७ विशेष शिविरों का आयोजन प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कैरियर कार्यक्रम :–

जनपद गाजीपुर में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम (व्यक्तित्व विकास) संचालित किया जाएगा। इस निमित्त विकास खण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार एक दिवसीय

कैरिय काउंसिलिंग शिविर आयोजित किया जाएगा। यदि भारत सरकार द्वारा ब्लाक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) की स्वीकृति देदी जाएगी तो विकास खण्ड स्तर पर काउंसिलिंग सेन्टर वर्ष भर संचालित रहेंगे।

जनपद स्तर पर एक काउंसिलिंग सेन्टर पूरे कार्यकाल तक केलिए स्थापित किया जाएगा। इसी कार्याक्रम में 'हैण्डीकैप्ड हेल्पलाइन' अक्षमता सेवा केन्द्र स्थापित होगा।

जहाँ पर लोगों को साहित्य एवं विचार–विमर्शके माध्यम से जानकारी एवं सुविधाएं प्रदान किया जायेगा। जनपद स्तर पर संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी इस कार्यालय द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाएगी।

शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्र :–

जनपद के समस्त रिसोर्स पर्सन एवं मास्टर ट्रेनर्स को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न संस्थाओं/जनपदों में हो रहे पुर्नवास कार्यक्रमों एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों को दिखाकर तथा प्रशिक्षण दिलाकर जनपद के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आत्मनिर्भर हो सके।

व्यवसायिक दक्षता विकास कार्यक्रम :–

कौशल विकास एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नलिखित व्यवसायिक प्रशिक्षणों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

१. टोकरी निर्माण

२. बढ़ई गीरी

३. रस्सी बनाना

४. दोना पत्तल निर्माण

५. मोमबत्ती निर्माण

६. स्क्रीन प्रिंटिंग

७. अगरबत्ती निर्माण

उपर्युक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण के विकास की संभावना जनपद गाजीपर में अत्यधिक है, तथा बच्चों को नवीनतम तकनीक द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता हे। यह प्रशिक्षण आवासीय होगा। यह प्रशिक्षण २००२–२००३ में छः विकास क्षेत्र, २००३–२००४ में पाँच तथा २००४–२००५ में छः विकास क्षेत्रों में आयोजित किया जाना है। इसके उपरान्त २००५ से २०१० तक जनपद के समस्त विकास क्षेत्रों में प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर प्रति वर्ष दिलाया जाना प्रस्तावित है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रजकोर्स नवाचार कार्यक्रम :–

ड्रप आउट ६–१८ वय वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु ब्रिजकोर्स कैम्प लगाया जाएगा जिसमें कम से कम ३० बच्चे होंगे तथा यह केम्प एक माह के होंगे ब्रिजकोर्स में इनके रहने–खाने तथा शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। यह कैम्प ड्रापआउट बच्चों के लिए प्रतिवर्ष कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद गाजीपुर में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रिजकोर्स की आवश्यकता है ब्रिजकोर्स कार्यक्रम का संचालन जनपद में अक्षमता के क्षेत्र ने कार्यरत किसी एक अथवां अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा।

एम॰जी॰ओ॰ की शर्ते :–

१. संस्था सोसाईटीज रजिस्टेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिसटर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ है।

२. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।

३. विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

४. संस्था विकलांगता जन अधिनियम १९९५ की धारा–५ की अधिपंजीकृत

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिकाः—

सर्वशिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विशो आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु एन॰जी॰ओ॰ की सहायता ली जायेगी तथा शिक्षा कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये समेकित शिखा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहते है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, बच्चों शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकास करने विकास खण्ड तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित—प्रक्रिया तथा परादर्शी व्यवस्था स्थापित है। जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्यात प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्कटॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता हैं, तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ निम्नांकित हैं —

१. मानव कल्याण एवं उत्थान समिति, सन बाजार, कोट, गाजीपुर।

२. विकलांग कल्याण प्रा॰ स्कूल, समिति सब्बलपुर, जमानियां, गाजीपुर ।

३. पवहारी अंध एवं मूक बधिर विद्यालय, स्टेशन रोड़, गाजीपुर ।

ये स्वयं सेवी संगठन गाजीपुर में पहले से ही विकलांग बच्चों के लिए कार्य कर रहीं हैं, सर्वशिक्षा कार्यक्रम में इनकों सम्मलित किया जा सकता है।

Aid & Appliences :-

वास्तव में उपस्कर एवं उपकरण निःशुल्क प्रदान करने वाली कई संस्थायें हैं। परन्तु परीक्षणापेरांत अधिकाशतः उपकरण उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। समय समय पर किए गये मेडिकल ऐसेसमेन्ट द्वारा चिन्हित, बच्चों को जिन्हें उपकरण एवं उपस्कर चाहिए, की संख्या प्राप्त की जा सकती है, एक ब्लॉक पर हुए दो मेडिकलि एसेसमेन्ट कैम्प के आधार पर जनपद गाजीपुर में उपकरण एवं उपस्कर हेतु आवश्यक (अनुमानित) धन की आवश्यकता सम्भावित मूल्य १,१७,६०,५१० है तथा इसकी ४० प्रतिशत धनराशी ४७,०४,२०४ का व्यय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रिया जाना प्रस्तावित है। शेष मूल्य ६० प्रतिशत का वहन ऐलिम्को अथवा एडिप के द्वारा किया जायेगा।

दो कैम्प में चिन्हित विभिन्न प्रकार के अक्षमता के बच्चों हेतु निम्नवत् उपकरणें का प्रस्ताव किया गया है :–

क्र०सं०	उपस्कर/उपकरण का नाम	मात्रा	दर	सम्भावित
१.	ट्राय साइकिल	१३	४१५०	५३,६५०
२.	ब्हील चेयर	१८	५५००	६६,०००
३.	कैलीपर्स	५५	५१००	२,२५,५००
४.	ब्लाइंड स्टिक+चश्मा	६	३००	२,७००
५.	क्रच	१	१५०	१५०
६.	हेयरिंग एड़	५०	१२५०	६२,५००
७.	ब्रेलकिट	६	१०००	६,०००
८.	बेसाखी	११	५६०	६,१६०
	योग			३,५१,०६०

उपर्युक्त आंकड़े २ कैम्प के हैं, इनहें २ से विभाजित कर ६७ (जितने कैम्प लगवाने हैं।) से गुण करने पर १,१७,६०,५१० – अतः उसका सम्भावित मूल्य तभी जनम किया जा सकता है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्वेशिक्षा अभियान को सफल्त बनाने में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर स्तर पर नगर शिक्षा समिति को और मजबूत एवं सक्रिय बनाना होगा। आज की परिस्थितियों में जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका है तथा हर स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है उस स्थिति में बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकेगा।

पूर्व में ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है, इससे हमें विद्यालय में समितियों की भागीदारी दिखाई पड़ी है, परन्तु अभी भी अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियाँ सहयोग नहीं कर रही हैं, इस स्थिति में उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोध कराने हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।

विभिन्न विभागों से समुदायिक गतिशीलता के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों से इस विभाग को जोड़कर भी लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया जाने का लक्ष्य है।

वातावरण सृजन :–

लोगों को सक्रिय एवं गतिशील बनाने हेतु रैली, पद यात्रा, लोगों से विचार विमर्श, होडिग्स, दीवार लेखन आदि के द्वारा वातावरण सृजन किया जाना है।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :–

समुदाय एवं विद्यालय में सामंजस्य स्थापित करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराना आवश्यक होगा। इसके लिए नवीन चयनित शिाा समिति को प्रशिक्षण एवं प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विद्यालय को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका :–

विद्यालय भवनों के रखरखाव एवं परिसर को आकर्षक बनाने में समुदाय का सहयोग आवश्यक है। सथ ही विद्यालय भवन हेतु भूमि एवं मैंदान के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में समुदाय सहयोग करेगा। समुदाय को यह बताना आवश्यक है कि बच्चे खेल खेल में भी काफी कुछ सीखते है। विद्यालय परिसर में फलदार वृक्ष एवं बागवानी समुदाय के लोगों द्वारा लगाई जायेगी तथा उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी जाएगी।

विद्यालय साज–सज्जा में सहयोग :–

कार्यक्रम के अर्न्गत विद्यालयी साज–सज्जा के लिए जो धन प्राप्त होते हैं उनका सदुपयोग एवं उस धन से उत्कृष्ट चीजों की खरीदारी में समाज का सहयोग लिया जाएगा।

साथ ही साथ कक्षा निर्माण, भवन मरम्मत, चहार दीवारी निर्माण, विद्यालय प्रांगण की भूमि असमतल होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सहयोग लिया जाएगा।

अध्यापकों को सहयोग :–

ग्राम शिक्षा समिति तथा गॉव के नौजवानों को अध्यापकों के सहयोग हेतु कुछ समय देने हेतु प्रेरित किया जाएगा ताकि वे स्वयं भी बच्चों से बात करें तथा बच्चों को पढ़ावें तथा बच्चों को जो पढ़ाया गया है, उनका मूल्यांकन करें।

साथ ही वे राष्ट्रीय पर्वों एवं महापुरूषों की जन्मतिथियों पर विद्यालय पर कार्यक्रम के आयोजन में अध्यापकों के सहयोग करं तथा बच्चों की उपलब्धियों की जानकारी उनके अभिभावकों को देने तथा उत्कृष्ट बच्चों कोपुरस्कृत करने हेतु भी प्रेरित किया जाएगा।

शिल्प एवं क्राफ्ट में सहयोग :–

प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों में शिल्प एवं क्राफ्ट की जानकारी समुदाय के सहयोगसे दी जाएगी। समुदाय में शिल्प एवं क्राफ्ट के जानकार लोगों को विद्यालय में लेकर समय–समय पर बच्चों कोइसमें पारंगत बनाया जाएगा।

अभिनय एवं संगीत :–

बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रमोंमें के जानकार लोगों का सहयोग विद्यालय में लिया जाएगा, उन्हें समय समय पर बुलाकर बच्चों का अभयास कराया जाएगा।

पुस्ताकलय की सुविधा :–

लोगों में पढ़ने की रूचि जागृत करने के लिए संकुल स्तर पर एक पुस्कालय की स्थापना की जाएगी, जिसका संचालनसमुदाय एवं संकुल प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

संकल पर वीडियों की व्यवस्था :–

समुदाय को समय–समय पर गतिशीलत बनाने हेतु दृश्य श्रव्य माध्यमों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रत्येक संकुल पर एक टी॰ वी॰, एक बी॰सी॰आर॰ की व्यवस्था की जाएगी, जिसका संचालन संकुल प्रभारी एवं समुदाय मिलकर करेगा। प्रयोग, के तौर पर प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक एक संकुलों पर यह व्यवस्था की जाएगी। तथा सकारात्मक परिणाम मिलने पर सभी १०२ संकुलों पर यह व्यवस्था कर दी जाएगी।

स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका :–

समुदाय, शिक्षकों तथा अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जाएगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जाएगा।

महिला विकास कार्यक्रम :–

जनपद में महिला साक्षरता दर अति न्यून रहने के पीछे महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। इसलिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को शिक्षा केप्रति जागरूक बनाना अपरिहार्य समझा गया। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि महिलाओं के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम चाये जाते है उनकी जानकारी उनको नहीं है इसके लिए विकास खण्ड स्तर पर ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधियों एवं ग्राम स्तर पर जागरूक लोगों की एक गोश्ठी का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन प्रत्येक दूसरे वर्ष कराया जायेगा। एक वर्ष में प्रत्येक विकास पर लगभग रू॰ २० हजार व्यय होगां

ग्राम शिखा समितियों की कार्यशाला :–

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता विकास हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग समय–समय पर प्राप्त होता रहता हे। यह सहयोग, भवन निर्माण, भवन मरम्मत, रख–रखाव, साज–सज्जा, चहारदिवारी, ई॰सी॰सी॰ई॰ कार्यकत्रियों के मानदेय आदि के रूप में प्राप्त होता हे। इन सहयोगों के अनुभवों/कार्यों के आदान–प्रदान की आवश्यकता महसूस की गई

हैं यह कार्यशाला न्याय पंचायत स्तर पर कराया जायेगा। इस कार्यशाला में न्याय पंचायत के प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के पांचों सदस्य प्रतिभाग करेंगे तथा अपनी प्रगति तथा सफलता एवं असफलता में प्राप्त अनुभवों का आदान–प्रदान करेंगे। यह कार्यशाला प्रतिवर्ष कराया होगा। प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड के दो न्याय पंचायतों में कराया जायेगा। प्रति कार्यशाला व्यय रू॰ ४ हजार आयेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान :–

शिक्षा के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए चिन्हिनत ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा। इसके ग्राम शिक्षा समितियों में प्रति स्पर्धा बढ़ेगी तथा विद्यालय से जुड़ाव बढ़ेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :–

गाँव की शिक्षा व्यवस्था बिना गाँव के लोगों के सहयोग के सम्भव नहीं है कयोंकि गाँव में शैक्षिण सुविधायें कौन सी नहीं हैं। समुदाय को पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है यह गाँव के लोगों को हीपता होता है इसलिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन गाँव के लोगों के बीच से ही किया गया, इनके कार्य एवं उत्तदायित्व क्या हैं? इसकों बताने हेतु ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने हेतु इन्हीं सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ में कराया जाना २०००–०१ में ५०० ग्राम शिज्ञखा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया। वर्ष २००१–०२ में ५५० ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। १९९८–९९ में ७०४ गठित ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण करा गया। सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक ५ साल पर पूर्ण प्रशिज्ञखण एवं प्रत्येक दूसरे वर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।

जनपद में ५०० ग्राम सभाओं में सूक्ष्म नियोजन कराया जा रहा है। में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण करा गया था उसी समय सूक्ष्म नियोजन कराया गया

था। सूक्ष्म नियोजन में बच्चों की गणना, पढ़ने न पढ़ने वाले बच्चे, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को चिन्हित किया गया।

सूक्ष्म नियोजन/ग्राम शिक्षा योजना के फायदे :–

१. ०–६, ६–११, ११–१४ वय वर्ग के सभी बच्चों की गणना।

२. ६–११ एवं ११–१४ वय वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे की पहचान।

३. ६–११ एवं ११–१४ वय वर्ग के न पढ़ने वाले बच्चों की पहचान।

४. न पढ़ने वाले बच्चों की समस्याएँ।

५. विकालंग बच्चों की पहचान।

६. बच्चों हेतु विद्यालय की उपलब्धता।

७. कक्षा कक्षों की उपलब्धता।

८. पेयजल की उपलब्धता ।

९. सौचालय की उपलब्धता।

१०. शिक्षक की उपलब्धता ।

११. संसाधन की उपलब्धता ।

समय–समय पर सूक्ष्म नियोजन का अपडेशन होता रहता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष सूक्ष्म नियोजन के ऑकड़ों का अपडेशन कराया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। प्रत्येक पॉचवें वर्ष ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण करा जायेग, जिसमें इकाई लागत रू॰ १.५ हजार है।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अत **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। **शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय – ०६

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास

जनपद गाजीपुर वर्ष २००० से डी०पी०ई०पी० से आच्छादित है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विकास के दायित्व का निर्वहन डायट, सैदपुर करता आ रहा है अतएव जनपद के १६ बी०आर०सी० एवं १६३ एन०पी०आर०सी० के माध्यम से डायट सैदपुर विविध कार्यक्रमों का संचालन, अनुश्रवण एवं अकादमिक सपोर्ट देता आ रहा है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के विविध प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों का आयोजन तथा प्रशिक्षणोपरान्त उनका विद्यालय स्तर पर अनुप्रयोग सुनिश्चित करवाने के लिए पर्यवेक्षण, बच्चो/शिक्षकों को अनुसमर्थन प्रदान करने में डायट के निर्देशन में बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

शैक्षिक सपोर्ट के साथ–साथ शिक्षा–मित्र/आचार्य जी, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन कर उनकी क्षमता वृद्धि के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, कक्षा शिक्षण गुणवत्ता संवर्द्धन, सामुदायिक सहयोग, बच्चे एवं शिक्षकों से संबंधित शैक्षिक कठिनाइयों का चिह्नीकरण और उनके निराकरण हेतु व्यवस्थित कदम उठाने के लिए डायट द्वारा 'एक्शन रिसर्च' करवाये गये, जिसके उत्साह जनक परिणामों को कार्यशालाओं, गोष्ठियों के माध्यम से शिक्षकों/विद्यालयों तक पहुँचाया गया। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए टी०एल०एम० निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कार्यशालाओं/मटेरियल मेलों के आयोजन में डायट, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० की सक्रिय भूमिका रही है। विद्यालय की समग्र उन्नति के लिए निर्धारित मानक बिन्दुओं के आधार पर उनका श्रेणीकरण और आवश्यकतानुसार उनको सहयोग प्रदान करने के लिए डायट मेंटरों, समन्वयकों एंव संकुल प्रभारियों का नियमित भ्रमण होता है। भ्रमण आख्याओं के आधार पर डायट स्तर पर उनका विश्लेषण निष्कर्षो के आधार पर मार्ग दर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार १९९६ से प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति वृद्धि के लिए डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर यह प्रयास छिटपुट ही हो सके हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान किया जा सका है –

१. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्षमता की वृद्धि ।
२. उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट ।
३. उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए चरणबद्ध सेवारत प्रशिक्षण ।
४. हाईस्कूल व इण्टर कालेजों से सम्बद्ध कक्षा ६ से ८ के बच्चे/शिक्षकों, मान्यता प्रापत पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे/शिक्षकों के लिए शैक्षिक अनुसमर्थन कार्यक्रम ।
५. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच से दूर क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था।

६. विशेष आवश्यकता, वाले बच्चों तथा मकतब/मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं किन्तु पूरे जनपद मर्में सुनियोजित ढंग से लागू करना अभी शेष है।

<u>पूर्व प्राथमिक शिक्षा</u> –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ और बाद में उसके पुनरावलोकन के लिए गठित विभिन्न समितियों/कर्मचारियों ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिशु शिक्षा पर विशेष बल दिया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए जनद में शिुश शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र० द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आँगनबाड़ी केन्द्रों में से ६७५ केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को ७ दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया। वर्ष २०००–२००१ में इन्हें पुनः ७ दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनके कार्यो के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्धित बी०आर०सी० समन्वयक, सह समन्वयक, एवं संकुल प्रभारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है, जिनकी संख्या निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्शित की गई है –

दिनांक ०१–०६–०१ से २८–०६–०१ तक, चार चक्रों में ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, समन्वयकों, सहसमन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों के प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है –

ब्लाक	आंगनबाड़ी केन्द्र/कार्यकत्रियों की सं.	सहायिकाओं की संख्या	समन्वयक	सहसमन्वयक	सी.डी. पी.ओ.	कुल योग
सदर	२०		०१		०६	३०
करण्डा	२५		०१		०४	३०
मनिहारी	२२		०१		०७	३०
योग	७०		०३		२०	६०

<u>ग्राम शिक्षा समिति</u> –

ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना का मूल उद्देश्य गाँव की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त एवं दुरूस्त बनाकर सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में ग्राम शिक्षा समिति के अन्तर्गत शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से संचालित किया गया है। जिसके गठन का प्रारूप निम्नलिखित है –

१. ग्राम पंचायत का प्रधान

२. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठ तक सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

३. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

कार्य – ग्राम शिक्षा समिति के कार्य निम्नलिखित है –

१. शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

२. शैक्षिक विद्यालय संचालन, शिक्षा सुधार / रूचिपूर्ण शिक्षा / पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री, उत्तरदायित्व वहन करना / गाँव की शिक्षा की समूची व्यवस्था को अंगीकृत करना।

३. सहभागी क्रियाओं द्वारा संर्वेक्षण, स्कूल–मानचित्रण, सूक्ष्म नियोजन, ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना।

४. वित्तीय संसाधन जुटाना एवं संसाधनों का प्रबन्धन ।

५. अन्य विभागों / योजनाओं से सहयोग, समन्वयन ।

६. विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण करना ।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थिति निम्नलिखित सारिणी में प्रदर्शित है

ग्राम शिक्षा समिति	प्रशिक्षित
१०५०	५००

डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत जनपद गाजीपुर में ग्राम शिक्षा समितियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इनके प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी०आर०जी०) का गठन जनपद स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन समूह (बी०आर०जी) का गठन किया गया। बी०आर०जी० के सदस्यों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में डायट स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। इन्हीं संदर्भ व्यक्तियों द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान "ग्राम शिक्षा समिति–प्रयास एवं संकल्प" नामक प्रशिक्षण माडयूल तैयार किया गया व एक कार्य पुस्तिका के उपयोग से सम्पन्न किया गया। इस प्रशिक्षण माडयूल के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है –

१. प्रशिक्षण कार्यक्रम शैक्षिक वातावरण निर्माण के रूप में होना ।

२. इस कार्यक्रम में समुदाय के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना ।

३. प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्णतः क्रिया आधारित होना ।

४. ग्राम शिक्षा समिति को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्वों से परिचित कराना।

५. वर्तमान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण विद्या की सामान्य जानकारी से परिचित कराना ।

६. विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों से परिचित कराना ।

७. गाँव के शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन एवं शैक्षिक मानचित्रण तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराना ।

८. लिंग भेद एवं बालिकाओं भी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

९. सामान्य वित्तीय नियमों की जानकारी प्रदान करना ।

१०. विद्यालय भवन एवं कक्षा–कक्ष सौन्दर्यीकरण की जानकारी प्रदान करना।

ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के उपरान्त विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है स्कूल न आने वाले बच्चों विशेषकर लड़कियों के नामांकन में भी लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक, माता–शिक्षक संघ और माँ–बेटी मेलों का आयोजन भी ठहराव में सहायक रहा है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की जरूयरत है। बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण तथा

प्रशिक्षण के समय समुदाय के लोगों को कक्षा शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किया जाना अधिक उपयोगी होगां

अभिभावकों के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति होने में सहयोग मिलता है। यदि माता–पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य भाई–बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अधिकांश प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक अभिभावक कम पढ़े–लिखे या निरक्षर हैं और घरेलू कार्यो में लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं और न ही उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकत ही हैं।

शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं इनके माता–पिता या अभिभावक अधिकांशतः मजदूरी का कार्य करते हैं। ये शिक्षित भी नहीं होते हैं। इसलिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नही मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों की स्थिति और उनसे जुड़े मुद्दे –

जनपद गाजीपुर के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में एकरूपता का अभाव है। सेवारत अध्यापकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मानक अर्हता वाला नहीं है। यह वर्ग वर्तमान समय में सेवा निवृत्ति के कगार पर खड़ा है और अनुश्रवण के समय कार्य के प्रति उदासीनता/निष्क्रियता के कारणों को दर्शाता हैं। बहुत से शिक्षकों का विषय ज्ञान अपेक्षित स्तर का नहीं हैं, जिससे उन्हें प्रशिक्षण को समुचित रूप से ग्रहण करने में दिक्कत होती है और उनमें अपने उत्तरदायित्वों के प्रति भी उदासीनता परिलक्षित होती हैं।

शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने एवं कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत डायट में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि एवं शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। डी०पी०ई०पी० के पूर्व विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ मुख्य कठिनाइयाँ अनुभव की गई जो निम्नलिखित हैं –

१. इस प्रशिक्षण में सभी शिक्षकों को सम्मिलित नहीं किया वरन् सीमित संख्या में ही शिक्षकों को शामिल किया गया।

२. प्रशिक्षण की विषयवस्तु, अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों के लिए एक समान था चाहे वे ज़िस स्तर के हों, जिससे उन्हें कक्षा की वास्तविकताओं एवं प्रक्रियाओं से जुड़ने में कठिनाई हुई हैं।

३. प्रशिक्षण के उपरान्त फालोअप खासकर विकासखण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों में सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

४. प्रशिक्षण के दौरान शैक्षणिक सपोर्ट की व्यवस्था विषयवार नहीं थी।

५. शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिए कोई व्यवस्था नही की गई थी।

उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी०आर०सी० एवं न्याय पंचायत स्तर पर संकुलों की व्यवस्था है। प्रत्येक माह इन अभिकरणों के कर्मियों द्वारा विद्यालयों का शैक्षिक दृष्टि से अनुश्रवण किया जाता है। इस दौरान शिक्षकों एवं विद्यालय के शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसी भी समस्यायें होती हैं जिनके लिए डायट, बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० स्तर पर अल्प एवं दीर्घकालिक विद्यालय सुधार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को विद्यालयों में निरन्तर विकास के लिए आवश्यक सुझाव अलग से भी सुझाये जाते है। पर्यवेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि सुझावों पर अमल आशानुरूप नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था को नये सिरे से नियोजित करने की जरूरत है। जिससे दिये गये प्रशिक्षणों एवं सुझावों का कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रतिवर्ष समरत शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कराये जाने की व्यवस्था है। नवनियुक्त शिक्षकों को भी पूर्व में अलग से प्रशिक्षण दिया गया है। सामान्यतः डायट स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, अन्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण तथा बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक और ए०बी०एस०ए० आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी०आ०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं" के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किए गये पैरामीटर्स/इंडीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० को श्रेणीबद्ध किया जाता है।

विद्यालय श्रेणीकरण को शासन के नये आदेश के क्रम में गंभीरपूर्वक अनुपालन करने हेतु दिनांक ०२.०८.२००१ एवं १६.०८.२००१ को जिला परियोजना कार्यालय महराजगंज में डायट के सौजन्य से बी०आर०सी० समन्वयको/सहसमन्वयकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त बैठक/कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसके चेक बिन्दुओं को गुणवत्ता सुधार हेतु मानक के रूप में स्पष्ट किया गया। श्रेणीकरण में क क्रम लब्धांक पाने वाले सम्बन्धित कर्मियों के विरूद्ध किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को भी स्पष्ट किया गया।

माह सितम्बर २००१ की विद्यालय की बी०आर०सी० वार ग्रेडिंग की स्थिति निम्नवत है –

विद्यालय श्रेणीकरण –माह नवम्बर २००१

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	कुल स्कूल संख्या	भ्रमण किये गये वि० की संख्या	श्रेणी विवरण				योग
				अ	ब	स	द	
१	सदर	७६	८६	–	१७	४१	१८	८६
२	सैदपुर	६६	६६	८	६३	३१	०४	६६
३	देवकली	६७	८०	०२	२५	३१	११	८०
४	करण्डा	१०३	७३	१०	३३	१६	०२	७३
५	सादात	६०	६०	५	२५	३१	३४	६०
६	मनिहारी	७४	७४	–	१६	४०	–	७४
७	जखनियाँ	६०	६७	–	५०	४०	०१	६७
८	कासियावाद	३०	३०	–	६४	२०	०१	३०
९	रेवतीपुर	८६	८८	०२	५	११	–	८८
१०	भॉवरकोल	८५	८५	–	१२	६२	०२	८५
११	भदौरा	६४	८६	–	३४	३२	६६	८६
१२	जमनियाँ	८७	८३	१२	६६	१५	०२	८३
१३	मुहम्दाबाद	१००		०१	२५	६६	०४	
१४	बाराचवर	८०		–	१३	५७	१०	८०
१५	बिरनो	६३		०६	३८	१३	०६	
१६	भरदह	६३		०२	०५	३०	२४	

प्रत्येक माह विद्यालयों का श्रेणीकरण शासनादेश एवं विभागीय निर्देशों के क्रम में किया जाता है। 'द' व 'स' श्रेणी प्राप्त विद्यालयों व वहाँ के शिक्षकों के लिए अनुश्रवण के दौरान अलग से सुझाव दिये जाते हैं। उन्हें सुधार के लिए अपेक्षित चिह्नित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने विद्यालय की श्रेणी में त्वरित सुधार कर सकें। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को उपयुक्त बिन्दुओं पर अलग से अकादमिक सहयोग देने की आवश्यकता होगी।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण –

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में 'साधन' आधारित प्रशिक्षण समस्त शिक्षकों, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों और ए०डी०आई०/ए०बी०एस०ए० को दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में मुख्य तौर पर कक्षा शिक्षण अभ्यास (नवीन मान्यताओं में परिप्रेक्ष्य में) पर जोर दिया गया है। इन सभी प्रशिक्षणों को प्रशिक्षणों की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया। इनके प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य स्तर के प्रशिक्षकों (एस०आर०जी०) द्वारा चुने हुए प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किया गया। जहाँ से प्रशिक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रशिक्षकों ने ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण दिया। इन सभी प्रशिक्षणों का विवरण प्राथमिक एवं उच्च प्रा० स्तर पर निम्नलिखित है –

प्राथमिक स्तर

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत जनपद के शिक्षकों को पाँच चक्रों का प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। विगत वर्ष में शिक्षकों को प्रथम चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रशिक्षण वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर जनपद गाजीपुर में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण देने के लिए खुली चयन प्रतियोगिता द्वारा प्रतिभागियों को चयनित किया गया और उनको टी०ओ०टी० प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षकों का प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर माह सितम्बर, २००१ तक पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार ब्लाक के समस्त शिक्षक प्रथम चक्रम का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

प्रथम चक्र – प्रशिक्षण 'साधन' आधारित प्रशिक्षण ३० नवम्बर २००१ तक पूर्ण कर लिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं –

१. इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत विद्यालयों में शिक्षकों की कम व्यवस्था को देखते हुए बहु कक्षा शिक्षण/ बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया गया।

२. सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवं प्रयोग के साथ–साथ गतिविधि की समझ, निर्माण एवं प्रयोग पर बल।

३. शिक्षक संदर्शिकाओं का अवलोकन एवं उनके पढ़ने–पढ़ाने के तरीकों पर बल।

४. नवीन मूल्यांकन पद्वति के अन्तर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं समझने पर बल।

५. कक्षा–शिक्षण अभ्यास के माध्यम से नवीन संकल्पनाओं के आधार पर आदर्श कक्षा शिक्षण की स्थिति का अवलोकन व व्यय व्यवहारिक उपयोग ।

इस प्रशिक्षण में उपर्युक्त बिन्दुओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए डायट स्तर से प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी।

उच्च प्राथमिक स्तर –

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी०पी०ई०पी० योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है जिसका प्रस्ताव किया जा रहा है।

"प्रशिक्षणों का संचालन और अनुश्रवण व्यवस्था"

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० की स्थापना की गई। बी०आर०सी० स्तर पर समन्वयक तथा सह समन्वयक और एन०पी०आर०सी० स्तर पर एक संकुल प्रभारी चयनित तथा पदस्थापित किया गया है, जो विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक ही हैं। इनको निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया –

१. बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० के प्रभरिों के कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी आधारभूत ७ दिवसीय प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण 'समर्थन' माड्यूल पर आधारित था।

२. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

३. ४ दिवसीय वीजनिंग कार्यशाला।

४. शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुसमर्थन हेतु ७ दिवसीय प्रशिक्षण।

५. प्रथम चक्र का सेवारत प्रशिक्षण ।

ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों तथा एन०पी०आर०सी० का उनके भौतिक तथा अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की शैक्षिक कठिनाइयों का समाधान, शिक्षण समग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया ।

बी०आर०सी० की भूमिका :

बी०आर०सी० द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे है –

१. बी०आर०सी० को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाईयों के समाधान हेतु करते हैं।
२. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप।
३. विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और फीडबैक प्रदान करते हैं।
४. वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
५. शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पित शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
६. एन०पी०आर०सी० स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
७. ई०एम०आई०एस० के आंकड़ो का संकलन।
८. डायट के मार्ग दर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, शैक्षिक मेलों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्र, वातावरण सृजन आदि कार्यो का आयोजन करते हैं।
९. एन०पी०आर०पी० तथा विद्यालयों का निर्धारण मानक बिन्दुओं के आलोक में श्रेणीकरण करते हैं।
१०. विद्यालय स्तर पर बच्चों/शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करते है।
११. आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण कर शिक्षकों का मार्गदर्शन ।

इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग हेतु बच्चों से सजगता तथा अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु दीवार अखबार एवं भित्ति चि निकालने के लिए स्थानीय लोक साहित्य, स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं के संकलन के लिए बी०आर०सी० स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित किये जाने की संकल्पना है।

एन०पी०आर०सी० की भूमिका :

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की क्रियाशील ईकाई है ।

स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर आदान–प्रदान, स्कूल भ्रमण, बच्चों शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन०पी०आर०सी० समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त संकुल प्रभारियों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं –

- शिक्षकों की मासिक बैठकों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा तरह–तरह के शैक्षिक मेलों का आयोजन करना।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।

- स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई०एम०आई०एस० आँकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग करना।
- ग्राम शिक्षा समितियों, पी०टी०ए०, पी०टी०ए० सदस्यों के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
- विद्यालयों का मानक बिन्दुओं के आधार पर श्रेणीकण करना ।
- विद्यालय स्तर पर बच्चों तथा शिक्षकों का अनुसमर्थन कार्य ।
- शिक्षण कौशल के विकास हेतु संकुल स्तर पर विषय में स्वयं कुशल शिक्षकों के द्वारा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण का आयोजन।
- बी०आर०सी० को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान। कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी०आर०सी० तथा डायट को भेजना ।

इसके अलावा बच्चों/शिक्षकों/अभिभावकों में बेहतर कार्य करने की भावना तथा प्रतिस्पर्धा विकसित करने हेतु संकुल स्तर पर सारे विद्यालयों के बच्चों, अध्यापकों के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है। इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ ही समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। ये प्रतियोगिताएँ निबंध, कहानी, कविता--पाठ, लोक काव्य, लोक नृत्य, अन्त्याक्षरी, अभिनय, खेलों, सुलेख तथा विषय वस्तुपरक प्रश्नोत्तर के माध्यम से आयोजित की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से प्रतियोगिताओं का आयोजन हेतु अभी सघन प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी सफल प्रयास करना अभी शेष है।

बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत चलायी जा रही प्रोत्साहन योजनाएँ –

शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि के लिए डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रशिक्षणों के साथ–साथ प्रोत्साहन योजनायें भी चलायी गयी हैं। बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछडी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में प्राथमिक स्तर के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनविार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में नामांकित समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके कारण बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है।

छात्रवृत्ति की बजाय अगर बच्चों को यूनीफार्म तथा बस्ते में आवश्यक पठन–पाठन सामग्री मुफ्त वितरित की जाये, तो नामांकन के साथ–साथ ठहराव के स्थायित्व की संभावना भी बढ़ जायेगी क्योंकि अधिकांश बच्चे कमजोर एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों से आते हैं।

जिन विद्यालयों में नामांकन और ठहराव शत–प्रतिशत नहीं है, उन विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। भौतिक संसाधनों के साथ वहाँ मानव संसाधन भी मानक के अनुसार देकर आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना उपयोगी होगा। ऐसी प्रोत्साहन योजनायें समुदाय को विद्यालय से जोड़ने में सहायक होंगी। दूसरे गाँव के लोग भी प्रयास करेंगे कि उन्हें भी वही सब भौतिक/मानव संसाधन प्राप्त हों।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाए–

जनपद गाजीपुर में ६–१४ आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु सीमा ६–१८ वर्ष तक) को २०१० तक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। जिससे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जमीन से जुड़ी संरथाओं जैसे – ग्राम शिक्षा समिति अभिभावक शिक्षक संघ, माता–शिक्षक संघ, एवं पंचायतों का सहयोग लिया जाना है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये है –

- ६–१४ वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को २०१० तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- सन् २००३ तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों, ई०जी०एस०/नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों तथा वापस विद्यालय चलों कैम्पों आदि के नामांकन ।
- सन् २००७ तक सभी बच्चे कक्षा ५ तक की शिक्षा पूरी करेंगे।
- सन् २०१० तक सीाी बच्चे कक्षा ८ तक की शिक्षा पूरी करेंगे।
- लिंग तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर सन् २००७ तक, तथा प्रारम्भिक स्तर पर सन् २०१० तक समाप्त करना।
- सन् २०१० तक ६–१४ वयवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करना।

(क) **वीजनिंग (प्रथम वर्ष २००१–०२)**

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की होगी कि जनपद गाजीपुर के लिए एक स्पष्ट 'वीजन' विकसित किया जाये। अतएव डायट के प्रवक्ताओं वरिष्ठ प्रवक्ताओं, जिला परियोजना कार्यालय कर्मचारियों, अधिकारियों, ब्लाक समन्वयकों, संकुल प्रभारियों को प्रथम चरण में डायट स्तर पर ०३ दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। जिसमें निम्न बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर सहमतियाँ एवं निष्कर्ष निकाले जायेंगे –

- सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति और इसमें बदलाव की अपेक्षा, कठिनाइयाँ एवं सुझाव।
- नामांकन, ठहराव एवं सम्प्राप्ति के क्षेत्र में चुनौतियाँ एवं समाधान हेतु सुझाव।
- प्राथमिक, एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन व ठहराव के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत औपचारिक विद्यालयों, ई०जी०एस० वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, वापस स्कूल चलों कैम्पों की भूमिका/ उपयोगिता । उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक सपोर्ट/प्रशिक्षण आवश्यकताएँ ।
- कक्षा शिक्षण प्रक्रिया।
- विद्यालयों ई०जी०एस., ए०एस०/ ए०आई०ई०, कैम्पों में परस्पर तालमेल ।
- सब के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामान सोच का विकास करना।

(ख) **सेवारत प्रशिक्षण –**

सेवारतशिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है, इसे सतत् बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा कौशल में विकास एवं विषय ज्ञान बढ़ाने में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों को वर्ष में एक बारे में ८ से १० दिनों तक प्रदान कर फिर पूरे वर्ष तक चुप बैठने के

स्थान पर इसे एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाने की रणनीति के तहत कार्य किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत बी०आर०सी० स्तर पर प्रशिक्षण का मुख्य भग तथा उसका शेष भाग एन०पी०आर०सी० स्तर पर पूरक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के रूप में पूरा किया जायेगा।

जनपद गाजीपुर में डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का प्रथम चक्र का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। इन दोनों अध्ययनों के आधार पर शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियोजित किया जायेगा। साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर नव विकसित पाठ्यपुस्तक एवं 'शिक्षक संदर्षिकाएँ' जो वर्ष २००२ जुलाई से लागे की जानी है, उनके शिक्षण में बेहतर अनुप्रयोग हेतु प्रशिक्षण बिन्दु समाहित किये जायेंगे।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण के क्षेत्र निम्नांकित होंगे –

१. **प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना –**

ऐसे नव नियुक्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को जिन्हें जनपद में आयोजित तीन चक्रों का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। उन्हें नियुक्ति वर्ष में ही ०८ दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसमें अभिप्रेरणा, बच्चा, शिक्षक, सीखने की प्रक्रिया, खेल/गतिविधि, सामग्री के प्रयोग के साथ–साथ नवीन पाठ्य पुस्तक, आधारित कक्षा शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी विषय वस्तु शामिल होगी। यह इनके लिए आधारभूत अनिवार्य प्रशिक्षण होगा। जो आवश्यकतानुसार कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता रहेगा।

(१) **प्रथम <u>वर्ष के लिए प्रशिक्षण योजना (वर्ष २००२–०३)</u>**

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में इन बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में ०६ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर आयोजित किया जायेगा।

- प्राथमिक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम एवं उसके आधार पर विकसित नवीन पाठ्य पुस्तकें एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की गयी है। यह मूल्यांकन प्रणाली अलग न होकर शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बनाने की समझ विकसित करने के लिए उनमें सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की दक्षता बढ़ाने तथा उसके अभिलेखीकरण का कौशल विकसित करने के लिए ०३ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।
- अतएव एन०पी०आर०सी० स्तर पर ०३ दिवसीय टी०एल०एम० निर्माण एवं कक्षा शिक्षण में प्रयोग अभ्यास सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
- एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों को प्रशिक्षण कार्यशाला के रूप में विकसित किया जायेगा। जिसमें शैक्षिक कठिनाईयों का समाधान, अनुभवों का आदान–प्रददान एवं प्रशिक्षण बिन्दुओं के अनुप्रयोग की समीक्षा एवं समाधान सुझाये जायेंगे। साथ ही साथ निकट के विद्यालयक की कक्षाओं में विषयवार आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(२) **<u>द्वितीय</u> वर्ष की प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष २००३–०४)**

यद्यपि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत दूसरे चक्र में भाषा, गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन के समझ के विकास हेतु 'सबल' प्रशिक्षण पैकेज में संक्षेप में चर्चा की गयी है, परन्तु इन विषयों के खास–खास स्थलों के प्रभावी शिक्षण के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। अतएव सर्व

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दूसरे वर्ष में भाषा और गणित की विषय वस्तु आधारित ०६ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

- धीमी गति से सीखने वाले/कक्षा के सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने में पिछड़े हुए बच्चों को उपयुक्त स्तर तक लाने के लिए शिक्षकों के पास स्पष्ट रणनीति नही है। जिसके कारण प्रत्येक कक्षा एवं विद्यालय में बच्चों का एक बड़ा समूह सीखने में पिछड़ता चला जाता है। साथ ही अगली कक्षा के लिए भी समस्या बनता जाता है, और ड्राप आउट की सम्भावना बढ़ जाती है।

अतएव एन०पी०आर०सी० स्तर पर ०३ दिवसीय कार्यशाला वास्तविक कार्यदिवस/ समय को बढ़ाने के लिए आयोजित की जायेगी।

- एन०पी०आर०सी० स्तर पर पूर्व में किये गये प्रशिक्षणों के अनुप्रयोग/सर्पोट हेतु वर्ष में कम से कम ०६ मासिक प्रशिक्षण/कार्यशाला/ बैठकों में प्रत्येक शिक्षक की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
- बाल अखबार को विद्यालयीय क्रियाकलाप का अंग बनाने के लिए एन०पी०आर०सी० स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों की दो दिवसीय आयोजित की जायेगी। इसमें प्रत्येक विद्यालय से कम से कम ०३ अवश्य शामिल होंगे।

(३) <u>तृतीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना (२००४–०५)</u>

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तीसरे वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक७अध्ययन की विषय वस्तु आधारित ०७ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसमें दोनों विषयों के शिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने, कठिन, स्थलों को सहज ढंग से प्रस्तुतीकरण के तरीकों तथा मूल्यांकन को शामिल किया जायेगा।
- प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा/बहुस्तरीय शिक्षण की स्थित को देखते हुए ०४ दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों जैसे – लघुउत्तरीय दीर्घउत्तरीय, बहुविकल्पिय बनाने की दक्षता की अनिवार्य अपेक्षा होती है। इसी प्रकार इन प्रश्नों को मात्र सूचनात्मक/ज्ञानात्मक श्रेणी तक सीमित न कर उसे बोधात्मक एवं अनुप्रयोगात्मक स्तर ले जाने की दक्षता/कौशल विकसित करने की जरूरत है।

  अतएव बी०आर०सी० स्तर पर दो दिवसीय प्रश्न–निर्माण सम्बन्धी कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
- एन०पी०आर०सी० स्तर पर पूर्व में आयोजित प्रशिक्षणों के कक्षा में प्रयोग तथा शिक्षण सम्बन्धी कठिनाईयों को हल करने के लिए ०६ मासिक बैठकों में प्रत्येक शिक्षक की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
- एन०पी०आर०सी० स्तर पर वर्तनी, सुलेख, वाद–विवाद, क्विजए गणितोत्सव एवं विषय वार सम्प्राप्ति से सम्बन्धित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें विद्यालयीय क्रियाकलापों में गतिशीलता लायी जा सके।

४ <u>चतुर्थ वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना (२००५–०६)</u> –

बच्चों में पढ़ने की अभिरूचि पैदा करने, स्वअधिगम की प्रवृत्ति विकसित करने तथा कल्पनाशीलता एवं चिन्तन–शक्ति के विकास हेतु पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विशेष महत्व होता है। अतएव डायट स्तर पर विकसित अनुपूरक अध्ययन सामग्री के आधार पर ०४ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर आयोजित किया जायेगा।

- डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत जनपद में तीन चक्रों के प्रशिक्षण आयोजित किया गया हैं किन्तु इनमें अंग्रेजी और संस्कृत की विषय वस्तु तथा शिक्षण–विधा पर कोई प्रशिक्षण अथवा चर्चा नहीं गया है, जबकि ये दोनो विषय कक्षा ३ से ही पढ़ाये जा रहे हैं।
  अतएव बी०आर०सी० स्तर पर ०५ दिवसीय अंग्रेजी संस्कृत विषय वस्तु एवं शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।
- शिक्षक अनुदान के उपयोग को सुनिश्चित करने एवं शिक्षण में टी०एल०एम० की प्रभावी भूमिका को बार–बार अनुभूत करने के लिए टी०एल०एम० के निर्माण एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्यशाला प्रतयेक २ वर्ष बाद आयोजित किया जाना उपयोगी होगा।
  अतएव एन०पी०आर०सी० स्तर पर ३ दिवसीय टी०एल०एम० का विषय वस्तुवार निर्माण एवं शिक्षण अभ्यास सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
- एन०पी०आर०सी० स्तर पर वर्ष में ०६ मासिक बैठकों को कार्यशाला/प्रशिक्षण के रूप में परिवर्तित कर शैक्षिक कठिनाईयों के पहचान एवं निराकरण के साथ–साथ पूर्व में प्रदान किये गये प्रशिक्षणों का अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

५. <u>पंचम वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना (२००६–०७)</u> –

विषय – वस्तु की नवीनता तथा सीखने–सिखाने के तौर तरीको में समय सापेक्ष बदलाव लाने के दृष्टिगत सतत् प्रशिक्षण की जरूरत होती है।

अतएव भाषा, गणित, विज्ञान, पर्यावरणीय – अध्ययर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों पर आधारित ०८ दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर आयोजित किया जायेगा। प्रभावी भूमिका को बार–बार अनुभूत करने के लिए टी०एल०एम० के निर्माण एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्यशाला प्रत्येक २ वर्ष बाद आयोजित किया जाना उपयोगी होगा।

अतएव एन०पी०आर०सी० स्तर पर ३ दिवसीय टी०एल०एम० का विषय वस्तुवार निर्माण एवं शिक्षण सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

- एन०पी०आर०सी० स्तर पर वर्ष में ०६ मासिक बैठकों को कार्यशाला/प्रशिक्षण के रूप में परिवर्तित कर शैक्षिक कठिनाईयों के पहचान एवं निराकरण के साथ–साथ पूर्व में प्रदान किये गये प्रशिक्षणों का अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा/बहुस्तरीय शिक्षण की स्थिति आगे के समय में भी बनी रहने की सम्भावना है।

अतः बी०आर०सी० स्तर पर बहुकक्षा/बहुस्तरीय शिक्षण की शिक्षकों में दक्षता विकसित करने हेतु ४ दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

- पाठ्य पुस्तकों में निहित विविध प्रश्न–अभ्यासों को हल कराने के तौर तरीकों उनके विस्तार तथा प्रभावी जाँच व संशोधन से सम्बन्धित दक्षता के विकास के लिए प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। यह बच्चो को बेहतर ढंग से सीख पाने में मददगार होगा।

अतएव प्रश्न–अभ्यासों के हल कराने के तौर तरीकों, उनके विस्तार तथा प्रभावी जाचँ व संशोधन पर आधारित एन०पी०आर०सी० स्तर पर ०२ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

- एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों में से कम से कम ०६ बैठकों को मासिक प्रशिक्षण/कार्यशाला का रूप देकर सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी। इसमें शिक्षकों की कक्षा में कठिनाईयों के साथ ही स्थानीय जरूरतों को विषय–वस्तु के रूप में शामिल किया जायेगा।

६. <u>प्राथमिक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण/कार्यशाला/गोष्ठी</u> –

- प्रधानाध्यापकों में विद्यालय प्रबन्धन शैक्षिक, गतिविधियों के संचालन के प्रति प्रेरणा एवं दक्षता विकसित करने के लिए बी०आर०सी० स्तर पर ०३ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इस हेतु दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे प्रशिक्षण माड्यूल का सहयोग लिया जायेगा।
- प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उन उर्दू अध्यापकों को ०४ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिनके विद्यालय में उर्दू भाषी बच्चों की संख्या
- २० वर्षो से अधिक अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षकों के लिए अलग से ४ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। जिसमें विषयों में समाहित नवीन विषय–वस्तुओं की जानकारी एवं बालकेन्द्रित शिक्षण विधा शामिल होगी। यह प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर आयोजित होगा।
- हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट स्तर तक की ही शैक्षिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों को विषय–वस्तु सम्बन्धी नवीन जानकारी बढ़ाने के लिए ०३ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर आयोजित किया जायेगा।
- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा प्रदान करने के लिए बी०आर०सी० स्तर पर ०३ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
- एन०पी०आर०सी० स्तर पर वर्तनी एवं सुलेख हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
- बाल अखबार को विद्यालयीय क्रियाकलाप का अंग बनाने के लिए एन०पी०आर०सी० स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। बच्चों से तात्पर्य प्रत्येक विद्यालय से कम से कम ०३ बच्चों का है जो कक्षा ३,४,५ में अध्ययनरत होंगे।
- कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी ०२ दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।
- एन०पी०आर०सी० स्तर पर वर्तनी, सुलेख, वाद–विवाद, बाल अखबार, क्विज गणितोत्सव एवं विषयवार सम्प्राप्ति सम्बन्धी एक दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा। ये प्रतियोतिाएँ शिक्षकों के लिए अलग से आयोजित की जायेंगी, जो आदर्शपाठ, शैक्षिक कठिनाईयाँ एवं समाधान आदि मुद्दों पर आधारित होंगी। सुन्दर भौतिक परिवेश एवं बेहतर शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाले विद्यालयों के अवलोकन एवं

कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के अनुभवों के आदान–प्रदान द्वारा सभी विद्यालयों को पहुँचाने के दृष्टि से शैक्षिक भ्रमण एक कारगर उपाय है।

अतएव प्रधानाध्यापकों का अच्छे विद्यालयों के अवलोकन हेतु न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और तदुपररान्त उसे शैक्षिक गोष्ठी में परिवर्तन किया जायेगा। जिसके द्वारा उन उपायों/कारणों को उभारा जो उनके विद्यालयों को अच्छा/खराब बनाते हैं।

दूरसरा शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित माड्यूलों/आडियो/वीडियों कैसेट के उपयोग बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०/ ... स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं में किया जायेगा।

२ (ख) <u>उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्य योजना</u>
=

जनपद में वर्ष २००० से डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रथम का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं विविध प्रकार की कार्यशालाएँ, गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया है। अब चूँकि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शामिल कर लिए गये हैं। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यतर शिक्षकों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेवारत प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ एवं गोष्ठियाँ वर्षवार आयोजित की जायेंगी।

(१) <u>प्रथम वर्ष विजनिंग कार्यशाला (वर्ष २००२–०३)</u> –

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों/उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापकों का डायट स्तर पर चार दिवसीय विजनिंग कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें बच्चा, शिक्षक, समुदाय, शिक्षण विधा, विद्यालय, कक्षा, संसाधन सहयोग एवं बालिका शिक्षा जैसी बिन्दुओं को लेकर समान अन्तर्दृष्टि विकसित की जायेगी, क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति हेतु समान विजन का होना अनिवार्य है।

(२) <u>द्वितीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष २००३–०४)</u>–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभिप्रेरणा प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें ११ से १४ वय वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को अनिवार्य रूप से गुणात्मक शिक्षा की आवश्यकता पर बल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु सीमा ११–१८ रहेगी। बच्चे, शिक्षक सीखने की प्रक्रिया, बालिका शिक्षा की अपरिहार्यता समेकित शिक्षा तथा विद्यालय के समग्र उन्नयन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी बिन्दु शामिल किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण ०६ दिवसीय होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विद्या के अतिरिक्त विषय वस्तु/ पाठ्य समग्री की समझ महत्वपूर्ण होती है।

अतएव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों को विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि मूल्यांकन जैसे – बिन्दुओं के आधार पर ०६ दिवसीय प्रशिक्षण फेरा बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। जिसमें कम से कम दो दिन पाठ योजना निर्माण एवं कक्षा शिक्षण अभ्यास पर बल दिया जायेगा।

चूँकि सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत उच्च प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों को भी प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान रू० ५०० टी०एल०एम० निर्माण एवं प्रयोग हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।

अतएव बी०आर०सी० स्तर पर विषय वस्तु आधारित टी०एल०एम० निर्माण एवं प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

- बी०आर०सी० स्तर आयोजित मासिक बैठकों में से कम से कम ०५ में बारी क्रम में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिमाणिता सुनिश्चित की जायेगी। यह बैठकें बी०आर०सी०/डायट द्वारा तैयार एजेण्डा बिन्दुओं/ अनुश्रवण बिन्दुओं के आधार पर तैयार की जायेगी।

(३) <u>तृतीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष २००४–०५)</u> –

- सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे वर्ष में गणित विषयवस्तु आधारित ०८ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसमें गणित विषय के पाठ्यक्रम

पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधा, मूल्यांकन एवं शिक्षण अभ्यास (आदर्शपाठ) की प्रस्तुती को शामिल किया जायेगा।

परम्परागत परीक्षा प्रणाली की एकांगता को देखते हुए इसके स्थान पर बी०आर०सी० स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने के लिए ०४ दिवसीय सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसके अन्तिम दो दिनों में विषय वार प्रश्नाली निर्माण की दक्षता विकसित की जायेगी। इसके अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ, बोधात्मक तथा अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों का निर्माण का कौशल भी विकसित किया जायेगा।

- बी०आर०सी० स्तर पर गणित–विज्ञान मेला आयोजित किया जायेगा। जिसमें क्विज गणितोत्सव, विज्ञान शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन तथा दोनों विषयों के आदर्श पाठों की प्रस्तुती प्रतियोगात्मक होगी। इनमें समस्त शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित ०५ मासिक बैठकों में बारीक्रम से सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी जिसमें अनुभवों का आदान–प्रदान, शैक्षिक कठिनाईयों का समाधान और निपुण शिक्षकों द्वारा विषयों में आदर्श पाने का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(४) <u>चतुर्थ वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्य योजना (वर्ष २००५–०६)</u> –

हिन्दी भाषा शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर पर हिन्दी की विविध विधाओं को ध्यान में रखकर करने की अपेक्षा होती है क्योंकि इस स्तर पर साहित्यिक विधाओं का परिचय एवं उनकी विशेषताओं का बोध भी कराया जाता है।

अतएव सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे वर्ष में हिन्दी भाषा शिक्षण आधारित ०६ दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इसके लिए बच्चों के अन्दर साहित्यिक अभिरूचि के विकास रसास्वादन एवं सृजनात्मक शक्ति के विकास का लक्ष्य रखकर शिक्षकों में अपेक्षित दक्षता का विकास हेतु प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया जायेगा।

- उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों में पठन अभिरूचि को विकसित करने के लिए स्वअधिगम की प्रवृत्ति के विकास तथा श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के रसास्वादन के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास एवं प्रशिक्षण आवश्यक प्रतीत होता है।
  अतएव बी०आर०सी० स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री आधारित ०४ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- बी०आर०सी०/एन०आर०सी० स्तर पर ०३ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें कविता, कहानी, यात्रावृतान्त, संस्मरण, पत्रलेखन, निबन्ध आदि विधाओं की रचना के साथ–साथ हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी दक्षताओं के विकास आधारित विषय वस्तु शामिल होगी। कार्यशाला के अन्तिम दिन इन्हीं बिन्दुओं पर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
- मासिक बैठकों का कार्यशाला में परिवर्तित कर पूर्व में प्रदान किये गये प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं में बनी सहमतियों को विद्यालय एवं कक्षा में लागू करते समय शिक्षकों की अनुभूत कठिनाईयों एवं उनके समाधान को आधार बनाया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षणों के पुर्नावलोकन को भी अवसर दिया जायेगा। इन मासिक बैठकों/कार्यशालाओं में से किन्हीं ०५ में बारी क्रम से शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(५) <u>पंचम वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना (वर्ष २००६–०७)</u> –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चौथे वर्ष संस्कृत तथा अंग्रेजी की विषयवस्तु आधारित ०६ दिवसीय प्रशिक्षण फेरे आयोजित किये जायेंगे। जिसमें पाठ्यक्रम एवं पाठों की प्रस्तुती, पाठ योजना निर्माण एवं शिक्षण विधा को शामिल किया जायेगे।

- उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रत्येक कक्षा में सम्प्राप्ति स्तर की दृष्टि से कई स्तर के बच्चे होते हैं परन्तु सीखने की दृष्टि से पिछड़े बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण, तेज बच्चों की मदद अतिरिक्त कक्षा शिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

अतएव सीखने के दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण संबंधी दक्षता विकास हेतु बी०आर०सी० स्तर पर ०३ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

- स्थानीय महत्व की चीजों–लोकगीतो, लोक कथा, लोक नृत्य, ऐतिहासिक ईमारत, स्थल, धार्मिक स्थल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कारगिल शहीदों के जीवनवृत्त, समाज सेवी कार्यशाला आयोजित की जायेगी तदुपरान्त विकसित साहित्य/सामग्री का अनुपूरक अध्याय सामग्री के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
- एन०पी०आर०सी०/बी०आर०सी० स्तर पर बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं में कराये गये कक्षा कार्य एवं गृह कार्य की समुचित व नियमित जाँच तथा संशोधन के तरीकों की जानकारी कराने हेतु ०२ दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
  इसमें पाठ के साथ दिये गये विविध प्रश्न–अभ्यासों को शिक्षण प्रक्रिया का अंग बनाने का कौशल भी विकसित किया जायेगा।
- बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों को कार्यशाला/प्रशिक्षण का रूप देकर कम से कम ०५ बैठकों में समस्त शिक्षकों की बारी क्रम में प्रतिभागिता करायी जायेगी। ये कार्यशालाएँ अनुश्रवण के दौरान उभरे शैक्षिक बिन्दुओं अनुभवों के आदान–प्रदान तथा कार्यक्रमों के पुर्नबलन हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की जायेगी।

बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० प्रभारियों, सहायक बेसिक अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

(१०) <u>प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण</u> – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को संचालित किये जाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इसके लिए डी०पी०ई० की भाँति पहले ब्लॉक स्तर फिर जनपद स्तर पर लिखित, मौखिक एवं कार्यशाला कराकर प्रतिभगियों की विषय वस्तु शिक्षण विधा, शैक्षिक मुद्दो, गतिविधियों की जानकारी एवं समझ का मूल्यांकन किया जायेगा। ब्लाकवार उपयुक्त पाये प्रतिभागियों को चिन्हित कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम में रूचि, क्षमता, सोच, प्रतिभागिता आदि बिन्दु के आधार पर मूल्यांकन करके उपयुक्त पाये जाने गये प्रतिभागियों को प्रशिक्षक का कार्य–दायित्व सौपा जायेगा। इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए वाह्य विशेषज्ञों की मदद भी ली जायेगी। प्रत्येक ब्लाक के लिए कम से कम ०५ प्रशिक्षकों की यथासम्भव चयन किया जायेगा।

<u>कार्यशाला एवं गोष्ठियों का आयोजन</u> –

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएँ एवं गाष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान समय में डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत संकुल तथा बी०आर०सी० स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की मासिक गोष्ठियों को औश्र अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन०पी०आर०सी० / बी०आर०सी० की सहयाता की जायेगी। यह कार्यक्रम मुख्यतः शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाईयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण इत्यादि बिन्दुओं पर आधारित होगा।

डायट स्तर पर निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियाँ आयोजित की जायेगी –

१. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण के पश्चात सम्बन्धित शिक्षकों के साथ गोष्ठी।
२. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के परीक्षण ।
३. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टूल्स / परीक्षण प्रपत्र का निर्माण ।
४. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए गीत, चित्र–कथा व कविता का संकलन।
५. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री की विकास ।
६. गणित शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।
७. आंग्ल भाषा के कक्षावार अभ्यास पुस्तिका का विकास करना।
८. उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए शिक्षण कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से चिह्नित विषय वस्तुओं के आधार पर छोटी–छोटी शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का विकास।

<u>शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास –</u>

यद्यपि डायट स्तर पर शिक्षकों के सहयोग से डी०एल०एम० निर्माण एवं उसके द्वारा टी०एल०एम० कक्ष का विकास का प्रयास किया गया है, परन्तु इस दिशा में अभी और प्रयास किया जाना है अतः सर्वप्रथम विषय विस्तु आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास जनपद

के कुशल शिक्षकों के सहभागिता के आधार पर किया जायेगा। इसके माध्यम से ऐसे टी०एल०एल० कक्ष का विकास में किया जायेगा जिसके द्वारा विविध प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों के प्रतिभाग हेतु आने पर उनसे सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसी क्रम में बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर टी०एल०एम० निर्माण का कार्य करने हेतु इस क्षेत्र में विशेष अनुभवी शिक्षकों की मदद ली जायेगी।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत रू०५००/ प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करके कक्षा में प्रयोग करेंगे। इससे शिक्षक कच्ची सामग्री व बनी–बनायी सामग्री क्रय कर सकते हैं। विज्ञान और गणित विषयक बहुत सी सामग्रियाँ सीधे बाजार से क्रय करके प्रयोग की जा सकती है।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं विषय आधारित सामग्रियों का निर्माण शिक्षक अनुदान राशि से कराया जाना अधिक उपयोगी एवं आवश्यक है। इस दृष्टि से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष ५००/रू० शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान/गणित किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा।

टी०एल०एम० के विकास एवं शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा करने के लिए मैटिरियल मेले विज्ञान प्रदर्शनी एवं आदर्श कक्षा शिक्षक आदि कार्य कराये जायेंगे। संकुल स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। इसके पश्चात जिला स्तर पर डायट में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। जिससे जनपद के पाठ्य सामग्री का विकास होगा।

शिक्षकों की वर्षवार संख्या जिन्हें शिक्षक अनुदान दिया जायेगा।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा. वि.	0	200	8760	8760	8760
उ.प्रा.वि.	591	2462	1205	1205	1205

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जलुाई, २००० से प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा, अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी र्ष २००५ तक होता रहेगा। इसके पश्चात् एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर उसके अनुरूप पाठ्य पुस्तके विकसित करने की व्यवस्था सर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जायेगी।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिकायें विकसित की गयी है। जिसे सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर १ सेट उपलब्ध कराया गया है।

प्राथमिक कक्षाओं (१ से ५ तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम डी०पी०ई०पी० द्वारा जुलाई, २००० में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (६ से ८ तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, २००० में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित

किया जायेगा कि इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं क लिए नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर एस०सी०ई०आर०टी० के द्वारा नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास विशिष्ट संस्थानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा किया गया है। जिनका क्षेत्र परीक्षण वर्ष २००१–०२ में होने के उपरान्त शैक्षिक स. २००२–०३ से लागू किया जाना है। साथ ही साथ इन नवीन पाठ्य–पुस्तकों का कक्षा–शिक्षण में बेहतर उपयोग हेतु शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास किया जा रहा है। जिन्हें शिक्षकों के लिए प्रत्येक उच्च विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।

अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास –

जनपद के विशेष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों, धार्मिक–ऐतिहासिक स्थलों, सामाजिक कार्यकत्ताओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विशिष्टता के बारे में विचार सामग्री संकलन हेतु एक गोष्ठी आयोजित की जायेगी। इसमें उभर कर आये बिन्दुओं/मुद्दों के आधार पर परिवेश आधारित अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए विकसित की जायेगी और उसको विद्यालय स्तर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। यह अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए अलग–अलग तैयार की जायेगी।

डायट में स्थानीय संदर्भ आधारित पाठ्यक्रम विकसित किये जाने की जरूरत है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर जनपद की आवश्यकता एवं विशिष्टता को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास जनपद स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संदर्भ व्यक्ति की पहचान एवं अन्य स्थानों से (राज्य एवं जनपद) विशेषज्ञ एवं संदर्भ व्यक्तियों को बुलाया जायेगा। इसके लिए कई चक्रों में वे अनुपूरक अध्ययन सामग्री के विकास हेतु कार्यशाला आयोजित की जायेगी। सामग्री का मुद्रण एवं वितरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण साहित्य का विकास –

डी०पी०ई०पी० के तहत प्रशिक्षण साहित्य का विकास राज्य स्तर से तैयार कर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाता रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण साहित्य का विकास डायट स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०/ डायट के अभिकर्मियों द्वारा पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठियों में उभरे एवं प्रकाश में आयी शिक्षकों एवं बच्चों की कठिनाइयों को आधार बनाया जायेगा। साथ ही साथ समुदाय एवं शिक्षकों की माँग को भी प्रशिक्षण साहित्य में स्थान दिया जायेगा।

- सर्वप्रथम किसी एक विषय के विभिन्न मुद्दो को लकर प्रशिक्षण साहित्य तैयार किया जायेगा। फिर उसका क्षेत्र प्रशिक्षण किया जायेगा। उसका पश्चात् आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कर उस पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। वास्तव में यह प्रशिक्षण साहित्य को तैयार करने के पूर्व की तैयारी होगी।
- प्रशिक्षण साहित्य तैयार करने में स्थानीय संदर्भ व्यक्तियों के साथ–साथ राज्य तथा अन्य जनपदों से संदर्भ व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु जोड़ा जायेगा।

- प्रशिक्षण मुद्दो एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। आवश्यकता एवं सहमति के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त चिन्हित शिक्षकों अथवा स्वयं सवी संगठन के लोगों को जोड़कर प्रशिक्षण साहित्य विकसित किया जायेगा। पुनः क्षेत्र परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार सुधार किया जायेगा जिसे मुद्रित कराकर वितरीत किया जायेगा।
- प्रशिक्षण साहित्य के कुछ मुद्दे इस प्रकार हो सकते है –
    - अभ्यास प्रश्नों को हल करना।
    - जाँच का उद्देश्य गलतियाँ पकड़ना नहीं अपितु सुधार हेतु बच्चों को सहयोग प्रदान करना।
    - सुलेख, समय सारिणी का प्रयोग, उपस्थिति एवं ठहराव में सुधार।
    - पाठ्यक्रम मासिक बँटवारे के अनुसार शिक्षण कार्य पूरा करना।
    - संसाधनों का समुचित उपयोग ।

<u>बच्चों के लिए सामग्री विकास/पुस्तकालय</u> :

विषय वस्तु व शिक्षण विधा से जुड़ी पुस्तकें क्रय की जायेगी। पुस्तकों के क्रय के लिए एक कोर टीम का होना आवश्यक है। जिसमें शिक्षक, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयक, जिला समन्वयक (प्रशि०) वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता (डायट) होंगे। यह समीति पुसतकों के चयन के लिए अधिकृत होगी।

डायट के साथ–साथ वी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० पुस्तकालय का भी सुदृढ़ीकरण किये जाने की जरूयरत है।

नवाचार कार्यक्रम –

विभिन्न गाँवों के जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, संकुल प्रभारी, उच्च प्रा०वि० के अध्यापको/प्रधानध्यापकों के साथ ग्रुप डिस्कसन किया गया। यह तथ्य उभर कर आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढायी पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए, ठहराव बनाये रखनें तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावशाली होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फूड प्रिजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण दिया जाये तो उनका उच्च प्रा० स्तर पर विद्यालयों में ठहराव बनाये रखने में सहायता मिलेगी

बालिकाओं के लिए कार्यनुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित कराया जायेगा। इस हेतु जनपद के सभी विकास खण्डों में तीन–तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/ कन्या उच्च प्रा०वि० को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में स्थानीय आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्ची सामग्री उपलब्ध करा दी जायेगी। इस कच्ची सामग्री से जो सामग्री तैयार होगी उसका विक्रय मूल्य प्राप्त करके बचत राशि में से कुछ अंश पुनः कच्चा माल खरीद लिया जायेगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरन्तर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय में लागू किया जायेगा।

<u>बच्चों की सम्प्राप्ति का मूल्यांकन (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर)</u>--

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों के सम्प्राप्ति का मूल्यांकन परियोजना अवधि में तीन बार में किया जायेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करना एवं रणनीतियां बनाना है। शिक्षकों, संकुल प्रभारियों, समन्वयकों एवं डायट प्रभारियों को अनुश्रवण अनुसमर्थन हेतु भी यह मूल्यांकन लाभदायी होगा।

<u>शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण</u> –

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रभावी शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए डायट, बीआर०सी० व एन०पी०आर०सी० की स्थापना की गयी है। तीनों ही अभिकरण विद्यालयों व शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग व अनुसमर्थन देते रहे है। डायट द्वारा जहाँ जनपद स्तर पर शैक्षिक सहयोग, पर्यवेक्षण और प्रभावी अनुश्रवण हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें, गोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण और शिक्षकों से अधिक निकट से जुड़े हैं पर भी ऐसे कार्यक्रमों को किये जाने है चूँकि बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०, विद्यालय व शिक्षकों के अधिक करीब हैं अतः यह निर्विवाद सत्य है कि ये शिक्षकों, बच्चों एवं विद्यालयों को बेहतर शैक्षिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी है कि इन्हें भी निरन्तर आवश्यकता के क्षेत्र में दक्षता विकास के लिए मदद मिलती रहे। वास्तविक रूप में डायट का एक महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में बी०आर०सी० व एन०पी०आर०सी० को सहयोग प्रदान करना है जिससे वे विद्यालय बच्चों व शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा कर सकें। इस

प्रकार जो शैक्षिक नेतृत्व डायट स्तर पर प्रदान करता है वही शैक्षिक नेतृत्व बी०आर०सी० ब्लाक स्तर पर तथा एन०पी०आर०सी० न्याय पंचायत स्तर पर करते हैं।

इस तरह डायट, बी०आर०सी० व एन०पी०आर०सी० की जनपद, ब्लाक एवं संकुल स्तर पर सम्मिलित भूमिका है। इसे निम्नांकित फ्लोचार्ट द्वारा आसानी से जाना जा सकता है –

विद्यालयों का शैक्षिक दृष्टि से उन्नयन करते हुए बच्चों में गुणवत्तापरक शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु डायटख बी०आर०सी० और एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका है। तीनों स्तरों से आवश्यकतानुसार विद्यालय, शिक्षक व बच्चों को सहयोग प्रदान किया जाता है। सीखने–सिखाने में आनी वाली कठिनाईयों का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के दौरान मौके पर ही व्यवहारिक व उपयुक्त हल निकालने का प्रयास किया जाता है। जिन समस्याओं का समाधान तात्कालिक तौर पर किया जाना सम्भव नहीं हो पाता उन्हें मासिक बैठकों/कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों के साथ–साथ विशेष प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों तक ले जाने का प्रयास किया जाता है। कार्यों की दृष्टि से विद्यालय/एन०पी०आर०सी०/बी०आर०सी० का मूल्यांकन भी किया जाता है। जिसके आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालयों, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० का उनके कार्यो के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा। अपेक्षिति स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी०आर०सी० की प्रस्तावित भूमिका –

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे। इनके द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य निम्नलिखित होंगे।

- सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन।
- वैकल्पित शिक्षा, ई०जी०एस०, शिशु शिक्षा केन्द्रों, नवाचार केन्द्रों का, पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन।
- समुदाय के सदस्यों का बी०आर०सी० के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों में समन्वय स्थापित करना।
- ई०एम०आई०एस० आंकडो का संकलन तथा विश्लेषण।
- अकदामिक समस्याओं के निराकरण हेतु एन०पी०आर०सी० तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य
- बी०आर०सी० स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह का गठन।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना तथा अकादमिक अनुसमर्थन देना।
- बी०आर०सी० स्तर पर सामग्री निर्माणा कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनाना।

एन०पी०आर०सी० की प्रस्तावित भूमिका –

न्याय पंचायत स्तर पर संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करं साथ ही निम्नलिखित अन्य कार्य भी करेंगे –

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई०सी०सी०ई० तथा ई०जी०एस० केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण व अनुसमर्थन देना।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदसरूों पी०टी०ए०/एम०टी०ए० सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई०एम०आई०एस० आंकड़ो का संकलन तथा विश्लेषण।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण तथा अकादमिक अनुसमर्थन देना।
- एन०पी०आर०सी० अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक संदर्भ स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

गुणवत्ता विकास में डायट की प्रस्तावित भूमिका

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से डायट जनपद की शीर्षस्थ संस्था है। विद्यालयों का भौतिक वातावरण संवारने तथा बच्चों में नामांकन, ठहराव व साम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इसके लिए उसे जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान रखते हुए शिक्षकों की आवश्यकताओं / कठिनाईयों का आंकलन करना पड़ता है तथा उक्त समाधान हेतु स्वयं डायट स्तर पर गोष्ठी, कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ता है। इस कार्य में शिक्षक, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० प्रभारी, डायट प्रवक्ता एवं डी०आर०जी०, एस०आर०जी० सहयोगी होते हैं।

सर्वशिक्षा अभियान में ६–१४ आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप डायट की भूमिका में भी स्वाभाविक विस्तार हुआ है, साथ ही डायट पर अपने बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों के अन्दर भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों/शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने की क्षमता वृद्धि का उत्तरदायित्व आया है। ऐसी स्थिति अब डायट अपने अभिकर्मियों की क्षमता वृद्धि के साथ–साथ समन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों के अन्दर भी उक्त क्षमताओं के विकास हेतु आवश्यक उपाय करेगा। इसके लिए डायट द्वारा कार्यक्रम के बारे में अर्न्तदृष्टि विकसित करने पर बल दिया जाना होगा कि हम वास्तव में कैसा स्कूल देखना चाहते हैं?

- स्कूल में क्या–क्या होंगी?
- स्कूल में क्या होता हुआ दिखायी देगा?
- आज बच्चों के बारे में क्या मान्यता हैं?
- बच्चे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं?
- कौन–कौन से घटक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं?

- बच्चे विद्यालय और कक्षा में क्या करते हुए दिखेंगे? उपर्युक्त के बारे में एक स्पष्ट समझ बनाने का प्रयास किया जायेगा इसके साथ–साथ आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए।
- शिक्षक के कार्य करने के तौर–तरीके क्या होंगे?
- शिक्षक विद्यालय एवं कक्षा में क्या–करूा करता हुआ दिखायी देगा? इसके बारे में भी एक स्पष्ट समझ बनायी जायेगी।
- कक्षा का वातावरण कैसा होगा?
- कक्षा के वातावरण को कौन–कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं?
- टी०एल०एम० और सीखने–सिखानें के तौर–तरीकों में क्या सम्बन्ध हैं?
- टी०एलएम० बेहतर समझ और गुणवत्ता परक सम्प्राप्ति में कहा तक सहायक है?
- मूल्यांकन पद्धति क्या होगी?
- समुदाय/संस्थान सहयोग कैसे बेहतर हो सकता है?
- प्रशिक्षण तथा नव विकसित पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग व उसके अभ्यासों के बारे में बेहतर समझ बनायी जायेगी। इस हेतु डायट द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जोयेंगे –

<u>शिक्षकों में शिक्षण कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करना –</u>

शिक्षकों में सामान्यतः यह प्रवृत्ति विकसित हो गयी है कि अनवरत अध्ययन और सीखने की जरूरत नहीं है। विजनिंग के दौरान इस सोच को बदलने का प्रयास किया जायेगा। ऐसी गतिविधियों का नियोजन–आयोजन किया जायेगा जिससे शिक्षक महसूस कर सकें कि हमें निरन्तर जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

अब तक क्षामता विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहे है। शिक्षकों के क्षमता विकास में कौन–कौन सी चीजे सहायक होंगी इस बारे में चर्चा कर रणनीति बनायी जायेगी। शिक्षकों एवं अनुदेशकों के क्षमता विकास के साथ–साथ ए०बी०उस०ए०/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० का क्षमता विकास करने का प्रयास समय–समय पर किया जाता रहा है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक रपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालायें तथा इसी प्रकार के अन्य प्रशिक्षण व कार्यशालायें की गयी। परन्तु इनका सार्थक प्रभाव कम ही दिखायी दिया है। इस अभियान के तहत इन प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं को अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाते हुए विषयवस्तु एवं तौर–तरीकों पर गहराई से समझ बनायी जायेगी। इसे लिए नये तौर–तरीके और मान्यताओं के अनुसार कक्षा में हो रहे कार्यो को देखने और करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

डाउट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण आधारित प्रशिक्षण प्रदान करे बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने व वैकल्पिक शिक्षा, वी०ई०सी० प्रशिक्षण, ई०सी०सी०ई० प्रशिक्षण समेंकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु डाउट अभिकर्मियों का क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य किये जोंसे। डायट द्वारा ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० प्राथमिक एवं

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापक और बी०आर०सी० के समन्वयक एन०पी०आर०सी० के प्रभारियों की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जायेगा। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसवी संगठनों की सहभागिता –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं, स्वैच्छितक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है. उनका सहयोग जिलाशिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षमता विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिलाशिक्षा परियोजना समिति द्वारा का चयन किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण –

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा विभिन्न कार्यक्रमों यथा–प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान करना ही इस समूह का मुख्य कार्य है। इसका गठन शिक्षकों के मध्य से किया जाता रहा है। इसमें डायट स्टाफ, वाह्य विशेषज्ञ, शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य है। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के लिये इनमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर काले स्तर के शिक्षको को जोड़ा जायेगा। इनके क्षमता संवर्द्धन हेतु एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालायें मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षकों तथा स्कूलों का प्रबन्धन, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होंगी। इस तरह की पाँच कार्यशालायें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जायेगी।

आकस्मिक संदर्भ समूह –

यद्यपि जनपद स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट तथा नीति–निर्वारण एवं क्रियान्वयन के लिये अकादमिक संदर्भ समूह का गठन किया गया है। तथापि पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण के दौरान प्रायः यह देखने में आया है कि गुणवत्ता सुधार के लिये बनाये गये विभिन्न सदंर्भ समूह जो सहयोग कर रहे हैं उनसे कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों और बच्चों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाईयाँ पूरी तरह से दूर नहीं हो पा रही है। अतएव इसके लिये बी०आर०सी/एन०पी०आर०सी० स्तर पर एक ऐसे छोटे समूह (विषयवार) की जरूरत है जिससे आवश्यकतानुसार किसी भी विद्यालय में किसी भी समय, अल्प अवधि के लिये भेजकर मिशन माड में कार्य की शुरूआत एवं कार्य विकास किया जा सके। इसमें पर्यवेक्षण अनुश्रवण, प्रशिक्षण आदि के दौरान चिह्नित उपयुक्त शिक्षकों तथा समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार का सुझाव मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित अनुश्रवण कार्यशाला में प्रतिभगी शिक्षकों द्वारा भी दिया गया है। यह आकस्मिक समूह उस विद्यालय के शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय के लिए अभिप्रेरित करने का भी काम करेगा। विद्यालय की दिनचर्या को एक जीवंत स्वरूप प्रदान कर उसमें एक सार्थक मोड़ लायेगा।

शोध एवं मूल्यांकन –

डायट का एक प्रमुख कार्य शैक्षिक शोध करना भी है। परन्तु यह कार्य प्रायः डायट में प्रत्यक्ष तौर पर होता हुआ दिखायी नहीं देता है। यदि कभी कुछ कार्य शोध पर शुरू हो भी जाते हैं तो पूर्णता के पहले ही उपेक्षा के शिकार हो जाते है।

इसे प्रभावी बनाने के लिए – प्रत्येक वर्ष शोध के लिए विषय व संख्या निर्धारित की जायेगी।

– डायट/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों से प्रत्येक वर्ष शोध के विषय क्षेत्र मांगे जायेंगे। आमन्त्रित समस्याओं की कार्ययोजनाओं की जाँच परख कर स्वतंत्र रूप से शोध करने की अनुमति के साथ–साथ बजट की भी व्यवस्था की जायेगी। इससे तात्कालिक तौर पर आने वाल कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा।

डायट बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर कर क्रियात्मक शोध द्वारा शैक्षिक समस्याओं को छोटे स्तर पर निराकरणा करने के लिए नमूने के तौर पर अपनाया जाना एक प्रायोगिक प्रशिक्षण है। जिसका आग चलकर हम कई विस्तृत क्षेत्रों में सफल प्रयोग कर सकते

हैं। यह शिक्षा में एक नवाचार भी है। क्रियात्मक अनुसंधान हमारे शैक्षिक सपोर्ट के विभिन्न अभिकरणों–डायट / बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० द्वारा सम्मिलित रूप में अथवा अलग–अलग किये जा सकते है। एक ही समस्या पर तीनों स्तरों पर अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य किये जा सकते हैं और प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर एक धारणा बनायी जा सकती है। जिसके आधार पर एक ठोस कार्ययोजना बनाकर उसका एक बड़े क्षेत्र पर क्रियान्वयन किया जा सकता है।

डायट, जहाँ पर अधिक परिपक्व अभिकर्मी होते हैं वह बेहतर तरीके से कार्ययोजना बनाकर क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न विषयों पर अलग–अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं। वही हम बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी को इतना सशक्त बनाने की कोशिशक करेंगे कि वे अपने स्तर से विभिन्न विद्यालयों में आने वाली समस्याओं के लिए कार्य योजना बनाये और उस पर अमल कर के समस्या का निराकरण करें। इस प्रकार हम क्रियात्मक अनुसंधान को संकुल एवं विद्यालय स्तर पर ले जायेंगे। जिससे वे अपने स्वयं की योजना बनाने व संकुल एंव विद्यालय स्तर पर ले जायेंगे। जिससे वे अपने स्वयं की योजना बनाने व संकुल के अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाली समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकें। इसके लिए –

- बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
- क्लास रूप आब्जर्वेशन किया जायेगा।
- शिक्षक–अभिभावक संघ को सक्रिय व प्रभावी बनाया जायेगा।
- समुदाय से बेहतर तालमेल एवं सहयोग के लिए कार्यक्रमों का नियोजन किया जायेगा।

क्रियात्मक शोध –

क्रियात्मक शोध से सम्बन्धित जानकारी, समस्याओं की पहचान, उनके लिए कार्ययोजना निर्माण व क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में जनपद में विभिन्न स्तरों पर ०५ दिवसीय कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन में सीमेंट, इलाहाबाद और एस०सी०ई०आर०टी०, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनायें और उसका समाधान प्राप्त कर अपने–अपने विद्यालयों पर लागू करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया संकुल स्तर से विद्यालय स्तर तक ले जायी जायेगी। विद्यालय के लिए क्रियात्मक शोध हेतु कुछ बिन्दु निम्नलिखित है–

१. सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस प्रकार सम्भव है?
२. कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं?
३. विद्यालय में अपराह्न के बाद बच्चों की उपस्थिति कम क्यों हो जाती है।
४. विद्यालयों में प्रार्थना के समय बच्चों की उपस्थिति कम होने का कारण।
५. बहुकक्षा–शिक्षण परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाये।
६. विद्यालयों में बच्चों एवं शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में भाषा उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियों का कारण।
७. कार्य निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में प्रबन्धन के मुद्दे।
८. परिषदीय विद्यालयों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
९. परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त भी उनका प्रभावी क्रियान्वयन कम क्यों?

१०. प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्याक पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक होना अधिक पसन्द करते हैं, अपेक्षाकृत जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों के, क्यों?

११. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन–पाठन करते समय विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करने में, आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयाँ।

१२. उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन, प्रा०. विद्यालय के सापेक्ष कम, क्यों? आदि।

आंकड़ो का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

विद्यालय भ्रमण एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर एक तरह की समस्या वाले विद्यालयों/क्षेत्रों की पहचान करेंगे। इस प्रकार समान समस्या वाले विद्यालय/उनके शिक्षकों को सूचीबद्ध करके उनके लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन कर आयोजन किया जायेगा। फिर यह देखेंगे कि इस प्रशिक्षण का आगे के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा?

क्या इससे समस्या का निराकरण हुआ? यदि नहीं तो फिर और क्या–क्या करना होगा? इस पर आगे की रणनीति/कार्ययोजना बनायी जायेगी। आंकड़ो का अध्ययन कर डायट पर विश्लेषण किया जायेगा, और उनके अनुसार आगे की कार्ययोजना तय की जायेगी।

ई०एम०आई०एस० द्वारा प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण से प्रतयेक ब्लाक/गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्यायों/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। जिस स्थान पर ड्राप–आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाले बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई०एम०आई०एस० आंकड़ों के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्पलीशन रेट, बच्चें द्वारा अध्ययन चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आँकड़ो का विश्लेषण किया जायेगा ताकि इनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में किया जाए ।

नवीन मूल्यांकन प्रणाली –

गुणवत्ता संबर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृष्य

जनपद गाजीपुर शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्द्धधन हेतु अप्रैल २००० से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी०ई०पी०) प्रारमभ किया गया इस कार्यक्रम के पूर्व जिले का शैक्षिक परिदृष्य इस प्रकार रहा ।

जनपद की जनसंख्या :–

कुल जनसंख्या	३०४६३३७
पुरूष जनसंख्या	१५४४४६६
स्त्री जनसंख्या	१५०४८४१
कुल साक्षारतादर	४८५ प्रतिशत
पुरूष साक्षरता .	६०.६ प्रतिशत
महिला साक्षरता दर	३६ प्रतिशत
कुल साक्ज्ञर वयक्ति	१४७८७५३ प्रतिशत
साक्षर पुरूष	६३७४७६
साक्षर महिला	५४१२७४
६ से ११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	४३०८८८
विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या –	४२६४७४
विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या –	१४१४
११ से १४ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या –	२२४०००
१. वि॰ जानो वाले बच्चों की संख्या –	२१८०००
कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	१६४३
कुल प्राशिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की सं॰	–
कुल मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की सं॰–	५३०
नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की सं॰–	३५
नगर क्षेत्र के मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की सं॰	४५
जू॰ हा॰ स्कूलों की संख्या	४३६
परिषदीय जू॰ हा॰ स्कूलों की सं॰	१७६
मान्यता प्राप्त जू॰ हा॰ स्कूलों की सं॰	२६३

प्राथमिक विद्यालयों के कुल अध्यापकों की सं॰	५०८१
पुरूष अध्यपकों की संख्या	४३१६
महिला अध्यापकीं की संख्या	७६२
जू॰ हा॰ स्कूलों के कुल अध्यापकों की संख्या	११५१
पुरूष अध्यापकों की संख्या	१०६६
महिला अध्यापकों की संख्या	८२
कुल शिक्षा मित्रों की संख्या –	८०
कुल आचार्य जी की संख्या –	३८
कुल अनुदेशकों की सं॰	०६
कुल हाई स्कूलों की सं॰	१७६
कुल इन्टर कालेजों की सं॰	१७०
डिग्री कालेजों की सं॰	३०
विश्वविद्यालयों की सं॰	००
व्यवसायिक शिक्षण संस्थायें –	०२
पालिटेकनिक –	०१
होमियों मेडिकल काजेज –	०१
केन्द्रीय विद्यालय	०१
नवोदय विद्यालय	०१
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –	०१
कुल संख्या पाठशालायें,	१८

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ में शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तर पर समन्वयकों की चयन एवं पदस्थापन किया गया, उनके माध्यम से विजनिक कार्यशालयें आयोजित कि गयी विजनिग कार्यशाला में ए॰ बी॰ एस॰ ए॰ एस॰ डी॰ आई॰ समन्वयक एवं केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षितकियागया।

जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्ष्ज्ञण संस्थान के अकास्मिक नेतृत्व में प्रशिक्षण/अकादमिक परिवेक्षण शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग समर्थन हेतु योजना बद्ध कार्य किया गया, इस कार्य में बी॰ आर॰ सी॰ तथा एम॰ पी॰ आर॰ सी॰ समन्वयकों की महत्वपूर्ण भूमिकारही, डायट के ब्लाक सेन्टर, समन्वयकों द्वारा निर्मित वि॰ भ्रमण, आदर्श पाठकों का प्रस्तुतिकरण, विद्यालयों का श्रेणीकरण, शिक्षण सामग्री मेलों आयोजन आदि, उपयोंग के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण, कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, यह अनुभव किया जा रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य कार्यक्रम आच्छादितप्रथामिक विद्यालयों तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा रही है, किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्दादित रही है। जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोंग आौर परिवेक्षण नही प्रदान किया जा रहा है, यथा–

१. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

२. आशासकिय हा॰ स्कूल/इन्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा ६ से ८ तथा १ से ५ तक के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं/कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्थर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों कोदूर करने हेतु आकादमिक परिवेक्षण को परिधि में नही लाया गया।

३. मकतब मदरसों में अध्यमरत बच्चों तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों सें लाभान्वित नहीं हो सके।

स्कूल पर्वू शिक्षा :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु केन्द्रों का संचालन किया या। महिला एवं बाल विकास उ॰ प्र॰ द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से ८०.. . केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्य कत्रियों तथा सहायिकों को सात दिवसीय एवं दस दिवसीय अवीनवीकरण प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इन परवेक्षण हेतु संबंधित एन॰ पी॰ आर॰ सीं समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समयसारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्रों का समय बढ़ाकर दो घटा कर दिया गया ताकि बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्तकर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

डी॰पीं ई॰पी॰ की ओर से केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहीयिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और पतिवर्ष सात दिवसीय पुन चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेलसनाग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री, हेतु रू॰ ५०००.०० तथा आकिस्मक व्यय हेतु वार्षिक रू॰ १५००.०० भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्वेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

इस सुविधा में कभी प्रभाव पड़ा है।

१. बच्चों का विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।

२. बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

३. बच्चों में विद्यालयों में रूके रहने की आदत विकसित हुई।

४. शिक्षा के प्रति बच्चों रूप बढ़ी।

५. जो बच्चे विशेष तौर पर लड़कियां जो छोटे भाई–बहनों की देख–रेख की वजह से वि० नहीं आती थी, वह भी आने लगी है।

ग्राम शिक्षा समिति :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनी–किकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से डी० पी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया ग्राम श्ज्ञिखा समिति का अधक्ष ग्राम प्रधान होता ह। तथा इसमें महिलाओं अनु० जा० जन जा० के अभिभावकों स्वयं सेवी संगठनों के सदस्यों कों भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिष्ज्ञदीय वि० का प्रधानाध्यापक होताहै। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश है। विद्यालयभवन की मरम्मत, अनुश्रवण, वि० की अन्य सुविधाओं भवन निर्माण आदि का उत्तरदायि ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति वि० तथा शिक्षकों के कार्य का भी परिवेक्षण करती है।

डी० पी० ई० पी० में जनपद गाजीपुर में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दो चक्र आोजित किये गये है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधना समूह (डी०आर०जी०) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी० आर०जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में शिक्षकों स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। बी० आर० जी० सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी०आर०जी० के सदस्यों ने ग्रम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रितकृत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित है।

१. प्रतिभागिता परक विश्लेष्ज्ञण और समस्या अभ्याय कार्य ।

२. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य

३. समुदाय तथा ग्राम शिज्ञखा के अभ्यास का सफलता पूर्वक प्रस्तुतिकरण।

४. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्लय, केस स्टडी, क्षेत्र भमण, और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रिया शील बनाने, विद्यालय के मतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु वि॰ में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाये तैयार की गयी। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर सुरक्षित की गई है। तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों के पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान, ग्राम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है। समितियों के प्रशिक्षण तथा वि॰ विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रिया कलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, १ स्कूल के क्रिया कलापों का स्थानीय स्तर से परिवेक्षण न सुविधा हुई है, तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्नवत् है।

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	श्रेणी करण			
		ए	बी	सी	डी
१.	सदर, गाजीपुर	–	१७	४१	१८
२.	सैदपुर	०८	६३	३१	८४
३.	देवकली	०२	२३	५१	९१
४.	करण्डा	१०	३३	१६	०२
५.	सादात	०५	२५	३१	३४
६.	मनिहारी	–	१६	४०	–
७.	जखनिया	–	५०	२०	८१
८.	कासिमाबाद	–	६४	२०	८१
९.	रेवतीपुर	०२	५१	११	–
१०.	भावरकोल	--	१२	६२	०२
११.	भदोरा	–	३४	३२	०६
१२.	जमानियां	१२	६६	१५	०२
१३.	मुहम्मदाबाद	०१	२५	६६	०४
१४.	बाराचवर	–	१३	५७	१०
१५.	बिरनों	०६	३८	१३	०६
१६.	मरदह	०२	०५	३०	२४
	कुल योग	४८	५३८	५७३	१२६

अध्याय – १०
परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जनपद में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कियान्वयन वर्ष २००० से है जिसके अन्तर्गत ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा दिलाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं कियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान परियोजना मार्च २००५ में अपनी अवधि पूर्ण करेगी। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा १५ अगस्त २००१ को भारतीय संविधान की धारा ४६ के अन्तर्गत १४ वय वर्ष तक के समस्त बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के रूप में एक नयी योजना के कियान्वयन की धोषणा की गयी। इस धोषणा के अन्तर्गत वर्ष २००२ से वर्ष २०१० तक की अवधि में ६–१४ वय वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गयी है, सभी कार्यक्रमों का प्रबन्धन एवं सचालन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनउ के मार्ग निर्देशन में जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से कियान्वयन कराया जायेगा और क्षमता एवं प्रबंधन कौशल के व्यापक विकास किए जाने का लक्ष्य पूर्ण किए जाने की ओर तत्पर रहेगा।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा तथा व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान रखा गया है। यह प्रबन्धन पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा और अधिकतम जनसहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु अग्रसर रहेगें। कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा करके रणनीतियों में आवश्यक परिवर्तन भी सहभगिता पर आधारित होगा। किसी भी कार्येक्रम एवं परियोजना की सफलता उसके प्रबंध तंत्र की संवेदनशीलता पर आधारित होती है।

प्रबन्ध तन्त्र :संवेदनशील और लचीली प्रणाली:– अभियान के समस्त कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता एवं जनसहयोग प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकरण शैक्षिक एवं वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली स्थापित करके प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य होगा । इस व्यापक अभियान के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यो के लिए उच्च कोटि का लचीलापन लाने प्रत्येक स्तर पर जबाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली तथा वित्तीय निवेशों को अवाध गति प्रदान करने और नवीन विधियों प्रयोग के आधार पर कार्य करने के लिए एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है। जो संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है:–

संगठनात्मक ढांचा एवं नीति निर्धारण :– बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है जो ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा संबंधी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें।

ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत है:–

१– ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष

२– ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल अध्यापक और यदि वहां से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

३– बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्रम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी–

१– बेसिक स्कूलों भवनों और उपकरणों के सुंधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

२– ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना ।

३– पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

४– पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियंन्त्रण और प्रबंधन करना।

५– बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें जाये।

६– ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझें जायें।

७– पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूलों के किसी अध्यापक का अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से हजैयसी निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यवाही संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण परिषद में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधनप एवं शैक्षिक नियोजना सम्बधी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सकिया सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती /ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समन्वयन/कियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों , आचार्यो आंगनबाडी केन्दों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण का नियंन्त्रण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) :–

जनपद में सभी न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनकों प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

१– न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन ।

२– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

३– अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

४– न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।
५– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

जिले की भाति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है:–

१– ब्लाक प्रमुख :	अध्यक्ष
२– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक :	सदस्य सचिव
३– विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान :	सदस्य
४– विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक :	सदस्य

अधिकारी एवं दायित्व :–

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम समितियों एवं जिला शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे०सी०एस०वाई० के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन– ब्लाक स्तर :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से प्रर्यवेक्षक व अनुश्रवण करेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना कियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगें विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगें। सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगें।

१– ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
२– ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकडे. एकत्रित कर संकलित करना।
३– सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन ।
४– विद्यालय भवनों के निमार्ण का पर्यवेक्षण करना।
५– विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापक –छात्र अनुपात बनाये रखना औार आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों सुनिश्चित कराना।
६–अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।
७– ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

८– सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
९– खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
१०– विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
११– ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
१२– विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु०जा०/अनु०जन० जाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

ई०जी०एस० तथा ए०आई०ई० के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढानें के उददेश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (१८०००/– प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उनलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई०जी०एस०/ए०आई०ई० योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी०आर०सी० सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०)

इस जनपद मं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संधाधन केन्द्रो के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है । परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगें।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी०आर०सी समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी०आर०सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढीकरण करने की योजना है जिसके लिये प्रत्येक बी०आर०सी ० एक लाख रूपय का प्राविधान किया जा रहा है किसी एक अध्यापक /समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटार का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
विकास खण्डों की अकादमिक, आवध्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रचण करना।

विकास खण्ड की प्रत्येक बस्ती स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बचों का नामवार कम्प्यूटराईजड सविवरण तैयार करना।

विद्यालयों की अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना की नवीन विधियों के अनुससार शिक्षण कार्य दिया जा रहा है अथवा नहीं ।

ब्लाक स्तर के अधिकारियो एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय थ्सापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

जनपद स्तरीय समितिः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधाकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठन निम्नवत हैः–

जिलाधिकारी :	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी :	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी :	सदस्य –सचिव
प्राचार्य डायट :	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी :	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी :	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी : (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियंता (आर०ई०एस०)	सदस्य
अधिशासी अभियंता (पी०डब्यू डी०)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (वि०विद्यालय एवं महावि०) :	सदस्य

(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम से (एक वर्ष के लिए)

दो शिक्षक (राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार प्राप्त)

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकारी एवं दायित्व :–

वर्तमान में जनपद स्तर पर यह समिति डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्यो की समीक्षा करती है तथा जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन आदि का निर्णय भी इस समिति के द्वारा ही लिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर यह समिति सर्वोच्य समिति होगी जो नीति संबंधी निर्णय लेगी। वर्तमान योजना का रूपण इसी समिति की बैठक के उपरान्त लिया गया है और उसके अनुरूप वर्तमान योजना तैयार की गयी है। फिर भी समय–समय पर आवश्यकतानुरूप भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना जैसे– विद्यालय भवन निर्माण पुर्ननिर्माण शौचालय निमार्ण आदि के संबंध में स्थल चयन का पूर्ण अधिकार इस समिति को होगा। यह समिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता में

क्र. सं.	सृजित पद का नाम	पदों का नाम	नियुक्ति का प्रकार
१	जिला परियोजना अधिकारी	०१	पदेन विशे० बे० शि० अधिकारी
२	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	०१	प्रतिनियुक्ति पर
३	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	०१	प्रतिनियुक्ति /सविदा पर
४	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	०१	प्रतिनियुक्ति पर
५	जिला समन्वयक (सामु० सह०)	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
६	जिला समन्वयक (वै०शि०)	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
७	जिला समन्वयक (संमेकित शिक्षा)	०१	प्रतिनियुक्ति /सविदा पर
	जिला समन्वयक (बा०शि०)	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
६	परामर्शी	०२	संविदा पर
१०	सिस्टम एनालिसिरट (ई०एम०आई०एस० अधिकारी)	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
११	कम्प्यूटर आपरेटर/साफ्टवेयर सहायक	०३	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
१२	लेखाकार	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
१३	सहायक लेखाकार	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
१४	आशुलिपिक	०१	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
१५	कनिष्ठ लिपिक	०२	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
१६	वाहन चालक	०२	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर
१७	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	०४	प्रतिनियुक्ति /संविदा पर

राज्य परियोजना कार्यालय लखनउ के निर्देशानुसार उपरोक्त पदों के सापेक्ष निम्न लिखित अधिकारी / कर्मचारी वर्तमान में डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत कार्यरत है, जिनका वेतन मार्च–२००५ तक डी०पी०ई०पी० से ही भुगतान किया जायेगा शेष कर्मचारियों का वेतन सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने पर इस योजना से किया जायेकगा। माह – २००५ से उपरोक्त समस्त अधिकारी / कर्मचारी के वेतन का भुगतान इस योजना से किया जायेगा ।

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का पद नाम	संख्या	वेतनमान	अभियुक्ति
१	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	१	८०००–१३५००	प्रतिनियुक्ति पर
२	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	१	६५००–१०५००	प्रतिनियुक्ति पर
३	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	१	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
४	जिला समन्वयक (वै०शि०)	१	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
५	जिला समन्वयक (सामु० सह०)	१	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
६	जिला समन्वयक (बा०शि०)	१	तदैव	
७	जिला समन्वयक (समे०शि०)	१	तदैव	संविदा पर
८	लेखाकार	१	५०००–८०००	संविदा पर
९	कम्प्यूटर आपरेटर	१	तदैव	प्रतिनियुक्ति पर
१०	आशुलिपिक	१	तदैव	संविदा पर

कार्यालय में अधिकारी /कर्मचारी के बैठने तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से कार्यालय भवन की आवश्यसकता होगी। जिसमें निम्न लिखित विवरण के अनुसार अपेक्षित स्थान हो ।

क०सं०	अधि०/कर्म० का पद नाम	स्वीकृत पद	आवश्यक स्थान
१–	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	०१	एक कक्ष
२–	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	०१	एक कक्ष
३–	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	०१	एक कक्ष
४–	परामर्शी	०२	एक कक्ष
५–	जिला समन्वयक	०५	एक हाल
६–	लेखाकार	०१	
७–	आशुलिपिक	०१	
८–	सहा० लेखाकार	०१	
९–	क० लिपिक	०२	एक हाल जिसमें
१०–	सांख्यिकी अधिकारी	०२	प्रत्येक के लिए अलग केबिन की व्यवस्था
११–	कम्प्यूटर आपरेटर	०३	
१२–	मीटिंग के उद्देश्य से	४०	एक हाल
१३–	स्टोर रूम	–	एक कमरा

कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण :–

क्र०सं०	वस्तु का नाम	आवश्यक संख्या	अनुमानित मूल्य (हजार मे)
१	आफिसर	०४	१०
२	हत्थेदार डनलप कुर्सी	१०	१०
३	आफिसर टेबुल	०४	२०
४	कार्यालय मेज	१०	३०
५	कम्प्यूटर पूर्ण	०२	१५०
६	कम्प्यूटर टेबल	०२	३०
७	क०आ० की कुर्सी	०२	३
८	स्टील आलमारी छोटी साईज	०४	८
९	स्टील आलमारी बडा साईज	०६	२५
१०	फैक्स मशीन	०१	३०
११	टेलीफोन	०१	५
१२	एसी	०४	१५०
१३	फोटो स्टेट मशीन	१	१५०
१४	बईडिंग मशीन	०१	४०
१५	टाइपराईटर हिन्दी	०१	१२
१६	इलेक्टानिक टाइपराईटर	०१	२५
१७	स्टील रैक	१०	३०
१८	कूलर	०४	२५
१९	फ्रिज	१	१०

जिला परियोजना कार्यालय के अधिकरी /कर्मचारी राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त निर्देशो के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का कियान्वयनविकास क्षेंत्र संसाधन केन्द्र संकुल तथा ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से करायेगें तथा उनका अनुश्रवण एवं पव्रगति की समीक्षा किया करेंगें इसके साथ ही यह लोग राज्य परियोजना कार्यालय एवं ग्राम स्तर तक के मध्य सामान्जस्य बनाये रखेगें।

निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं उनका पर्यवेक्षणः–

अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति क आदेशानुसार परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले निमार्ण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण निमार्ण विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया जाएगा, जिससे उनकी गुणवत्ता उच्चकोटि की बनी रहे। तकनीकी पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारियों को प्रति निर्माण कार्य मानदेय दि जाने का प्राविधान है। मानदेय की धनराशि प्रति विद्यालय रू० १०००/– प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष रू० ५००/– तथा प्रति शौचालय रू० २००/– दिये जाने का प्रस्ताव है। विद्यालय भवन के साथ निर्मित किए जाने वाले ौचालय निर्माण हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए अलग से कोई मानदेय दिए जाने का प्राविधान नहीं है। मानदेय की धनराशि में समय समय पर आवश्यकतानुसार परिर्वतन किया जा सकता है।

शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली –(ई०एम०आई०एस०)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचना प्रणाली तंत्र को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से जिला परियोजना कार्यालय में एक क्रियाशील एम०आई०एस० सेल का गठन किया जाना प्रस्तावित है वर्तमान में यह कार्य प्राथमिक विद्यालयों के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए कएक कम्प्यूटर उपलब्ध है। वर्ष १९९७–९८ से २०००–०१ तक के शैक्षिक आंकडे वर्तमान में उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कम्प्यूटर वेस साफटवेयर तथा कम्प्यूटर का हार्डवेयर उपलब्ध है। अनौपचारिक शिक्षा का एक उपलब्ध है जिसको उच्चीकृत करना आवश्यक होगा, जिससे उसका उपयोग शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना की गतिविधियों का अनुश्रव्यज्ञ एवं का संकलन एवं विश्लषण करने में सहायता मिल सके । इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त एक अन्य कम्प्यूटार की भी आवश्यकता होगी। जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सिंबंध में शैक्षिक आंकडे संकलित एवं विश्लेषित किए जा सके, इस प्रकार तीन कम्प्यूटर सेट सूचना का प्रबंधन किया जा सके।

सम्पूर्ण सूचना प्रणाली का अध्यावधि एवं उपर्युक्त ई०एम०आई०एस० तथा प्रोजेक्ट मानिंटरिंग यूनिट के लिए एक अलग कम्प्यूटर प्रणाली का अध्याधि एवं उपयुक्त ई०एम०आई०एस० तथा प्रोजेक्ट मानिंटरिंग यूनिट के लिए एक अलग कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी, जिसका संचालन एवं नियंत्रण कम्प्यूटर एनालिस्ट द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा वैकल्विपक शिक्षा नवाचार शिक्षा, समेकित शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक सांख्यिकी व्यापक कार्य को सम्पादित यकरने के लिए कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० सेल स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, जिसके प्रभारी सिस्टम एनालिस्ट (ई०एम०आई०एस०) अधिकारी होगें। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिर्पोट एवं विश्लेषण तत्परता से हो सके, इसके लिए परियोजना में कार्यरत तीन कम्प्यूटर आपरेटर सहयोगी के लिए सदैव कार्यरत रहेगें।

सिस्टम एनालिस्ट (ई०एम०आई०एस० अधिकारी) के कर्तव्य एवं दायित्व :–

जिला परियोजना कार्यालय में कार्यालय में कार्यरत होने वाले सिस्टम एनालिस्ट के कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्राकर होगें।

१– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से सांख्यकी प्रपत्र भरवाकर समयबद्ध रूप से अक्टूबर के प्रथम पक्ष में जिला स्तर पर एकत्रीकरण करना।

२– भरे हुए प्रपत्रों की जॉच करके सैम्पिल चेकिंग कराना, यदि कोई परिवर्तन हो तो आवश्यक संशोधन कराना तथा उसके बाद इन आंकडों को अभिलिखित करना।

३– विद्यालय सांख्यकी तथा अन्य सांख्यिकी प्रपत्रों के संबंध में आवश्यकतानुसार समय समय पर बी०आर०सी० के समन्वयक सह– समन्वयक, संकुल प्रभारी तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण देना और ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन कराना।

४– सांख्यिकी प्रपत्रों को समय से मुद्रित एवं वितरित कराना।

५– प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अन्त तक डाटा एंटी कराकर रिपोर्ट तैयार करना और राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना।

६– संकुल एवं विकास खण्डवार ई०एम०आई०एस० की विश्लेषण रिपोट तैयार करके जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थ्सान तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना।

७– सभी प्रकार के शैक्षिक सांख्यिकी के प्रयोजन हेतु मोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा जनपदीय मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग करना।

८– माइक्रोपलानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण करके संबंधित को प्रस्तुत एवं प्रेषित करना।

विद्यालय सांख्यिकी के प्रशिक्षणों का आयोजन :–

विद्यालय के विभिन्न आकडों की शुद्धता एवं समय एवं समय से तैयार करने हेतु एक कार्यकारी योजना चरणबद्ध ढंग से चलाइ जाएगी, जिससे समस्त आंकडों समय से प्राप्त हो सकें और उनका संकलन करके सैम्पिल जाच कराकर शुद्धता की निकटता प्राप्त की जा सकें यह कार्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए अध्यापकों, संकूल प्रभारी तथा बी०आर०सी० समन्वयक एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना अतिआवश्यक है । प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभिन्न चरणों में तथा विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रकार आयोजित किया जायेगा।

१– जिला स्तर पर– जिला परियोजना कार्यालय में जिला स्तर पर सभी समन्वयक कम्प्यूटर आपरेटर स्टाफ तथा लेखकर्मी/!अधिकारी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जायेगें। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा।

२– ब्लाक स्तर पर – इस प्रशिक्षण में ब्लाक स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी प्रतिभाग करेंगें । यह प्रशिक्षण एक दिवसीय होगा।

३– न्याय पंचायत स्तर पर– यह प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर दो दिवसीय होगा, जिसमें संकुल प्रभारी के अन्तर्गत आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्र०अ० प्रतिभाग करेंगें

लेखा अभिलेखें का रख–रखाव तथा निधि का हस्तांतरण:–

सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु बजट स्वीकृत होने के उपरान्त जो धनराशियों समय–समय पर राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त होंगी उनके व्यवधारण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में कए बचत खाता अलग खोला जायेगा इस खाते का संचालन जिला परियोजना अधिकारी /विशेषज्ञ बेसिक शिंखा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी से संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा इस परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के आय एवं व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख अलग से रखें जायेगें तथा सुरक्षित ढंग से अभिलेखों को रखा जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय से जो धन जिला परियोना कर्यालय को प्राप्त होगा उसका मार्ग निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए ी०आर०सी० संकूल तथा ग्राम शिक्षा समिति को हस्तान्तरण किया जायेगा अध्यापक अनूदान/विद्यालय अनुदान की धनराशि सीधे ग्राम शिक्षा समिति को हस्तान्तरित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि उनके खातो में हस्तान्तरित की जायेगी।

प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एवं गुणतत्ता से संबंधित कार्यक्रमों की धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय से सीधे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित की जायेगी जिसका आवश्यकता अनुरूप अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति/जिलाधिकारी से अनुमोदन एवं स्वीकृति भी जायेगी क्योंकि परियोजना में जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के समस्तउ अधिकार प्राप्त है।

जिलस शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बैंक खाते का संचालन प्राचार्य डायट एवं सहायक वित्त एवं हलेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्दद्र एवं न्यायपंचायत के भी खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रोकोमेंट प्रोसिजर तथा वित्तीय प्रबंधन नियमों का पालन करते हुए क्रय प्रकिया अपनायी जाती है जिसका भविष्य में भी पालन किया जायेगा यदि इन नियेमों में संशोधन की आवश्यकता होगी तो राज्य परियोजना कर्यालय द्वारा लिए गये निर्याय ही अन्तिम एवं मान्य होगा ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियमों एवं वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रथम वर्ष दिया जाएगा, जिसपर लगभग रू० ५ हजार का व्यय होगा। अनुवर्ती वर्षो में समय समय पर पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जायेगी।

जरियोजना में कार्यरत विकास खण्ड एवं कुकुल स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित कर्मियों को भी वित्तीय प्रबंधन एवं लेखानियमों का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जाएगा।

परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है जिनके खाते बैंको में पूर्व से ही संचालित हैं। अतः इस परियोजना की धनराशि भी उन्हीं खातों में स्थनांतरित की जाएगी।

सकुल तथा ब्लाक स्तर से प्रति माह होने वाले व्यय का विवरण आगामी माह के प्रथम सप्ताह में जिला कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा तथा जिला परियोजना ककार्यालय और प्राप्त व्यय विवरण कासंकलन कर मासिक व्यय विवरण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा, इस सम्पूर्ण कार्य के लिए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर दायी होंगे, जो अपने सहयोगी लेखाकर्मियों के माध्यम से इसको पूर्ण करायेगें। धन का स्थानांतरण निम्न प्रकार किया जाएगा:-

फन्ड फलो डॉयग्राम

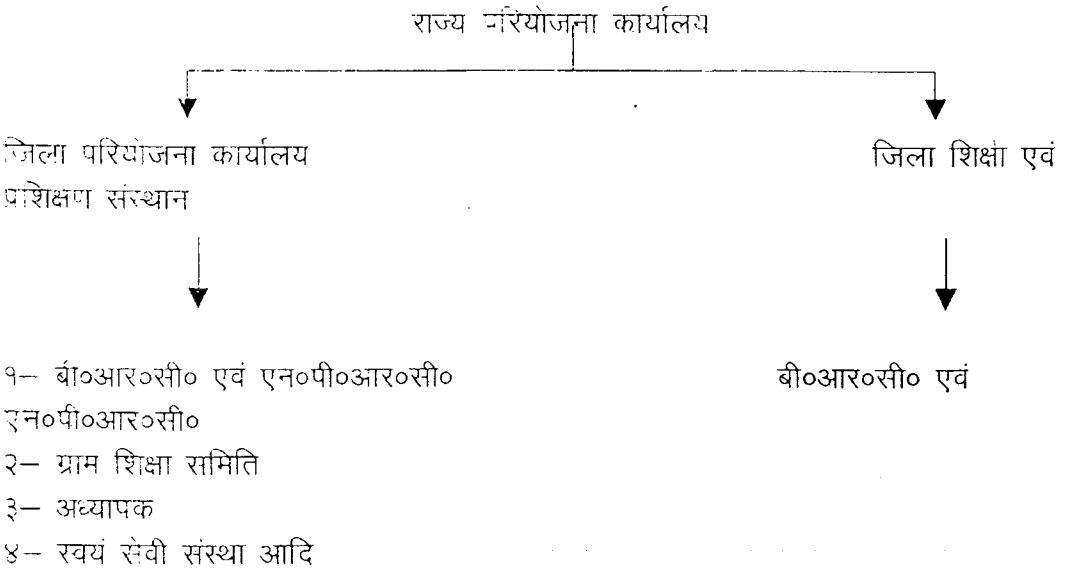

लेखा परीक्षण एवं सम्प्रेक्षण व्यवस्था :–

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशियों बी०आर०सी० संकुल तथा विद्यालयों को स्थानांतरित की जायेगी उपनका प्रभसावी नियंत्रण एवं मूल्यांकन समीक्षा जिलना परियोजना कार्यालय में कार्यरत सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के सहयोगियों द्वारा समय समय परा की जायेगी. जिसमें परियोजना की धनराशि के अपव्यय तथा व्यपहरण एवं दुरूपयोग को रोका जा राके।

राज्य स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कराया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्अेट तथा आडिट के नियमों तथा शर्तों का निर्धारण उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद उखनउ के द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार के नियमों के अनुससार सर्वशिक्षा अभियान के लेखअभिलेखों का सम्प्रेक्षण महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद के स्तर से भी किया जाएगा।

राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की व्यवस्था:–

परियोजना के समस्त गतिविधयों एवं कियान्वयन तथा उनका अनुश्रवण करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा /प्रति उप वि०नि० एवं जिला समन्वयक तथा बी०आर०सी० समन्वयक तथा सह समन्वयक और संकुल प्रभारी आदि से समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। और परियोजना की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के कियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से की जाएगी जिससे बिना किसी अवरोध के परियोजना की समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं कियान्वयन कराया जा सकें। राज्य स्तरीय निर्देशो के अनुरूप प्रत्येक माह राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली परियोजना की मासिक बैठक में ऐसी समस्याओं का अवगत कराकर उपचार / निदान हेतु दिशा निर्देश लिये जायेगें। जिनका निराकरण जनपद स्तर पर सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार इस सम्पूर्ण प्रणली के व्यवस्थाजिला परियोजना कार्यालय स्तर पर की जाएगी ।

आगामी वर्ष की कार्ययोजना बनाते समय विगत वर्षो में आई बाधाओं एवं समस्याओं तथा गुण व दोष के दृष्टिगत मध्य सत्रीय अध्ययन से अनुभव के आधार पर विशेष मार्ग दर्शन प्राप्त होगा

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठिया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - GHAZIPUR

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travilling Allowance & Meeting			6.00	16	96.00	16	96.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	16	80.00	16	80.00	
7	Contegency			12.50	16	200.00	16	200.00	
	TOTAL BRC	0	0.00		48	376.00	48	376.00	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	193	193.00	193	193.00	
11	Contegency			2.50	193	482.50	193	482.50	
12	Meeting & TA			2.40	193	463.20	193	463.20	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		579	1138.70	579	1138.70	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	48	12432.00	48	12432.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	24	1632.00	280.00	41	11480.00	65	13112.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	21	1470.00	21	1470.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	38	380.00	38	380.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	5	1915.00	5	1915.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	24	1632.00		153	27677.00	177	29309.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)								
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	32	1152.00	32	1152.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	193	6523.40	193	6523.40	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		226	7855.40	226	7855.40	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		226	7855.40	226	7855.40	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	7616	380.80	7616	380.80	
35	Free Text Books UPS			0.15	33385	5007.75	33385	5007.75	
	TOTAL Text Book	0	0.00		41001	5388.55	41001	5388.55	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	2055	2466.00	2055	2466.00	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	1495	7475.00	1495	7475.00	
58	U.P.S.			5.00	176	880.00	176	880.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1671	8355.00	1671	8355.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0.00	0.00			2630.00	0	2630.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	200	280.00	200	280.00	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		200	280.00	200	280.00	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	25	50.00	25	50.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	325	650.00	325	650.00	
	Total School Grant	0	0		350	700.00	350	700.00	

C.7

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - GHAZIPUR

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover Physical	Spillover Financial	Approved Unit Cost	Fresh Proposals 2003-04 Physical	Fresh Proposals 2003-04 Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)						0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	72	8640.00	72	8640.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers P!			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(P.) Shiksha Mitra @2.25			2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		72	8640.00	72	8640.00	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	48	2592.00	48	2592.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	123	7380.00	123	7380.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	48	648.00	48	648.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	1046	14121.00	1046	14121.00	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		1265	24741.00	1265	24741.00	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		1337	33381.00	1337	33381.00	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	200	100.00	200	100.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	2462	1231.00	2462	1231.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		2662	1331.00	2662	1331.00	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			[illegible]	[illegible]	[illegible]	48	480.00	
88	TLE UPS @50	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65	3250.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	51	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	51	2550.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	75	37[illegible]0.00		89	25[illegible]0.00	164	6280.00	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	20	42.00	20	42.00	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	245	343.00	245	343.00	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	1337	1403.85	1337	1403.85	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		1602	1788.85	1602	1788.85	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
XXIII	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		5382.00			101141.50		106523.50	

C·8

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
GHAZIPUR

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	48	12432	0	0	5	1280	0	0	53	13712
A2	New Upper Primary Schools	451	24	10824	41	11480	0	0	5	1400	0	0	70	23704
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	72	7020	72	8640	72	8640	72	8640	72	8640	360	41580
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	48	648	48	1188	53	1311.75	53	1311.75	202	4459.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	48	2592	48	5184	53	5724	53	5724	202	19224
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	123	7380	123	14760	138	16560	138	16560	522	55260
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	48	480	0	0	5	50	0	0	53	530
A8.2	UPS	50	39	1950	41	2050	0	0	5	250	0	0	85	4250
A9	TLE UPS not covered OBB	50	51	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2550
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**22344**	0	**45702**	0	**29772**	0	**35215.75**	0	**32235.75**		**165269.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	211	4457.375	465	9823.125	465	9823.125	1141	24103.625
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost AIE including all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	32	1152	98	3528	98	3528	98	3528	326	11736
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	50	3000	50	3000	50	3000	150	9000
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	2	360	2	360	2	360	7	1260
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	193	6523.4	0	0	0	0	0	0	193	6523.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	46	706.1	46	706.1	92	1412.2
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**22344.00**	0	**53557.40**	0	**41367.38**	0	**52882.98**	0	**49902.98**	**0**	**220054.73**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	0	0	0	0	0	0	5	1915
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	500	35000	362	25340	0	0	862	60340
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	14	980	21	1470	150	10500	132	9240	0	0	317	22190
R4.1	Toilets Upper Primary	10	10	100	38	380	0	0	0	0	0	0	48	480
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	300	3000	100	1000	0	0	400	4000
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1495	7475	1478	7390	1478	7390	1483	7415	5934	29670
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	176	880	176	880	200	1000	241	1205	246	1230	1039	5195
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1046	25888.5	1734	42916.5	1813	44871.75	4593	113676.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	690	66240	770	73920	850	81600	2310	221760
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1046	14121	688	17028	79	1955.25	79	1955.25	1892	35059.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	25	50	1899	3798	1904	3808	1904	3808	5732	11464
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	176	352	325	650	325	650	330	660	330	660	1486	2972
R12	**Promoting Girls Education**		0	2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2438
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	80	360	80	360	80	360	240	1080
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	50	1250	50	1250	50	1250	150	3750
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	105	294	130	364	150	420	385	1078
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	193	965	193	965	193	965	579	2895
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	1050	504	1050	504	1050	504	3150	1512
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	32	800	32	800	32	800	96	2400
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	712	0	0	193	12873.1	193	12873.1	193	12873.1	579	39331.3
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	5	300	5	300	5	300	25	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1719	4297.5	1719	4297.5	1719	4297.5	5157	12892.5
	RETENTION Sub Total		0	**5462**	0	**31941**	0	**192144.5**	0	**189154.75**	0	**163316.00**	**0**	**582018.25**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	20	42	1714	3599.4	84	176.4	79	165.9	1897	3983.7
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	117	245.7	0	0	690	1449	100	210	80	168	987	2072.7
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	1148	1607.2	245	343	5208	7291.2	5903	8264.2	5983	8376.2	18487	25881.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	1337	1403.85	1205	1265.25	1220	1281	1220	1281	4982	5231.1
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	5	7	5	7	10	14
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	193	135.1	193	135.1	193	135.1	579	405.3
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	64	89.6	64	89.6	64	89.6	192	268.8
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	25	8.75	25	8.75	25	8.75	75	26.25
Q2	IED Provision for disable children	1.2	2333	933	2055	2466	2185	13110	2254	13524	2369	14214	11196	44247
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	200	100	9376	4688	9545	4772.5	9704	4852	28825	14412.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1265	632.5	2462	1231	1457	728.5	1472	736	1472	736	8128	4064
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	7616	380.8	326487	16324.35	333016	16650.8	339675	16983.75	1006794	50339.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	25854	3878.1	33385	5007.75	144677	21701.55	147570	22135.5	150522	22578.3	502008	75301.2
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1719	257.85	1719	257.85	1719	257.85	5157	773.55
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	500	25	500	25	500	25	1500	75
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1478	22170	1478	22170	1478	22170	4434	66510
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	241	1807.5	241	1807.5	241	1807.5	723	5422.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		30717	**7296.5**	0	**10974.4**	0	**94705.55**	0	**92305.7**	0	**93910.45**		**299192.6**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	1	800	0	0	0	0	1	800
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	16	2304	16	2304	16	2304	48	6912
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	32	2112	32	2112	32	2112	96	6336
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	16	576	16	576	16	576	48	1728
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	16	96	16	96	16	96	16	96	64	384
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	16	32	16	32	16	32	48	96
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	16	160	16	160	16	160	48	480
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	16	80	16	80	16	80	16	80	64	320
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	16	80	16	80	16	80	48	240
C2.11	Contigency	12.5	0	0	16	200	16	200	16	200	16	200	64	800
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	16	57.6	16	57.6	16	57.6	48	172.8
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	17	85	17	85	17	85	51	255
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for T2 mths	12	0	0	0	0	193	27792	193	27792	193	27792	579	83376
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	193	193	193	193	193	193	193	193	772	772
C3.4	Contingency	2.5	0	0	193	482.5	193	482.5	193	482.5	193	482.5	772	1930
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	193	463.2	193	463.2	193	463.2	193	463.2	772	1852.8
C4	District Project Office/Management		28	978	0	2630	0	0	0	0	0	0	28	3608
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	8	1440	8	1440	8	1440	24	4320
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	17	306	17	306	17	306	51	918
C4.6	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	16	1920	16	1920	16	1920	48	5760
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	200	280	200	280	200	280	600	840
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	215	301	200	280	200	280	200	280	200	280	1015	1421
C4.18	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	1279	0	4424.7	0	40981.3	0	40181.3	0	40181.3		127047.6
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	*Monitoring, Management & Collection of Formats*	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1279**	0	**4668.7**	0	**41505.3**	0	**40585.3**	0	**40585.3**	**0**	**128623.6**
	GRAND TOTAL		0	**36381.5**	0	**101141.50**	0	**369722.73**	0	**374928.73**	0	**347714.73**	**0**	**1229889.18**
	Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention												**GHAZIPUR**	
				2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
	Civil			11904.0		27677.0		48500.0		38260.0		0.0		126341.0
	Management			301.0		280.0		5260.0		5140.0		5140.0		16365.0
	Programme			24176.5		73184.5		315962.7		331528.7		342574.7		1087183.2
	Total			**36381.5**		**101141.5**		**369722.7**		**374928.7**		**347714.7**		**1229889.2**
	Percentage - Civil			**32.7**		**27.4**		**13.1**		**10.2**		**0.0**		**10.3**
	Percentage - Management			**0.8**		**0.3**		**1.4**		**1.4**		**1.5**		**1.3**
	Percentage - Programme			**66.5**		**72.4**		**85.5**		**88.4**		**98.5**		**88.4**
	Percentage - Total			100		100		100		100		100		100